खण्ड-447, अंक-4
शुक्रवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1925
(5 दिसम्बर, 2003 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2003)

खण्ड 447 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
विधान सभा सदस्य श्री सलिल विशनोई पर प्राणघातक हमला की नियम-311 के अन्तर्गत सूचना	1-2
प्रश्नोत्तर	2-62
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	62
वाराणसी स्थित लहरतारा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने के लिये नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
जनपद आगरा की शीतला गली में दैवी आपदा से गरीब और मजदूर लोगों के मकान फटने की जांच कराकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्र में राजकीय कन्या इन्टर कालेज खोले जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद बरेली के आँवला क्षेत्रान्तर्गत पंचायत गुरुगांवा में गन्ना तौल केन्द्र गत वर्ष की भांति यथास्थान रखे जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत अहरौला बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर बने मालवीय ब्रिज की मरम्मत के पूर्व आवागमन हेतु पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत रासेपुर बाजार में 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सबस्टेशन के निर्माण कार्य को अन्तिम स्वीकृति देने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
नियम 301 की सूचनाओं को शासन द्वारा गम्भीरता से न लिये जाने पर औचित्य का प्रश्न	65-66
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव ... (स्वीकृत)...	66-67
विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार दि0 5 अगस्त, 1997 को श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के संबंध में खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना ...	68-69

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	69
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	69-76
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) (पारित)	76-78
उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 (पारित) ...	79-83
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (पारित) ...	83-85
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 (पारित) ...	85-86
दलित विधायक के पुत्र की पिटाई का मुकदमा पंजीकृत न किये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना	87
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ..... (जारी)...	88-116
"कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें" विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	116-117
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ..... (जारी)...	117-130
सदन में कोरम के अभाव की सूचना	130
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा ..... (जारी)...	130
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	130-131
नत्थियां	132-134

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-334

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
2-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
3-अजय कुमार, डा0 — बागपत
4-अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
5-अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
6-अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
7-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
8-अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
9-अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
10-अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
11-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
12-अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
13-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
14-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
15-अनुराधा चौधरी, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
16-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
17-अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
18-अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
19-अब्दुल कलाम, श्री — संत कबीर नगर
20-अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री — बाराबंकी
21-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
22-अमरमणि, श्री — महराजगंज
23-अमर सिंह यादव, श्री पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
24-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25-अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
26-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27-अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
29-अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
30-अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
31-अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32-अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
33-अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
34-अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
35-अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
36-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर
37-आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
38-आर0एस0 कुशवाहा, श्री — खीरी
39-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
40-आलम बदी, श्री — आजमगढ़
41-आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
42-आशा किशोर, श्रीमती — रायबरेली
43-आशीष यादव, श्री — बदायूं
44-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
45-इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
46-इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
47-इन्द्रदेव सिंह, डा0 — बिजनौर
48-इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
49-उदयभान करवरिया, श्री — इलाहाबाद
50-उदयराज यादव, श्री — उन्नाव
51-उमा किरन, श्रीमती — मुजफ्फरनगर
52-उमा शंकर कुशवाहा, श्री — गाजीपुर
53-ऊषा वर्मा, श्रीमती — हरदोई
54-ओइमवेश, स्वामी — बिजनौर
55-ओम प्रकाश गाजीपुर,श्री — गाजीपुर
56-ओम प्रकाश, श्री — सीतापुर
57-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री — सुल्तानपुर
58-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
59-ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर

60-ओमवती देवी, श्रीमती — बिजनौर
61-कपिल देव यादव, श्री — मऊ
62-कमलेश कुमार, श्री — गोरखपुर
63-कमाल यूसुफ मलिक, श्री — सिद्धार्थनगर
64-कल्यान सिंह दोहरे, श्री — कन्नौज
65-कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
66-काशी राम, श्री — रामपुर
67-किरण पाल कश्यप, श्री — मुजफ्फरनगर
68-किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
69-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
70-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
71-कृष्णानन्द राय, श्री — गाजीपुर
72-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
73-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
74-कैलाश, श्री — गाजीपुर
75-कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
76-कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री — वाराणसी
77-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
78-कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
79-कौशल किशोर, श्री — खीरी
80-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
81-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
82-गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
83-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
84-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
85-घनश्याम शुक्ल,श्री — गोण्डा
86-घूरा राम, श्री — बलिया
87-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
88-चन्द्रदेव राम यादव, श्री — आजमगढ़
89-चन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
90-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
91-चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
92-छेदी राम, श्री — गाजीपुर
93-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
94-छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
95-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
96-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
97-जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
98-जगदीश मिश्र
बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
99-जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
100-जगदीश सोनकर,श्री — जौनपुर
101-जगन प्रसाद गर्ग, श्री — आगरा
102-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
103-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
104-जय प्रताप सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
105-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकर नगर
106-जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
107-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
108-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
109-ददूद प्रसाद, श्री — चित्रकूट
110-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
111-दया शंकर वर्मा, श्री — जालौन
112-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
113-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
114-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
115-दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
116-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
117-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
118-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
119-देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
120-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
121-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
122-धनंजय सिंह, श्री — जौनपुर
123-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
124-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
125-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
126-धू राम, श्री — हमीरपुर
127-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
128-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्धनगर
129-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
130-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
131-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद

132-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
133-पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
134-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
135-परागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
136-पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
137-पी0 के राय, डा0 — कुशीनगर
138-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
139-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
140-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
141-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
142-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
143-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
144-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
145-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
146-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
147-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
148-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
149-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
150-फसीहा वशीर, चौधरी — देवरिया
151-फागू, श्री — मऊ
152-बंशीधर राज, श्री — खीरी
153-बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
154-बाबूराम, एम0काम0, श्री — जालौन
155-बाबूलाल, श्री — गोण्डा
156-बाबूलाल, चौधरी — आगरा
157-बाबूलाल कुशवाहा, श्री — बांदा
158-बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
159-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
160-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
161-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
162-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
163-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
164-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
165-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
166-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
167-भरत सिंह, श्री — बलिया
168-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
169-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
170-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
171-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
172-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
173-मदन भैया, श्री — बागपत
174-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
175-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
176-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
177-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
178-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
179-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
180-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
181-महेन्द्र सिंह यादव, श्री — बुलन्दशहर
182-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
183-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
184-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
185-मानपाल सिंह, श्री — एटा
186-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
187-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
188-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
189-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
190-मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
191-मूलचन्द्र, श्री — बिजनौर
192-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
193-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
194-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
195-मोहम्मद आज़म खाँ, श्री — रामपुर
196-मोहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
197-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
198-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
199-मो0 शफीर, श्री — फतेहपुर
200-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
201-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर

202-याकूब हाजी, श्री — मेरठ
203-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
204-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
205-रणवीर सिंह राणा, श्री — मेरठ
206-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
207-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
208-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
209-राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
210-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकर नगर
211-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
212-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
213-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
214-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
215-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
216-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
217-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
218-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
219-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
220-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
221-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
222-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
223-राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
224-राजेश कुमार, श्री — खीरी
225-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
226-राधेश्याम जायसवाल, श्री — सीतापुर
227-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
228-राम अचल राजभर, श्री — अम्बेडकर नगर
229-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
230-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
231-राम किशुन, श्री — वाराणसी
232-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
233-रामपाल यादव,श्री — सीतापुर
234-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
235-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
236-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
237-राम बाबू हरित, डा0 — आगरा
238-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
239-राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
240-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
241-रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
242-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
243-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
244-राम स्वरूप सिंह, श्री — कानपुर देहात
245-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
246-रामहेत, श्री — सीतापुर
247-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
248-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
249-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
250-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
251-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
252-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
253-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर
254-वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
255-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
256-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
257-विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
258-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
259-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
260-विजेन्द्र सिंह, श्री — हाथरस
261-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
262-विद्या सागर गुप्ता,श्री — लखनऊ
263-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
264-विनोद कुमार यादव कक्का, श्री — इटावा
265-विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
266-विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री — बदायूं
267-विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
268-विवेक बंसल, श्री — अलीगढ़
269-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
270-विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
271-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री — शाहजहांपुर
272-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली

273-वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
274-वीरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
275-वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री — ललितपुर
276-वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
277-शंखलाल मांझी, श्री — सन्त कबीर नगर
278-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर, भदोही
279-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
280-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
281-शाकिर अली, श्री — देवरिया
282-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
283-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
284-शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
285-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
286-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
287-शिव चरन, श्री — हमीरपुर
288-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
289-शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
290-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
291-शिवाकान्त ओझा, प्रो0 — प्रतापगढ़
292-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महराजगंज
293-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
294-शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री — जौनपुर
295-श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
296-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
297-श्याम नारायण, श्री — महराजगंज
298-श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
299-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
300-संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
301-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
302-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
303-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
304-सत्य नारायण, श्री — हरदोई
305-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
306-समरपाल सिंह, श्री — बागपत
307-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद
308-सलिल विशनोई, श्री — कानपुर नगर
309-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
310-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
311-सीताराम निषाद, श्री — फैजाबाद
312-सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
313-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
314-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
315-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
316-सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री — गाजियाबाद
317-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
318-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
319-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
320-सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
321-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
322-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
323-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर
324-सूरज सिंह शाक्य, श्री — एटा
325-सोमारू राम सरोज, श्री — जौनपुर
326-सोवरन सिंह, श्री — मैनपुरी
327-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
328-हरिओम यादव, श्री — फिरोजाबाद
329-हरि प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
330-हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
331-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री — वाराणसी
332-हीरा लाल गौतम, श्री — आजमगढ़
333-हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
334-होशियार सिंह, श्री — बुलन्दशहर

नोट :-श्री मुलायम सिंह यादव (मा0 मुख्य मंत्री), श्रीमती कुसुम राय (लोक निर्माण मंत्री), श्री राम प्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री), श्री बनवारी सिंह यादव (प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य सम्पत्ति राज्य मंत्री) तथा श्री राम आसरे विश्वकर्मा (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

[नत्थी (क) का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0 1 पुकारे जाने पर]

(श्री हुकुम सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी व अन्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

विधान सभा सदस्य श्री सलिल विशनोई पर प्राणघातक हमला की नियम-311 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सलिल विशनोई पर हमला हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसे विशेष उल्लेख में ले लिया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ है। यह भी सदन के सदस्य हैं अगर हम संवेदनशीलता नहीं दिखायेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इससे ज्यादा और क्या गम्भीर प्रकरण हो सकता है। दोबारा उनकी जान पर हमला हुआ है, इससे पहले भी उन पर हमला हुआ था। अगर एक क्षण की भी देरी हो जाती तो उनकी जान जा सकती थी और आज हम यहां पर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे होते।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर ली है।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

यहां पर चर्चा या भाषण करने से क्या फायदा जिनकी सुरक्षा की जरूरत है आप हमें लिखकर दीजिये हम उनकी सुरक्षा करेंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। हम आपकी सरकार जैसे नहीं हैं। हम प्रत्येक विधायक की सुरक्षा की गारन्टी देते हैं।

श्री हुकुम सिंह-

कौन लोग इसके पीछे हैं और किन लोगों की साजिश से यह हमला हुआ है इसकी जानकारी हो जानी चाहिए। दो दिन हो गये हैं, अगर जानकारी हो तो नेता सदन को अवगत करा दें। इसके आक्रमण के पीछे गहरी साजिश है। मेरा नेता सदन से यह आग्रह है कि हममें संवेदनशीलता होनी चाहिए और जानकारी आनी चाहिए। कल आप दो तीन सुरक्षाकर्मी लगा दें उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो साजिश की गयी है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। हमने इसे नियम 311 में दिया है अतः इसे पहले सुन लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

हुकुम सिंह जी इतने गुस्से में क्यों हैं ? मेरी समझ में नहीं आता है। हमने इनके जमाने में भी सुरक्षा देखी है। आपके जमाने में जो कुछ भी हुआ है और जैसा हुआ है यह हमें बताने की जरूरत नहीं है वह सामने है। नेताओं की सी0 आई0 डी0 जांच हुई और बन्द कर दिया गया। यह हमारे यहां नहीं हो सकता है। हमारे यहां निष्पक्ष जांच होगी। जब आप संसदीय कार्य मंत्री थे, तो रोज [***] उत्तर दिया करते थे।

नोट :- [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिये माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा है। जो लोग पकड़े गये हैं वह सुरक्षाकर्मी द्वारा पकड़े गये हैं। जो पकड़े गये हैं उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था वह हटा लिया गया है। लेकिन जो पकड़े गये हैं उनके ऊपर गम्भीर अपराधों के आरोप हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। कुछ लोगों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है उसे संज्ञान में लाने के लिये हम कह रहे हैं। उनकी कठोरता से जांच करायें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों हेतु गन्ने की सट्टा नीति सम्बन्धी प्रकरण

**1.—श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिये गन्ने की सट्टा नीति क्या है ? क्या सरकार किसानों के बोये गये गन्ने के रकबे के आधार पर सट्टा नीति बनाये जाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

पेराई सत्र 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के लिये गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति जारी की जा चुकी है। कृषकों के बेसिक कोटे की गणना विगत दो वर्षों से आपूर्ति के औसत को आधार मानकर निकाले जाने का प्राविधान किया गया है। यदि चीनी मिल की विज्ञापित आवश्यकता की पूर्ति बेसिक कोटा से नहीं होती तो गन्ना आपूर्ति नीति के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त गन्ने की मात्रा/सामान्य बढ़ोत्तरी अतिरिक्त सट्टे के रूप में उपज के 35 प्रतिशत की सीमा तक की जा सकती है।

वर्तमान समय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री घनश्याम शुक्ला-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा सवाल स्पष्ट है, मैंने सवाल पूँछा था कि क्या रकबा के आधार पर किसानों को आपूर्ति की जायेगी, या नहीं ? मान्यवर, कई बार ऐसा होता है कि गन्ना ज्यादा होता है, बेसिक कोटा जो दो वर्ष का जारी हुआ है, यह गलत नीति है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई नया किसान गन्ना बोता है, बीज बोता है और ज्यादा गन्ने की फसल उसने पैदा कर ली, तो उसकी पर्ची नहीं बन पाती है और गन्ना खेतों में खड़ा रह जाता है, उनका गन्ना बिक नहीं पाता है, इसलिये मेरा आग्रह है कि जो गन्ने की सट्टे की नीति है, इसमें परिवर्तन लाते हुए, रकबे के आधार पर गन्ना किसानों की आपूर्ति वितरित कराई जाय। उस किसान के पास कितना गन्ना है, एक व्यवस्था है, उसको पास बुक मिल जानी चाहिए, उसके कलेण्डर का प्रकाशन होना चाहिए ? यह कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि रकबे के आधार पर व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

जानकारी में कोई चुना जिला है, जहां इस तरह की आशंका हो, तो आप बता दें हम उसका निर्धारण करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। मुख्य बात तो यह है कि किसी भी किसान का गन्ना खेतों में नहीं रहना चाहिए और वह उसमें दूसरी फसल बो सके। जो आपके चयनित जिले हैं वह आप हमें दे दें हम उसका समाधान करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इनकी भावना यह है कि जितने क्षेत्रफल में गन्ने की बुवाई होती है, क्या सट्टा नीति, क्षेत्रफल को आधार मान कर तय की जायेगी ? क्षेत्रफल को आधार मान कर के सट्टा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर तो आ गया है कि वर्तमान समय में ऐसी कोई नीति नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर गन्ने की बुवाई नहीं हुई तो उसकी पेराई कहां से हो जायेगी, मेरा कहना है कि जितने भी क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया, उसको आधार मान कर सट्टा किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, जो माननीय हुकुम सिंह जी कह रहे हैं उसकी दलाली को तो रोका जा रहा है, हम आपकी भावना से अवगत हैं, उसी दलाली को रोका जा रहा है।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मैं कहना चाह रहा हूं कि तमाम किसानों का गन्ना पिछले वर्ष खेतों में खड़ा रह गया, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो सट्टा नीति है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई व्यवस्था इसमें कारगर नहीं हो पायेगी, इसलिये मेरा आग्रह है कि रकबे के आधार पर अगर सट्टा नीति किसानों की बन जायेगी तो निश्चित रूप से सभी किसानों का सारा गन्ना बिक जायेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से किसानों का गन्ना खेतों में खड़ा रह जायेगा। तो मान्यवर, इस नीति को सुनिश्चित कराने का प्रयास करें।

श्री अध्यक्ष-

यह तो आपका आग्रह है, यह आपका प्रश्न नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो पिछली सट्टा नीति है वही चली आ रही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मान्यवर, स्वाभाविक है जो किसानों का दो वर्षों का, तीन वर्षों का, गन्ने का रकबा है, उसका औसत निकाल कर चीनी मिलों का सट्टा बनता है। जो मिलें बन्द हैं उस क्षेत्रफल के गन्ने को डायवर्ट किया जा रहा है। पिछले वर्षों में भी किसानों के समक्ष यही कठिनाई थी अन्य मिलें उसे पेरने के लिये तैयार नहीं हुई। कल आपने एक समीक्षा बैठक की थी गन्ने की पेराई को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में जो मिलें बन्द हैं उनके गन्ने को आप डायवर्ट कर रहे हैं दूसरी ओर जो मिलें चल रही हैं उनके रकबे में [illegible] अगर वह मिलें उस डायवर्ट गन्ने की पेराई नहीं करेंगी तो उनके [illegible]

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, जो माननीय पाल जी की चिन्ता है उसका मैं एक पंक्ति में जवाब देना चाहूंगा। जो चीनी मिलें नहीं चल रही हैं वह चल भी नहीं पायेंगी यह आप सभी समझते हैं। जो गन्ना डायवर्ट किया जा रहा है हमारा प्रयास है कि प्राथमिकता के आधार पर, जहां चीनी मिलें बन्द हुई हैं, छोटे किसान के लिये यह नीति है कि उनको सबसे पहले प्रायरिटी देंगे ताकि उनका गन्ना न खड़ा रह जाय। उसका परिणाम आया है चार गुना पिछले वर्ष की अपेक्षा गन्ने की पेराई हो चुकी है। इसलिए उनको, डायवर्ट को, पहले प्राथमिकता के आधार पर करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, चीनी मिलें अपने क्षेत्रफल का गन्ना पहले लेती है और दूसरे क्षेत्र का गन्ना खड़ा रह जाता है जिस कारण किसानों के समक्ष छीलने की और पेराई की समस्या आती है।

मान्यवर, पिछली सरकार में समर्थन मूल्य 95 रुपये घोषित किया गया वह नहीं दिला पाये और उससे किसानों के साथ हकतलफी हुई। आप जो न्यूनतम मूल्य घोषित करें उसको दिलाने का प्रयास करें। आपने कहा है कि न्यूनतम मूल्य की घोषणा न्यायालय के निर्णय के बाद करेंगे और उसे आप दिलवायेंगे। मेरा प्रश्न है कि जो गन्ना डायवर्ट हो रहा है उसका पेराई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किये जाने हेतु अपने जिला स्तर के अधिकारियों तथा गन्ना आयुक्त को निर्देश देंगे। ताकि मिलों के रकबे के गन्ने की पेराई और इस डायवर्ट गन्ने की पेराई दोनों बातें साथ-साथ चलती रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, ये दोनों बातें चलती रहेंगी पहले छोटे किसानों का लिया जायेगा, यह नहीं होगा कि जो उन मिलों का निर्धारित कोटा है उसको रोक दिया जाये। जो आपने कहा है किसानों के मन में चिन्ता है तो दूसरा गन्ना आ रहा है उसकी हम व्यवस्था अलग से करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है और मिल वाले थोड़ा पैसा लेते हैं तो सरकार उसको वहन करेगी, लेकिन गन्ना उनका नहीं रोका जायेगा।

उत्तर प्रदेश में मूल्यवर्धित कर प्रणाली "वैट" लागू करने सम्बन्धी जानकारी

**2—श्री श्याम देव राय चौधरी तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में मूल्यवर्धित कर प्रणाली "वैट" लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और उसे कब तक लागू किया जायेगा ?

कर एवं निबन्धन (व्यापार कर) राज्य मंत्री (श्री चितरंजन स्वरूप)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, इस वैट प्रणाली को लेकर पिछले दिनों प्रदेश में समस्त व्यापारियों ने घोर विरोध किया था उसके फलस्वरूप पूर्ववर्ती सरकार ने भी इसे लागू करने से स्थगित कर दिया था। मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि विचार नहीं किया जा रहा है, प्रश्न नहीं उठता है तो क्या यह सरकार स्थायी रूप से यह घोषित करेगी कि जब तक यह सरकार सत्ता में है तब तक इस वैट प्रणाली को किसी भी सूरत में व्यापारियों पर लादा नहीं जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अब सवाल ऐसा आ गया है मान्यवर, कि क्या उत्तर दूं। आप माननीय प्रधान मंत्री जी से कहिए। जो वैट व्यवस्था लागू की जा रही थी, उसके प्राविधानों से हमें गम्भीर आपत्ति है अगर वह संशोधित होकर आता है तो उसे उस हिसाब से देखेंगे। हम लोगों ने अपनी राय संसद में रख दी है। अगर यह आपको हमेशा-हमेशा के लिए नहीं करना है तो माननीय प्रधान मंत्री से बात कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

* इसमें अनुपूरक क्या है, कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, जो सवाल किया गया है वह व्यापारियों से और पूरे प्रदेश की जनता से सम्बन्धित है। जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा वह स्वागत योग्य है। उनके उत्तर से ही प्रश्न निकल रहा है कि वह कौन से संशोधन हैं जिनके साथ आप इसे स्वीकार करेंगे ? वह कौन से संशोधन हैं जो केन्द्र सरकार को भेजे हैं और केन्द्र सरकार से स्वीकृत हो जाने के बाद आप उन संशोधनों के साथ प्रदेश में इस वैट प्रणाली को लागू करने पर विचार रखते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से समय लेकर और कुछ मुख्य मंत्रियों से राय लेकर और हमारी भी राय होगी मुख्य मंत्री की हैसियत से, यह एक विचारणीय सवाल है उस पर बहस करना चाहेंगे तो जब वहां से बात करके लौटेंगे तो बहस कर लेंगे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नियमित एवं अबाध रूप से विद्युत आपूर्ति कराने हेतु कार्ययोजना

*1-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश में नियमित एवं अबाध रूप से विद्युत आपूर्ति कराने हेतु कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी हां।

(1) दसवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4511.93 मे0वा0 की विद्युत अर्जन क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित है।

(2) प्रदेश में आवश्यकतानुसार पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु 400 के0वी0, 220 के0वी0, 132 के0वी0 के कई नये उपकेन्द्र बनाने तथा पुराने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है ताकि अतिरिक्त स्थापित होने वाली ऊर्जा क्षमता का पारेषण सही ढंग से किया जा सके।

(3) द्वितीय प्रणाली में 163 नग नये उपकेन्द्र का बनना तथा 85 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है।

पावर कारपोरेशन के उपरोक्त प्रयासों से प्रदेश की विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार होने की आशा है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि विद्युत आपूर्ति की सुधार के लिये 3 बिन्दु हैं। पहला, दसवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 4511.93 मे0वा0 की विद्युत अर्जन क्षमता में वृद्धि प्रस्तावित है। दूसरा, प्रदेश में आवश्यकतानुसार परिषद् पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु 400 के0 वी0, 220 के0 वी0, 132 के0 वी0 के कई नये उपकेन्द्र बनाने तथा पुराने उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है। ताकि अतिरिक्त स्थापित होने वाली ऊर्जा क्षमता का पारेषण सही ढंग से किया जा सके। तीसरा, द्वितीय प्रणाली में 163 नग नये उपकेन्द्र का बनाना तथा 95 उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि तीन कार्ययोजना के बिन्दु हैं तो अलग-अलग इन कार्ययोजनाओं के बिन्दुओं पर कितना धन लगेगा और सरकार ने उस धन की क्या व्यवस्था की है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, जो योजनायें इस व्यवस्था का सुधार करने के लिये बनायी गयी हैं उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का प्रश्न था जिसका उत्तर दे दिया गया है और उसकी लागत के लिये उनका आगणन करा लिया गया है इसमें जो धनराशि आवश्यक होगी वह व्यवस्था कराई जायेगी।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया मैंने पूछा था कि तीनों में कितना धन लगेगा और उस धन के लिये क्या व्यवस्था सरकार ने की है ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, नये विद्युत केन्द्र बनाने के लिए अलग-अलग स्तर पर बातचीत हो रही है। आनपारा के लिये जापान से बातचीत हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह बता दें कि इसमें कितना धन लगेगा।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, विभिन्न स्रोतों से और इसके लिये जहां से भी होगा, ऋण लेकर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

कितना लगेगा ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जो आपने प्रश्न पूछा है, एक का हो तो बता दिया गया। इस सारे का इस्टीमेट एक बार कलकूलेट करना पड़ेगा। मूल प्रश्न में भी यह बात नहीं थी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, तीन व्यवस्थायें आपने बतायी हैं और तीन व्यवस्थाओं का ब्यौरा भी दिया है। व्यवस्था का आशय यह हुआ कि व्यवस्था के ऊपर मैंने यह कार्यक्रम बनाया और कार्यक्रम में मूलरूप

में यह है। इसमें अब कितना धन लगेगा और उसकी व्यवस्था कहां से होगी ? यह तो कुछ उत्तर हुआ नहीं। जब अभी आगणन तैयार हो रहा है तो फिर व्यवस्था क्या कर दी ? जब आगणन तैयार नहीं हुआ है तो व्यवस्था क्या कर देंगे ? मान्यवर, बहुत स्पष्ट प्रश्न है और इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए। जिन व्यवस्थाओं का आपने अपने उत्तर में उल्लेख किया है, उन व्यवस्थाओं के आधार पर कितना अनुमानित खर्च उत्तर प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ेगा और उसकी किन स्रोतों से व्यवस्था की गयी है ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया, इन विभिन्न परियोजनाओं के लिये निजी क्षेत्र में भी हम प्रयास कर रहे हैं, उनमें भी विद्युत उत्पादन के लिये जो लोग आगे आयेंगे, उनसे भी वार्ता कर रहे हैं और निजी क्षेत्र में जहां से ऋण उपलब्ध हो सकता है, उसका भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी अनपरा-सी 1000 मेगावाट की परियोजना अन्तिम चरण में है, उसके लिये जापान से वार्ता हो रही है, मैं समझता हूं कि जनवरी में इस सम्बन्ध में निर्णय हो सकेगा। इसी तरह पारीछा में 2 नई यूनिट 210 मेगावाट की, उसके लिये हम वार्ता कर रहे हैं। इसी तरह से जलीय विद्युत परियोजना में शीतला 3.6 मेगावाट की करने जा रहे हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में रिहन्द-2 एन0 टी0 पी0 सी0 के माध्यम से, तैयारी चल रही हैं इसके अलावा दुलहस्ती, चमेरा और धौलगंगा तथा टिहरी 1 व 2 के आ जाने से 4511 मेगावाट अतिरिक्त बिजली हमको आगामी समय में मिल सकेगी।

श्री अध्यक्ष-

अभी भी दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं आया।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कनाडा से बातचीत चल रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि जापान से बात चल रही है। मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, कृपा करके इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इस सरकार को बने मात्र दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और 8 वर्ष तक इन विद्युत परियोजनाओं पर यह काम करते रहे हैं। मान्यवर, यह सरकार दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये कृत संकल्प है और इसके लिये जो भी धनराशि आवश्यक होगी, उसकी व्यवस्था कराई जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह 18 जुलाई का प्रश्न है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और इस प्रश्न से हम भी सबक लेंगे। दूसरे प्रदेशों में जो नतीजे सामने आये हैं, वहां से अन्दाजा होता है, पिछले 8 साढ़े 8 साल का कार्य सबके सामने है।

(इस पर विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में व्यवधान हो गया)

(श्री हुकुम सिंह, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने उत्तर से असंतुष्ट होकर इस प्रश्न को स्थगित किये जाने की मांग करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर तो पूरा आ जाने दें, आप उनके उत्तर को सुन तो लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

पूरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी जिज्ञासा अपनी जगह पर है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस प्रश्न का अपना महत्व है, मैं सोचता हूं कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दूं। इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को दिया जाता है।

*2—डा0 अशोक बाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को रोकने हेतु योजना

*3—श्री घनश्याम शुक्ला-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बाल श्रम को रोकने के लिये वर्तमान सरकार क्या कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

जी हां।

प्रदेश शासन खतरनाक प्रकृति के कार्यों/प्रक्रियाओं में बाल श्रम के पूर्णरूपेण उन्मूलन हेतु दृढ़ संकल्पित है। ऐसे कार्यों/प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों को चिन्हित करते हुए उन्हें शिक्षण संस्थाओं में भर्ती कराया जाता हैं बाल श्रम के विरुद्ध व्यापक प्रचार एवं प्रसार तथा व्यापक संवेदनशीलता सृजन हेतु जन जागरण की कार्यवाही की जाती है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना प्रदेश के श्रम बाहुल्य 11 जनपदों में संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत विशेष बाल श्रमिक विद्यालय चलाये जा रहे हैं, उनमें अध्ययनरत छात्रों को निःशुल्क पठन-पाठन सामग्री, दोपहर में पुष्टाहार तथा 100 रु0 प्रतिमाह प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बाल श्रम एक गम्भीर विषय है और अकेले लखनऊ में अगर जांच करा ली जाय तो छोटे से ले करके बड़े उद्योगों एवं फैक्ट्रियों में हजारों की संख्या में बाल श्रमिक मिलेंगे। सरकार ने जवाब दिया है कि पूरे प्रदेश में 11 जगह शिक्षण संस्थायें संचालित की जा रही हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पूरे प्रदेश में केवल

11 जगह पर ही बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अब तक कितने बाल श्रमिकों को शिक्षण संस्थाओं में भर्ती कराया गया ? सरकार ने कहा कि हम इसके लिये संकल्पित हैं तो मैं जानना चाहता हूँ, कि क्या छापा मार करके ऐसे लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी का निर्धारण करेंगे जो कि बाल श्रमिकों से कार्य लेते हैं ? क्या सरकार के पास कोई ऐसी कार्य योजना है ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय शुक्ला जी ने बाल श्रमिकों की गम्भीरता की तरफ सदन का और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सचेष्ट है, आपने लखनऊ के बारे में पूछा, लखनऊ में जो चिन्हित हुए हैं वह आंकड़े हैं खतरनाक और गैर खतरनाक व्यवसायों में लगभग 61,835 बाल श्रमिक, जिनमें से 53,141 बाल श्रमिकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में अप्रैल, 2003 से सितम्बर, 2003 तक की अवधि में खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रमिकों की संख्या 850 है तथा गैर खतरनाक व्यवसायों में यह संख्या 2,946 है इस प्रकार से इस वर्ष कुल 3,796 बाल श्रमिक चिन्हित किये जा चुके हैं। इनमें से 1,643 बाल श्रमिकों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराया जा चुका है।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मैंने जो सवाल पूछा था उसका स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि क्या प्रदेश भर में केवल 11 शिक्षण संस्थाएं ही संचालित की जा रही हैं ? अगर एक तरीके से जांच करायी जायँ तो हजारों की संख्या में केवल लखनऊ में ही बाल श्रमिक मिल जायेंगे तो इसको रोकने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार ने कोई ऐसी कार्य योजना तैयार की है जिससे छापा मार करके कार्रवाई की जा सके, क्या ऐसी व्यवस्था सरकार ने सुनिश्चित की है ?

(इस समय 11 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय उपाध्यक्ष जी, व्यवस्था है, कानूनी और प्रक्रियात्मक व्यवस्था दोनों है। रोज छापे नहीं मारे जाते, एक अभियान चलाकर बाल श्रमिक चिन्हित किये जाते हैं जिसमें अध्यापक भी होते हैं और सरकारी अधिकारी भी होते हैं। जब चिन्हित हो जाते हैं तो कैसे क्या व्यवस्था की जाय इसके लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक सोसाइटी बनी है जिसमें शिक्षण संस्थाओं के लोग भी हैं उसमें बहुत से मेम्बर हैं। आपने जो प्रश्न किया कि 11 जनपद ऐसे चिन्हित किये गये हैं जो खतरनाक स्थिति के हैं। वैसे कुल मिलाकर बड़ी संख्या में स्कूल चलाये जा रहे हैं जिसमें कुछ सरकारी हैं, कुछ गैर सरकारी। बाल श्रमिकों को चिन्हित करने के बाद सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। गैर सरकारी विद्यालय 531 हैं जिसमें से कुछ की जाँच करायी गयी थी, दो-तीन विद्यालय गलत पाये गये थे, उनकी मान्यता समाप्त कर दी गयी। एक बात और आपको बता दें कि आपने कहा कि छापा मार कर पकड़ते हैं तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक अभियान चलाकर चिन्हित किया जाता है उसमें दोनों संवर्ग के लोग रहते हैं अध्यापक और सरकारी अधिकारी/कर्मचारी। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या छापा मारा जायेगा। अगर आपको कोई जानकारी है तो आप मुझे लिखकर दे दें मैं उन्हें चिन्हित करा लूंगा। मान्यवर, बाल श्रमिकों की समस्या के प्रति हम सभी लोगों को, सरकार को

विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाल श्रमिक होते ही क्यों हैं, जिन परिवारों की आर्थिक संरचना ठीक नहीं होती वही इसमें आते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या से निपटने में सभी को सहयोग देना चाहिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने ऐसे बाल श्रमिकों को उनके स्थान से छुड़ाकर 11 शिक्षण संस्थाओं में रखने की व्यवस्था किया है। 11 शिक्षण संस्थायें 11 जिलों में होंगी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्य जिलों से पकड़कर कितने बाल श्रमिकों को इन विद्यालयों में हस्तान्तरित किया गया ? दूसरे यह अभियान पिछले वित्तीय वर्ष में कब चला और कितने बाल श्रमिक चिन्हित हुए और उन बाल श्रमिकों के सेवायोजकों के विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई ? एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराया गया, या मुकदमें योजित किये गये ? मान्यवर, बाल श्रमिकों को उनके स्थानों से हटाकर अन्यत्र व्यवस्था करने की सरकार की जो-जो योजनायें हैं वह बाल श्रमिकों की संख्या को देखते हुए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है तो क्या और व्यवस्थायें की जायेंगी ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने इतने प्रश्न एक साथ कर दिये हैं कि उनको मन में स्मरण रखने में कठिनाई हो रही है। बाजपेयी जी बाल श्रमिकों के बारे में चिन्तित हैं, यह अच्छी बात है। केवल 11 जनपद ही नहीं विभिन्न जिलों में विद्यालय हैं। आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, सारी सूचनाएं हैं। छात्रों की कितनी संख्या है वह भी बता सकता हूं। इससे बड़ा प्रश्न श्रम विभाग का आगे आ रहा है। ये जो 11 जनपद हैं ये खतरनाक की श्रेणी में हैं और ये सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। इनकी एक कल्याण निधि है। आपने कहा कि कितने मुकदमें चले, संख्या अगर आप चाहेंगे तो बता दूंगा। 70 जनपदों में बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण निधि की स्थापना की गयी है। नियोजकों पर काफी संख्या में मुकदमें चलाये गये हैं उनमें 30 करोड़ 52 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश हुए। जब भी कोई नियोजक संज्ञान में आता है उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और 20 हजार रुपये का जुर्माना होता है। उस जुर्माने की धनराशि की जो अब तक रिकवरी जारी हुई है, वह 30 करोड़ 52 लाख रुपये की है। मान्यवर, करीब 89 लाख रुपये के करीब रुपया वसूली कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों के लिये, इनके सुधार के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रम कल्याण निधि में 2 करोड़ 15 लाख रुपया दिया है और 20 हजार जुर्माना है वह भी जाता है। इन दस योजना जो भारत सरकार और अमेरिका सरकार के माध्यम से चलायी गयी है। भारत सरकार ने 5 सूबों को चिन्हित किया है जिसमें उत्तर प्रदेश भी है। अमेरिका सरकार के माध्यम से 8 विलियन डालर खर्च करने के लिये योजना है। यह कार्य इण्टरनेशनल आर्गनाइजेशन के माध्यम से कराया जायेगा।

श्री घनश्याम शुक्ला-

मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी जो बाल श्रम लेते हैं ? यह पूरे प्रदेश के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों के भविष्य का मामला है। मान्यवर, जो 11 शिक्षण संस्थायें चल रही है और जो रिकवरी की गयी है वह 2 प्रतिशत की गयी है। मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, जब अगला प्रश्न आ गया है तो एक ही प्रश्न पर इतना समय देंगे तो अगला नहीं हो पायेगा इसलिये आप अगला प्रश्न लें।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

विद्युत चोरी रोकने हेतु जनपद लखनऊ में कतिपय राजनेताओं/आई ए0 एस0 अधिकारियों के यहां डाले गये छापे

*2—डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत चोरी रोकने हेतु जुलाई/अगस्त, 2002 में चलाये गये अभियान में, लखनऊ जनपद में कुल कितने राजनेताओं और आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के यहां छापे डाले गये ? इनमें से किनके यहां विद्युत चोरी पकड़ी गयी और कितने लोगों के विद्युत कनेक्शन काटे गये ? क्या इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जुलाई/अगस्त, 2002 से लखनऊ जनपद में बिजली चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया गया था ? क्या छापे पड़े थे ? सरकार का उत्तर आया है कोई नहीं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहता हूं कि यह उत्तर दोनों प्रश्नों के लिये है यानी बिजली चोरी का अभियान और किन-किन के यहां छापे पड़े थे और उसके फलस्वरूप मुकदमें में क्या कार्यवाही की गयी है मैं यह जानना चाहता हूं।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इन्होंने बड़ा ही उचित प्रश्न पूछा है। मान्यवर, इन्होंने कहा है कि क्या बिजली चोरी के सम्बन्ध में छापे पड़े थे, और जो छापे पड़े थे वे किन-किन आई0 ए0 एस0 अफसरों और बड़े राजनेताओं के यहां छापे पड़े थे ? तो मैंने इस सम्बन्ध में उत्तर दे दिया है कि कोई छापे नहीं पड़े थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं कृपा पूर्वक आपका संरक्षण चाहता हूँ मान्यवर, यह 01 अगस्त, 2002 को पूछा हुआ सवाल है और 06 सितम्बर, 2002 को स्थगित हुआ प्रश्न है। मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि जुलाई-अगस्त में क्या बिजली चोरी पकड़ने के लिये जिला लखनऊ में छापे डाले गये थे। तो ये छापे किन-किन आई0 ए0 एस0 अफसरों और किन-किन बड़े राजनेताओं के यहां छापे डाले गये थे।

मान्यवर, कृपा करके सरकार उनकी सूची सौंप दे, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है। मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न है कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत चोरी रोकने हेतु जुलाई/अगस्त, 2002 में चलाये गये अभियान में लखनऊ जनपद में कुल कितने राजनेताओं और आई0 ए0 एस0 अफसरों के यहां छापे डाले गये ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, बिजली चोरी हेतु कोई छापे नहीं डाले गये थे बकाये के भुगतान हेतु छापे मारे गये थे। उस छापे में जो बड़े बकायेदार थे उनसे पैसा वसूल करके उनके कनेक्शन फिर से जोड़ दिये गये थे ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह सदन की कार्यवाही का भाग है नियम 165 में हो गया है। मैं नियम 165 में सवाल उठाऊंगा तो सरकार मानेगी कि छापे मारे गये हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार उत्तर देने से भाग रही है। मान्यवर, निश्चित जानकारी है कि बिजली चोरी पकड़ने हेतु छापे डाले गये थे और ऐसे लोगों से बकाया के नाम पर धन जमा करके उन्हें रि-कनेक्ट कर दिया गया था। मान्यवर, इस तरह से यह बिजली चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, सरकार मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है। मान्यवर, बिजली चोरी समाज के विरुद्ध एक गम्भीर अपराध है इस तरह की बिजली चोरी से सामान्य जनता को कष्ट होता है। कृपा करके मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायें।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है, यदि आपका उससे सम्बन्धित और कोई अन्य प्रश्न हो तो बतायें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य का यह उत्तर है कि नहीं कोई छापे नहीं मारे गये हैं। हां बिजली की बकाया रकम वसूलने के बारे में अभियान चलाया गया था। मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न है कि बिजली चोरी हेतु किन-किन आई0 ए0 एस0 अफसरों और राजनेताओं के यहां छापे मारे गये थे, यहां पर यह उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। यह मामला बिजली चोरी का था या बकाये का था यह उत्तर तो आप ही देंगे। जैसा कि आपने कहा है कि बिजली चोरी का नहीं बकाये का मामला था तो मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला बिजली चोरी का ही था जिसे सरकार बकाये का अभियान बता रही है तो मैं आपसे कहता हूं कि कृपया यह बता दें कि किन-किन राजनेताओं और आई0 ए0 एस0 अफसरों के यहा छापे मारे गये थे।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जो प्रश्न है वह यह है कि किन-किन बड़े राजनेताओं और आई0 ए0 एस0 अफसरों के यहां छापे मारे गये थे ?

श्री हुकुम सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, यह एक सतत् प्रक्रिया चलती है और उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। मैंने कहा कि बिजली चोरी के सम्बन्ध में कोई छापे नहीं मारे गये, बकायेदारों की जो सूची थी, एक लम्बी सूची है यही जमा करने हेतु छापे मारे गये थे, चाहें तो मैं बकायेदारों की वह सूची आपको दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष-

आपने प्रश्न पूछा है कि कितने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों और कितने राजनेताओं के यहां छापे डाले गये। मंत्री जी ने बताया है कि छापे नहीं डाले गये ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, बकायेदार कौन से हैं, उनकी सूची बता दें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, सूची लम्बी है। माननीय सदस्य देखना चाहें तो हमारे चेम्बर में आ जायँ वहाँ देख लें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्न केवल लखनऊ के सम्बन्ध में है। समय और स्थान स्पष्ट है। स्पेसिफिक सवाल है तो उसका स्पेसिफिक उत्तर दें इसमें लम्बी सूची का सवाल नहीं है। आपके पास पूरी जानकारी न हो तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें या माननीय मंत्री जी समय ले लें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, आपका नाम सूची में नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह आक्षेप है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा नाम तो है नहीं लेकिन आपका नाम जरूर है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

संभवतः इसमें मंत्री जी का नाम है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ बिजली चोरी और किसी प्रकार की चोरी आपके समय में होती रही है वह आगे नहीं होने पायेगी उसको रोकने के लिये पूरा प्रयास किया गया है।

(उत्तर पढ़ा गया)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार ने कहा है कि सूची है। जब मंत्री जी के पास सूची है तो नाम बताने में क्या हर्ज है ? सरकार बिजली चोरों को संरक्षण दे रही है। मैं आपका कृपा पूर्वक संरक्षण चाहता हूं, आप सूची मंगवा लें, हम आपके कक्ष में देख लेंगे। आप सरकार को निर्देश दें कि वह सूची आपके पास भेज दे।

श्री उपाध्यक्ष-

मैंने अगला प्रश्न ले लिया है और मंत्री जी ने उत्तर भी पढ़ दिया है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, सूचना बहुत लम्बी है, कुछ विशिष्ट नाम कहें तो पढ़ दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

विशिष्ट नाम नहीं पढ़े जायेंगे पूरे नाम पढ़े जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मंत्री जी से एक दो नाम बताने को तैयार हो गये थे लेकिन अगला प्रश्न ले लिया। मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी सूची को उपाध्यक्ष महोदय के पास भिजवा दें हम उसको देख लेंगे। यह सरकार बिजली चोरों और बकायेदारों को संरक्षण दे रही हैं हम तो सरकार की मदद करना चाहते हैं कि बकाये की वसूली करके रेवेन्यू में वृद्धि करे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं मंत्री जी दो बार सूची से नाम पढ़ने के लिये खड़े हुए लेकिन आपने अगला प्रश्न पुकार लिया। मेरा आग्रह है कि सूची को सदन के समक्ष मंत्री जी को पढ़ना चाहिए। चूंकि आप अभी तक इधर ही थे आपकी आंख इस तरफ ही होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

आपका अनुभव तो दोनों जगह का है।

श्री हुकुम सिंह-

जो बड़े बकायेदार हैं चाहे वह राजनीतिज्ञ के रूप में हों या वरिष्ट अधिकारी के रूप में उनके बारे में जानकारी पूरे सदन को और पूरे प्रदेश की जनता को होनी चाहिए। हमारी सरकार के समय ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई थी लेकिन आप उनको संरक्षण दे रहे हैं।

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

यह सूची कोई इस सरकार के समय की नहीं है यह आप लोगों के समय की है। आपने अपने समय का ही प्रश्न पूछा है। आप लोग ऐसे लोगों को भली प्रकार से जानते हैं। क्योंकि चोरी आप लोगों ने ही कराई है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मैंने अपने समय कार्यवाही की है इस समय तो हम केवल सूची मांग रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न ले लिया गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मंत्री जी ने बकायेदारों के सम्बन्ध में उत्तर दे दिया अब यह सदन की सम्पत्ति हो गयी तो अब सूची देने में क्या आपत्ति है ?

श्री आलमबदी-

उस समय जब चोरी हो रही थी तब आप लोग ही सत्ता में थे।

श्री हुकुम सिंह-

मैंने केवल सूची देने की बात कही है। इस सरकार में बिजली चोरी करने वालों और बकायेदारों को संरक्षण प्राप्त है। मंत्री जी सूची देने को तैयार नहीं हैं। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(मंत्री के अनुपूरक उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री हुकुम सिंह ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

तारांकित प्रश्न

*1—कुंवर रेवती रमण सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*2—श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*3—डा0 अशोक बाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*4—श्री अम्बिका चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*5—श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*6—श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार/स्वरोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्य योजना

*7—श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार अथवा स्वरोजगार उपलब्ध कराने सम्बन्धी किसी कार्य योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की रोजगार सृजन की अपनी कोई योजना नहीं है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सेवायोजन कार्यालयों में स्थापित शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवायोजन कार्यालयों द्वारा पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध नाम सम्प्रेषित करने की कार्यवाही की जाती हैं साथ ही उन्हें स्वतः रोजगार के लिये प्रेरित किया जाता है।

शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित हैं

श्री उपाध्यक्ष-

मंत्री जी प्रश्न सं0 7 का उत्तर पढ़ें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

यह मैंने पहले ही पढ़ दिया है।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई अनुपूरक प्रश्न करना चाहें।

(किसी सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न न करने पर)

*8—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में विधायकों द्वारा मतदान करने सम्बन्धी जानकारी

*9—श्री विश्राम सिंह यादव-

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य है परन्तु इनके अध्यक्षों के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत के अधिनियमों में संशोधन करके विधायकों को मत देने का अधिकार दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी हां।

जी नहीं।

संविधान के अनुच्छेद 243-ग की उपधारा (5) (ख) में यह व्यवस्था है कि मध्यवर्ती स्तर (क्षेत्र पंचायत) या जिला स्तर (जिला पंचायत) पर किसी पंचायत का अध्यक्ष उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा। विधायकगण पंचायत के पदेन सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य नहीं हैं।

श्री विश्राम सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने एक ही सवाल किया है कि विधायक जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत का पदेन सदस्य है फिर भी इसके बावजूद इनके अध्यक्षों के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता हो तो उसको करें ताकि हमकों मताधिकार मिल सके।

श्री बलराम यादव-

संविधान के 73वें और 74वें संशोधन में जो व्यवस्था की गयी वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है। राज्य सरकार इसमें अधिनियम बनाकर संशोधन करके विधायकों को मतदाता के रूप में भागीदार बनाये यह राज्य का विषय है ही नहीं।

*10—श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

*11—श्री शाकिर अली-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की मांग

*12—श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन कितना है तथा मांग कितनी है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये वर्ष 1988-89 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा अनपरा सी, लखवाड़ व्यासी एवं मनेरी भाली विद्युत गृहों की स्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया था ? यदि हां; तो उन पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उत्तर प्रदेश में औसत विद्युत उत्पादन 2500 से 2800 मे0वा0 है तथा कुल मांग 6800 से 7000 मे0वा0 है।

जी हां ।

धनाभाव के कारण अनपरा "सी" परियोजना (2×500 मेगावाट) पर कोई कार्य नहीं हुआ।

मनेरी भाली स्टेज-11(304 मे0वा0) एवं लखवाड़ व्यासी (3×100+2×60 मे0वा0) पर उ0 प्र0 शासन एवं पूर्व राज्य विद्युत परिषद् द्वारा क्रमशः 163 करोड़ व 243 करोड़ रुपया मार्च, 2001 तक व्यय किया जा चुका था। अब यह परियोजनायें उत्तरांचल राज्य में चली गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

मान्यवर, इस समय प्रदेश में विद्युत उत्पादन 2500 मेगावाट है और मांग 6800 और 7000 मेगावाट मेरा प्रश्न यह है कि इस समय प्रदेश में कितनी मेगावाट बिजली ग्रामीण अंचल में सप्लाई की जा रही है ? और इसकी व्यवस्था कहां से की गयी है और उस पर कितना खर्च आ रहा है ? प्रतिमाह आप कितने रुपये की बिजली खरीदकर ग्रामीण अंचल में सप्लाई कर रहे हैं ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि प्रदेश में औसत विद्युत उत्पादन 2500 से 2800 मेगावाट है और मांग 6800 से 7000 मेगावाट है। हमारा प्रयास है कि सम्पूर्ण रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाय। इस समय बिजली की कमी पड़ रही है जो कि हम एन0 टी0 पी0 सी0 से आयात करके प्रदेश को उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

कितनी बिजली सप्लाई कर रहे हैं और जो बिजली आप आयात कर रहे हैं उस पर कितना व्यय हो रहा है ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

लगभग 300 करोड़ रुपये प्रतिमाह बिजली के आयात पर खर्च हो रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले 10-12 सालों से अनेकों विद्युत प्रोजेक्ट स्वीकृत पड़े हैं लेकिन उन पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जबकि कई बार सदन में कहा गया कि हम जल्द ही उन पर कार्य प्रारम्भ करा देंगे। मैं आपके माध्यम से रोजा थर्मल पावर स्टेशन जो कि शाहजहांपुर में 1992 से स्वीकृत है, की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह 1992 में स्वीकृत हुआ था और कहा गया था कि इसका कार्य 2003 से प्रारम्भ करा दिया जायेगा लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हैं यह 566 मेगावाट पावर का प्रोजेक्ट है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

यह रोज़ा थर्मल पावर स्टेशन माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में आता है। जिस अन्तराल का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है कि इतना समय बीत जाने पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उस समय आपको सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था और आपकी ही सरकार थी। हमारी सरकार को तो बने अभी दो महीने हुए हैं। जो पूर्व में स्वीकृत योजनायें हैं, हमारा प्रयास होगा कि उन पर कार्य प्रारम्भ हो सके। इनको निजी क्षेत्र में लगाने की बात हुई थी और आपने अपने समय में निर्णय किया था लेकिन पता नहीं किस तरह की वार्ता की थी कि वे लोग कार्य आरम्भ नहीं कर सके। हमारी सरकार प्रयासरत है कि इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो सके और बिजली की कमी को दूर किया जा सके। आने वाले समय में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

बिरला और मुख्य मंत्री जी के बीच क्या वार्ता हुई है ?

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

लिखा नहीं जायेगा।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय सदस्य ने पूछा बिरला जी और मुख्य मंत्री जी से क्या बात हुई यह अच्छा संदेश वार्ता का परिणाम है आने वाले दिनों में प्रदेश में विद्युत व्यवस्था अच्छी रहे इसमें स्वालम्बी होने के लिये प्रभावी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय-

श्रीमन्, ग्रामीण अंचलों में 14 घंटे बिजली स्वीकृत की गई है तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अंचल में बिजली रात दस बजे के बाद दी जाती है कहीं शाम 6 बजे से रात

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दस बजे तक बिजली की आपूर्ति नहीं दी जाती है जबकि उसी समय गांव वालों को आवश्यकता होती है खाने पीने और विद्यार्थियों के पढ़ने का समय भी वही होता है जिसके कारण बहुत परेशानी होती है तो क्या मंत्री जी 6 बजे से 10 बजे रात तक एक फेस बिजली उपलब्ध कराकर गांववालों की समस्या का निदान करने का कष्ट करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष-

जब मैं अगला प्रश्न पूछ लूं उसके बाद अगर किसी माननीय सदस्य को पूछना है तो हाथ उठा दीजिये। अगले प्रश्न के बाद उस पर आमद नहीं लगती है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया है औद्योगिक जिलों में ग्रामीण अंचलों में विद्युत की उपलब्धता रहे इसके लिये समय सारिणी बनाई गई है यह एन0 टी0 पी0 सी0 को दृष्टिगत रखते हुए बनाई है प्रदेश में किन्हीं क्षेत्रों में कभी बिजली दिन में किन्हीं दूसरे क्षेत्रों में बिजली रात में दी जाती है यह प्रक्रिया है समय सारिणी के अनुरूप उपयोग किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसको देख लेंगे।

प्रदेश के महानगरों में नगर विकास विभाग द्वारा विकास कार्यों हेतु सरकार की योजना की जानकारी

*13—डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश के महानगरों में कराये जाने वाले विकास कार्यों हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश के महानगरों में कराये जाने वाले विकास कार्यों हेतु प्रदेश के 22 महानगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आवास विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण एवं सूडा/स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ब्लू प्रिन्ट तैयार किया जाता है। प्रदेश स्तर पर इस योजना की समीक्षा आवास विकास द्वारा की जाती है तथा महानगर स्तर पर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इसके संयोजक होते हैं तथा सम्बन्धित मण्डलायुक्त इसके अध्यक्ष होते हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे इन्होंने जो उत्तर दिया है उसके सम्बन्ध में, मैं जानना चाहूंगा आपने बताया है महानगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु समितियां हैं इनके द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ब्लू प्रिन्ट तैयार किया जाता है प्रदेश स्तर पर इसको देखा जाता है लेकिन जो महानगर स्तर पर ब्लू प्रिन्ट बनता है उसमें जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श नहीं होता है मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि महानगर की योजना जो बनाई जाये वहां उस शहर के जनप्रतिनिधि सम्मिलित किये जायें जो शहर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी शामिल किया जाए और उनसे विचार-विमर्श किया जाय, क्या सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इन सारे कार्यों के लिए क्योंकि कई विभागों का इससे मिला-जुला मामला है, नगर विकास से तो यह बहुत कम सम्बन्धित है, दूसरे विभागों से इसका तालमेल होकर ही कोई निर्णय लिया

जाता है। इन सदस्यों एवं रिप्रजेन्टेटिव के बारे में जो भ्रान्तियां हैं, उनकी सिफारिशों पर भी न केवल विचार किया जाता है, बल्कि शामिल भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अनदेखा किया जाता हो।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूं ऐसी समितियों में यदि जन प्रतिनिधियों को शामिल कर लेंगे तो उनके विचार भी आ जायेंगे। मैं चौथी बार आया हूं, कभी भी जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श नहीं किया जाता है, यदि सरकार इस पर विचार कर लेगी तो उचित होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं आपकी मूल मंशा का आदर करता हूं अगर इसे विषय का मुद्दा न बनायें तो आपसे यह भी दुख बताना चाहता हूं कि लखनऊ नगर निगम में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें 10-10 लाख रुपये दिया जाता है, काम करने के लिए यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है, न इसका कोई कानूनी जानता है लेकिन एक तरीका बना लिया है, 10 लाख रुपये हर सभासद को मिलना है। जहां कामों की जरूरत है उसका उपयोग होता है लेकिन बहुत से क्षेत्र हैं वही पत्थर उखाड़ना, मुजैक उखाड़ना और फिर लगा देना। मेरी यह मंशा नहीं है कि जनप्रतिनिधियों को शामिल न किया जाए, उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उनकी सिफारिशों पर विचार ही नहीं होना चाहिए बल्कि कार्य भी होना चाहिए। इस सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है, लेकिन घोषणा अभी नहीं की जा सकती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नगर पंचायतों से लेकर पूरे प्रदेश में सूडा का काम चल रहा है, सूडा में भी विधायक की कोई दखलंदाजी नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां सूडा का काम न हो रहा हो। क्या माननीय मंत्री जी सूडा में भी विधायकों की संस्तुतियों पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय सदस्य को इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पर नजर रख रहा हूं। आपकी शिकायत तो हो सकती है, जहां कार्य होना चाहिए उसके अलावा कार्य न हो और गुणवत्ता हो। इसमें पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन इसके बाद भी अगर कमी रहेगी तो देखेंगे कि क्या हो सकता है।

श्री सुखदेव राजभर-

अभी माननीय मंत्री जी ने एक बहुत ही आश्चर्य चकित घटना के बारे में उल्लेख किया है कि लखनऊ नगर निगम में यहां के प्रत्येक जनप्रतिनिधि को 10-10 लाख रुपये का आवंटन किया जाता है और दुख व्यक्त किया कि वही पत्थर और मुजैक उखाड़ना और फिर लगा देना। यह आपके संज्ञान में आया है यदि ऐसा है तो क्या आप इसे रोकने का काम करेंगे और जिन्होंने ऐसा किया है उनकी जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं दो महीने में यही सुन पाया हूं कि मुजैक की जगह पत्थर और पत्थर की जगह मुजैक क्योंकि यह सब आपके जमाने के समय की बात है, मैं इसे दिखाऊंगा और जो भी होगा करूंगा।

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

हर एक विधायक अपने क्षेत्र का विकास चाहता है। मान्यवर, जब बजट बनता है तो हर कारपोरेटर के वार्ड के लिए उनके बजट के अनुसार जितनी भी उनके वार्ड की आवश्यकता होती है, जो काम वह सजेस्ट करते हैं उसके अनुसार करा लिया जाता है। इसलिए मैंने एक ऐसा फण्ड बनाया था और जो सिफारिश विभागों को मिली कि हर सभासद की अपनी सीमा तक ही जिम्मेदारी है जो बड़ी सड़क उसके सामने से गुजरती है, वह कई वार्डों से होकर गुजरती है उसमें पैसा लगाने के लिए नहीं होता है उसके लिए यह बेसिक फोरम बनाया गया था। इसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दोनों चीजें अलग हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए पैसे का एलाटमेंट अलग बात है और किसी विधायक, सांसद की निधि का पैसा खर्च करना अलग बात है। चूंकि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही थी तो मैंने जानकारी दे दी। पैसा किसी की जेब में नहीं जाता है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां विकास हो चुका है और कुछ ऐसे क्षेत्रों का भी विकास हो जाये जहां धन की सही मायने में जरूरत है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, लखनऊ महानगर में एक ट्रैफिक प्लान है लेकिन प्रदेश के अन्य महानगरों में इतना ट्रैफिक हेजर्ड है कि दुर्घटनाएं होती हैं। वहां निकलना मुश्किल होता है। मैं माननीय नगर विकास मंत्री से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्य महानगरों में भी ऐसे ट्रैफिक प्लान बनाये जायें, बाईपास बनाये जायें, ताकि ट्रेफिक व्यवस्था ठीक हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अच्छा सुझाव है इस पर विचार किया जाएगा।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विद्युत व्यवस्था की मांग

*14-श्री सुखदेव राजभर, श्री लालजी वर्मा तथा श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी घोषणा के अनुसार तहसील मुख्यालयों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे विद्युत आपूर्ति करने में प्रतिदिन कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता होगी ? क्या उक्त अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि हां, तो किन श्रोतों से ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

प्रतिदिन 1200-1400 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता पड़ रही है।

जी हां।

प्रदेश के विद्युत गृहों से अधिक उत्पादन तथा सेन्ट्रल सेक्टर के विद्युत गृहों से अतिरिक्त विद्युत का आयात करके अतिरिक्त विद्युत की आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्युत गृहों में कितना उत्पादन हुआ है और एन0टी0पी0सी0 से कितनी बिजली ली है और कितना पैसा भुगतान किया है ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इस समय प्रदेश में जलीय विद्युत उत्पादन 300-400 मेगावाट और तापीय 2500-2600 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। अगर इससे पूर्ति नहीं होती है तो उसके लिए एन0टी0पी0सी0 से बिजली आयात करनी पड़ती है। लेकिन यह कल्याणकारी सरकार है। प्रदेश की जनता को रोशनी देनी है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर 14 घण्टे बिजली दी जा रही है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमने जो प्रश्न पूछा है कि उसका उत्तर नहीं आया है। हमने पूछा है कि कितनी बिजली एन0टी0पी0सी0 से ली जा रही है और उसका कितना भुगतान किया जा रहा है ? यह हमारा स्पेसिफिक क्वेशचन है। दो श्रोत आपके हैं तो मैंने दोनों का स्पेसिफिक पूछा है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, 53.07 मिलियन यूनिट एन0टी0पी0सी0 से खरीद रहे हैं और जो हमारी क्षमता है उसे प्रयास करके जितना ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सकता है प्रदेश में 14 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रदेश में 14 घंटा बिजली देने का हमारी सरकार का निर्णय है उस प्रतिबद्धता को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह कहा गया कि 53.07 मिलियन यूनिट खरीद रहे हैं तो उसके लिये कितना व्यय भार बढ़ा है ? दूसरा उत्तर में यह कहा गया कि हम बिजली का उत्पादन बढ़ाकर तो कुल कितना उत्पादन जब सरकार सत्ता में आयी थी, था और अब जबकि चौदह घंटे बिजली देने को कहा है तो कितना उत्पादन बढ़ा लिया है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि नगरीय क्षेत्र में यह बिजली काटकर ग्रामीण क्षेत्रों को दे रहे हैं। हमारे मेरठ में साढ़े नौ घंटे की कटौती हो रही है। बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही है। हम यह नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली न दी जाय, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में कटौती न की जाय। यह उचित नहीं है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, इतने ढेर सारे सवाल एक साथ पूछ लिये हैं ....

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने सिर्फ दो सवाल पूछे हैं उनका उत्तर यह नहीं दे पा रहे हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, जो मानक बनाये हैं उसमें यह है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चौदह घंटे और तहसील में चौदह घंटे बिजली आपूर्ति की जायेगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने सिर्फ दो प्रश्न पूछे हैं एक तो यह है कि कितना व्यय भार बढ़ा एन0टी0पी0सी0 से खरीदने पर और दूसरा यह कि उत्पादन कितना बढ़ा ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इसका उत्तर जल्दी दें क्योंकि प्रश्न प्रहर समाप्त हो गया है।

डा0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं वही बता रहा था। माननीय बाजपेयी जी ने पूछा था कि नगरीय क्षेत्र में कितनी बिजली दे रहे हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है इसलिये मैं लिखकर दे रहा हूं इसमें चर्चा करा दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, इसमें नियम-49 के अन्तर्गत चर्चा करा दें।

डा0 अशोक बाजपेयी-

आठ वर्ष में यह लोग तो एक मेगावाट भी नहीं बढ़ा पाये हैं।

*15-श्री दद्दू प्रसाद-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु उठाये गये उपयोगी कदम

*16-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति में सुधार लाये जाने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 सरकार द्वारा पावर कारपोरेशन लि0 के सुधार हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

1-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 में सरकार ने 850.00 करोड़ रुपये देने का प्राविधान किया है।

2-कर्मचारियों के भविष्य निधि के रुपये 1635 करोड़ की देयता की अधिगृहीत कर लिया गया है जिसके फलस्वरूप सरकार प्रत्येक 6 माह में इस पर अर्जित व्याज का भुगतान ट्रस्ट को करेगी, जिससे कर्मचारियों के भविष्य निधि का भुगतान सम्भव हो सकेगा।

3- 12-8-2003 को निगम को पुनः 4 वितरण कम्पनियों में विभाजित कर दिया है, जिससे यह कम्पनियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली कर प्रदेश की जनता को लाभान्वित करेगी।

4-प्रदेश सरकार ने 31-3-2003 तक विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उपयोग की गई बकाया विद्युत बिलों की धनराशि को राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को पूर्व में स्वीकृत किये गये ऋणों से समायोजित किये जाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार निगम पर ऋण का ब्याज एवं पुनर्भुगतान का भार कम होगा।

नोट :--तारांकित प्रश्न संख्या-14 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

5-निगम की राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिये निम्न प्रयास किये गये हैं :-

अ-औद्योगिक उपभोक्ताओं पर टी0ओ0डी0 मीटर की स्थापना।

ब-इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना।

स-100 बीएचपी से ऊपर के उपभोक्ताओं पर एमआरआई बिलिंग की प्रक्रिया लागू।

द-जीएमआई मैप के अनुसार लखनऊ, नोएडा एवं गाजियाबाद के उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रारम्भ।

6-भारत सरकार द्वारा घोषित एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, इलाहाबाद, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ, शाहजहांपुर एवं मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली सुधार का कार्य किया जा रहा है।

7-केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों एवं कोल इण्डिया के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के ऊपर दिनांक 30-9-2001 तक के दायित्वों को प्रदेश सरकार द्वारा अपने ऊपर ले लिया गया है इस प्रकार अब इन दायित्वों के निस्तारण का भार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के ऊपर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

*17-श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम इकबाल सिंह, श्री धर्मपाल सिंह तथा श्री घनश्याम शुक्ला-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

शारदा कैनाल सिंचाई विभाग, उ0प्र0 की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण को तत्काल हटवाने की मांग

18-श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शारदा कैनाल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की भूमि गाटा संख्या-1992ख, 1993 ख, 1999, 2020-ख, 2021, 2022-ख तथा 2024 जो एस0जी0पी0जी0 आई0 लखनऊ के निकट स्थित है, पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण करा लिया गया है, क्या इसके मानचित्र की स्वीकृति एल0डी0ए0 ने परमिट सं0-ए-29, दिनांक 6-8-96 द्वारा दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि पर हुये अवैध निर्माण को तत्काल हटाने व मानचित्र की स्वीकृति के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मात्र खसरा संख्या 1992, 1993, 2022 पर ऋषि लोक सहकारी आवास समिति द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व संबंधी अभिलेखों एवं निर्विवाद भूमि संबंधी शपथ-पत्र के आधार पर कतिपय शर्तों के साथ तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। अवशेष खसरा नम्बरों पर निमाण के विषय में जांच कर कार्यवाही की जा रही है।

जी. हां, उपरोक्तानुसार खसरा संख्या 1992, 1993, 2022 पर तलपट मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अवैध निर्माणों के विषय में जांच कर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी। मानचित्र स्वीकृति के लिये किसी का दोष परिलक्षित नहीं होता।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री नारद राय-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

2-श्री दिनेश सिंह-

[मंत्रि परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद बलिया में सब-स्टेशन माल्दा के ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग

3-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जनपद में माल्दा सब-स्टेशन 33 के0वी0ए0 का है जिसका ट्रांसफार्मर लगभग 2 माह पूर्व जल गया है जिससे लगभग 60 से 70 ग्रामों में बिजली आपूर्ति बन्द है ? यदि हां, तो उक्त ट्रांसफार्मर कब तक बदल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

माल्दा सब-स्टेशन 33/11 के0वी0 का है जिसका ट्रांसफार्मर दिनांक 30-6-2002 को जल गया था।

जी नहीं।

ट्रांसफार्मर दिनांक 27-7-2002 को ही बदल दिया गया था जिससे जुड़े सभी गांवों की विद्युत आपूर्ति दिनांक 27-7-2002 से ही चालू हो गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में भूमि पर विद्युत केबिल बिछाने में करोड़ों रुपये व्यय बेकार हो जाने की जांच

4-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 4385बी0पी0-3/2000-24ऊर्जा अनुभाग-3, दिनांक 12 दिसम्बर, 2000 द्वारा वाराणसी शहर में 11 के0वी0 तथा 33 के0वी0 के भूमिगत केबिल बिछाने पर करोड़ों रुपये का व्यय बेकार हो जाने की जांच पूर्ण कर ली गई है ? क्या उक्त की जांच अलग से जिलाधिकारी, वाराणसी से कराये जाने एवं जांच रिपोर्ट सचिव, ऊर्जा विभाग को अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-1933/एस0कैम्प-2001, दिनांक 26-4-2001 सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो महाप्रबन्धक, वाराणसी द्वारा की गई जांच आख्या तथा जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पत्र में उल्लिखित "केबिल फाल्ट डिटेक्टर मशीन" का प्रबन्ध विभागीय स्तर पर कर ली गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

महाप्रबन्धक (वितरण) वाराणसी क्षेत्र ने जांच पूर्ण कर ली है परन्तु जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा कराई गई कथित जांच आख्या प्राप्त हुई नहीं प्रतीत होती है, जिसे जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जी हां।

जिलाधिकारी, वाराणसी से जांच आख्या प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक वाराणसी से प्राप्त जांच आख्या सहित सदन के पटल पर रखने की कार्यवाही की जायेगी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संबंधित उपकरण क्रय किये जाने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

5-6-श्री नारद राय-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

7-श्री शाहिद मंजूर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद आगरा के मोहल्ला बारह भाई की कतिपय गलियों के विद्युत तारों को बदलवाने संबंधी जानकारी

8-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के मोहल्ला बारह भाई गली बेलनगंज, भगत सिंह की मूर्ति से लेकर चित्रा सिनेमा वाली गली नूरी दरवाजा, टकसाल वाली गली रावत पाड़ा, फाटक सूरजभान वाली गली बेलनगंज, पाती राम गली, कचहरी घाट, ऊंट वाली गली, कचहरी घाट तथा भैरो पार्क गली भैरो बाजार के विद्युत तार ढीले और लटक गये हैं ? क्या सरकार ढीले तारों को कसवाकर खराब तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। विद्युत तारों को दिनांक 10 अगस्त, 2002 को ठीक करा दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के राष्ट्रपिता म्युनिसिपल इण्टर कालेज के सेवा निवृत्त शिक्षक/कर्मचारी के पेंशन निर्धारण संबंधी जानकारी

9-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपिता म्युनिसिपल इण्टर कालेज, शाहाबाद, जनपद हरदोई के जो शिक्षक/कर्मचारी वर्ष 1994 में सेवानिवृत्त हुये थे, उनका पेंशन निर्धारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त लिपिक को भी पेंशन स्वीकृत कर दी गई है ? यदि नहीं तो पेंशन स्वीकृत न किये जाने के संबंध में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पेंशन आदेश निर्गत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्ष 1994 में केवल श्री ब्रह्म प्रकाश मिश्रा लिपिक ही सेवानिवृत्त हुये थे। उनके जी0पी0एफ0 का निर्धारण कर दिया गया है।

श्री मिश्रा को पेंशन नहीं दी जा रही है क्योंकि वे जी0पी0एफ0 योजना से आच्छादित नहीं थे बल्कि सी0पी0एफ0 योजना से आच्छादित थे, जिसका भुगतान किया जा चुका है।

कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के गांवों का विद्युतीकरण

10-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में वित्तीय वर्ष 1999, 2000, 2001, 2002 में विधायक के प्रस्ताव पर कितने गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं और उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? शेष गांवों का विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में मा0 विधायक/विधान परिषद् सदस्यों द्वारा वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण हेतु 10 ग्राम चयनित थे, इन ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

वर्ष 2000-2001 में विद्युतीकरण हेतु 10 ग्राम चयनित थे, जिनका धनाभाव के कारण विद्युतीकरण शेष है।

वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 में मा0 विधायकों द्वारा कोई ग्राम चयनित नहीं है।

शासन की नीति के अनुसार निधि एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर शेष ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा।

महमूदाबाद, जनपद सीतापुर के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

11-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महमूदाबाद जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम धरमपुर, जहानपुर, भिटौरा, खाफा, सरैया, चलाकापुर, जयरामपुर का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ग्राम धरमपुर का विद्युतीकरण दिनांक 16-1-2002 को कर दिया गया है। ग्राम भिटौरा एवं चलाकापुर पहले से विद्युतीकृत हैं।

शेष ग्राम-खफा, सरैया एवं जयरामपुर विद्युतीकृत नहीं हैं।

ग्राम जहानपुर विद्युतीकरण हेतु किसी भी वर्ष में चयनित नहीं है।

उपरोक्त संदर्भित अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों के अभाव में फिलहाल संभव नहीं है।

मो0-शिवपुरी, कल्याणपुर जनपद-लखनऊ में बिजली के छः पोल लगवाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

12-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मो0-शिवपुरी, कल्याणपुर, निकट भुइयन देवी मंदिर, लखनऊ में बिजली के छः पोल लगवाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक घ-2-नं0-055921,

दिनांक 15 मई, 2002 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

परन्तु प्रश्न में निहित तथ्यों के संबंध में मा0 विधायक द्वारा नियम 300 के अन्तर्गत' दी गई सूचना प्राप्त हुई है।

उक्त नियम 300 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित कार्यों का प्राक्कलन एवं पैकेज स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में अयोध्या दास वार्ड लोनी कटरा, खदरा में कमला की चक्की से निर्मित खड़न्जा मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने की मांग

13-श्री अजीम भाई-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि अयोध्या दास वार्ड लोनी कटरा खदरा लखनऊ में कमला की चक्की से निर्मित खड़न्जा मार्ग पर अभी तक बिजली के खम्भे व स्ट्रीट लाइट नहीं लगायी गई है जिससे अंधेरे में वहां के नागरिकों को आने जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

सम्बन्धित मार्ग प्रकाश व्यवस्था पर रुपये 85,000.00 की लगभग व्यय आना अनुमानित है। नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है जिस कारण संबंधित कार्य हेतु वे संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हैं।

जनपद चन्दौली के चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

14-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत जनपद-चन्दौली के चयनित ग्रामों की सूची उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश संख्या-1102/रेस्पो/ग्रा0वि0/वी0आई0पी0/प्र0मं0ग्रा0यो0, दिनांक 4-3-02 संलग्न कर विधायकों को उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो इसमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण अब तक हो गया है ? शेष चयनित गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत जनपद-चन्दौली के चयनित 57 ग्रामों में से 34 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो गया है।

शेष चयनित 23 ग्रामों का विद्युतीकण सामग्री एवं निधि उपलब्ध होने पर करा दिया जायेगा।

15-श्री विजय सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

16-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

17-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद लखनऊ, फैजाबाद रोड स्थित ग्राम-इस्माइलगंज में अनाधिकृत निर्माण हटाकर भूमि को मुक्त कराये जाने की मांग

18-श्री ओंकार सिंह तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में फैजाबाद रोड पर स्थित ग्राम-इस्माइलगंज में नगर निगम की भूमि खसरा सं0-1135, 1162, 1164, 1166 के आधे भाग पर लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा करके निर्माण कार्य करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि से अनधिकृत निर्माण हटाकर भूमि को मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

ग्राम इस्माइलगंज की खसरा संख्या-1164 व 1166 नगर निगम की नहीं है। खसरा संख्या-1135, 1162 जो नगर निगम में निहित है के कुछ भाग पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिये गये हैं।

जी हां। नगर निगम में निहित खसरा संख्या-1135 व 1162 स्थित ग्राम इस्माइलगंज पर किये गये अवैध कब्जों में से 10 अवैध कब्जे दिनांक 17-7-2003 को, शेष 2 अवैध कब्जों में से मात्र एक अवैध कब्जा ही हटाया जा सका। खसरा सं0-1135 पर श्रीमती सून्दरा देवी का एक अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका जिसे यथाशीघ्र हटा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास एवं विकास परिषद् जनपद लखनऊ द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजनान्तर्गत भूमि का अर्जन व कब्जा

19-श्री ओंकार सिंह तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इन्दिरा नगर विस्तार योजना (द्वितीय) लखनऊ के लिये वर्ष 1984 में 1760 एकड़ भूमि अर्जित करने हेतु एक अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु कितने एकड़ भूमि को अर्जित कर कब्जा ले लिया गया है और कितने एकड़ भूमि का कब्जा लिया जाना शेष है ? शेष भूमि का कब्जा कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश संख्या-3116/9-आ-2-01-3 एच0बी0/89, दिनांक 25-9-01 द्वारा 546.767 एकड़ भूमि एवं शासनादेश संख्या-868/9-आ-2-2003, दिनांक 17-5-03 द्वारा 16.57 एकड़ भूमि (कुल 503.337 एकड़) के लिए धारा-31 (2) की स्वीकृति दी गयी। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7/17 के अन्तर्गत शासनादेश/अधिसूचना क्रमशः पत्र संख्या-660/9-आ-2-2002, दिनांक 2-4-2002 व पत्र संख्या-305/9-आ-2-2002, दिनांक 2-4-2002 को निर्गत होने के उपरान्त 546.767 एकड़ भूमि का कब्जा दिए जाने हेतु परिषद् के पत्र संख्या-1535, दिनांक 29-7-2002 द्वारा अपर जिलाधिकारी भू0अ0 से अनुरोध किया गया है। भूमि का कब्जा अभी तक नहीं मिला है।

त्रुटिवश ग्राम कंचनपुर मटियारी की 16.57 एकड़ भूमि की सूचना शासन को परिषद् द्वारा उपलब्ध न कराये जाने के कारण उक्त भूमि धारा-31 (2) के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं हो सकी थी। जिसके लिए पुनः धारा-31 (2) की स्वीकृति शासन के उपरिसंदर्भित पत्र द्वारा दी गयी है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7/17 के आदेश/अधिसूचना परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त निर्गत कर दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

20-21-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

22-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद मुरादाबाद में चन्दौसी की आवास विकास कालोनी से निकले नाले को पक्का कराये जाने की मांग

23-श्रीमती गुलाब देवी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मुरादाबाद में चन्दौसी की आवास विकास कालोनी से होता हुआ एक गन्दा कच्चा नाला खुर्जा गेट (मलिन बस्ती) से रामबाग की ओर बहता है ? क्या सरकार इस नाले को पक्का कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

संविधान के 74वेंसंशोधन के उपरान्त अनुच्छेद 243-3 के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के उपरान्त राज्य सरकार के राजस्व का स्थानीय निकायों को संक्रमण राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में निकायों को सीधे कर दिया जाता है। संबंधित स्थानीय निकाय उस वित्तीय सहायता का उपयोग स्वयं उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर करते हैं। उक्त संवैधानिक व्यवस्था 01 अप्रैल, 1997 से लागू कर दिये जाने के उपरान्त किसी कार्य विशेष हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। इसलिये अब राज्य सरकार द्वारा स्वयं इस प्रकार के कार्य किये जाने अथवा इस हेतु कोई विशेष अनुदान दिया जाना अपेक्षित नहीं है। नगरपालिका अधिनियम, 1916 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत नाला निर्माण इत्यादि का दायित्व संबंधित निकायों का है, जिसे उसके अपने संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सम्पन्न कराने की अपेक्षा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के रासपुर बाजार में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

24-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर (सु0) जनपद-आजमगढ़ के रासपुर बाजार में पशु चिकित्सालय न होने से पशुओं का इलाज नहीं हो पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पशु चिकित्सालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह)-

जी नहीं।

क्योंकि उक्त स्थान पर पूर्व से पशु सेवा केन्द्र संचालित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

25-श्री अम्बिका चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

26-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद लखनऊ काकोरी ब्लाक के फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र द्वारा पारा कालोनी में नाग मन्दिर के सामने ट्रांसफार्मर स्थापित करने की मांग

27-चौधरी धूराम लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के काकोरी ब्लाक के अन्तर्गत फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र द्वारा पारा कालोनी में नाग मन्दिर के सामने स्थापित 250 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु 500 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

400 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर दिनांक 23-1-2003 को स्थापित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम कालोनी में नाग मन्दिर के पूर्वी हिस्से में स्थित मकानों के सामने प्रदूषित जल की समुचित निकासी हेतु सीवर लाइन डलवाने की मांग

28-श्री अनिल कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारा कालोनी राजाजीपुरम, लखनऊ में पारा रोड पर नाग मन्दिर के पूर्वी हिस्से में स्थित मकानों के सामने प्रदूषित जल की समुचित निकासी न होने के कारण जल भराव बना रहता है ? यदि हां, तो क्या उक्त मकानों के सामने से शान्ति शिक्षा मन्दिर तक सीवर लाइन डाली जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न में इंगित क्षेत्र के प्रदूषित जल के निकासी की समुचित व्यवस्था कर दी गयी है।

उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष के उत्पीड़न एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लि0 के संबंध में माननीय जय प्रकाश विधायक, मा0 हरदेव सिंह विधायक, मा0 तीरथ सिंह रावत, एम0एल0सी0 एवं मा0 भगत सिंह कोश्यारी, एम0एल0सी0 का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 2-10-2000 जो मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को संबोधित है जिसमें उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष के उत्पीड़न एवं अद्यतन स्थिति से अवगत कराने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की बिन्दुवार स्थिति क्या है ? क्या इस संबंध में बी0 बी0 भाटिया, महाप्रबन्धक यू0पी0पी0सी0 एल0 द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

संदर्भित पत्र दिनांक 2-10-2000 में उठाये गये बिन्दुओं की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :-

(क) श्रीनन्द लाल जायसवाल का स्थानान्तरण देहरादून हो जाने के उपरान्त उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायलय से स्थगन आदेश पारित किया गया था जिसे मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। श्री जायसवाल वर्तमान में उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0, लखनऊ में तैनात हैं।

(ख) श्री जायसवाल को उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 तथा पावर कारपोरेशन में तैनाती की अवधि का पूरा वेतन भुगतान किया जा चुका है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के महाप्रबन्धक (का0 प्र0) द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न की जांच

30-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के महाप्रबन्धक (का0 प्र0) द्वारा कर्मचारियों के उत्पीड़न की जांच एवं समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने तथा देय अवशेष के भुगतान विषयक मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 6-12-2002 एवं 17-12-2000 मा0 मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अभिलेखों के अनुसार दिनांक 6-12-2002 का पत्र प्राप्त हुआ और दिनांक 17-12-2002 का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

संदर्भित पत्र में की गई शिकायतों/आरोपों की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

31-32-श्री विमल कृष्ण अग्रवाल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

33-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

34-श्री विमल कृष्ण अग्रवाल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद लखनऊ स्थित बुद्धेश्वर चौराहे से फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र तक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

35-श्री होशियार सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहान रोड लखनऊ स्थिति बुद्धेश्वर चौराहे से फतेहगंज विद्युत उपकेन्द्र तक स्ट्रीट लाइटिंग न होने के कारण अंधेरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्ट्रीट लाइट लगाकर मार्ग प्रकाश की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

कार्य पर लगभग धनाँक रुपया 60,00,000.00 का व्यय अनुमानित है जो नगर निगम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में कराया जाना प्रस्तावित नहीं है। धन की उपलब्धता के आधार पर मा0 कार्यकारिणी/मा0 सदन की स्वीकृति के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव है।

संविधान के 74वें संशोधन के उपरान्त नगर निगम संवैधानिक संस्थान के रूप में स्थापित है, जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र के अधीन विभिन्न कार्यों की प्राथमिकताएं उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत निर्धारित करते हुए उनका निर्वहन करना होता है। उनके कार्य क्षेत्र में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में लोहा मण्डी वार्ड में अमरपुरा से सराय वोदला तक के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने की मांग

36-डा0 रामबाबू हरित-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में लोहा मण्डी वार्ड में अमरपुरा गांव से सराय वोदला तक तथा कस्तूरबा गांधी कच्चा मार्ग पुलिस चौकी, गोकुलपुरा से नालबन्द चौराहा तक नाले के किनारे कच्चे मार्गों को पक्का कराने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

लोहा मण्डी वार्ड में अमरपुरा से सराय वोदला तक नाला पूर्णतया कच्चा है। इस स्थिति में इस पर खड़न्जा निर्माण सम्भव नहीं है। लगभग 1710 मी0 लम्बाई के कच्चे नाले के निर्माण एवं इसमें एक ओर खड़न्जे का पाथ-वे के लिए रु0 86.14 लाख का व्यय अनुमान बनाया गया है।

लोहा मण्डी वार्ड में वोदला क्रासिंग से नालबन्द पुलिया तक कस्तूरबा गांधी मार्ग सम्मिलित करते हुए खड़न्जा निर्माण हेतु रुपया 41.89 लाख के व्यय अनुमान की स्वीकृति पथकर निधि के अन्तर्गत प्रदान की गयी है। रुपया 41.89 लाख की धनराशि पथकर निधि से प्राप्त हो गयी है तथा स्थल पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में राजा मण्डी चौराहे का नाम बदलकर अमर शहीद कैप्टन आशीष देवा रखने की मांग

37-डा0 रामबाबू हरित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहीद कैप्टन आशीष देवा का निधन दि0 9-6-2002 को भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग फटने से हुआ था ? यदि हां, तो क्या उनके सम्मान में जनपद आगरा में राजा मण्डी चौराहा का नाम बदलकर अमर शहीद कैप्टन आशीष देवा तथा शहीद स्मारक संजय प्लेस में भव्य तैल चित्र लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

जी हां।

शहीद कैप्टन आशीष देवा के सम्मान में आगरा नगर निगम के चौदहवें अधिवेशन की चतुर्थ बैठक दिनांक 10-03-2003 में राजा मण्डी चौराहा का नाम शहीद आशीष देवा चौक रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शहीद स्मारक संजय प्लेस में अमर शहीद कैप्टन आशीष देवा का भव्य तैल चित्र लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में पुनिया पाडा, जोशियान मोहल्ला, राजनगर आदि क्षेत्रों के खराब विद्युत तारों को बदलवाने की मांग

38-डा0 रामबाबू हरित-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जर्जर विद्युत पोल व विद्युत तारों को बदलवाने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार आगरा जनपद में पुनिया पाडा, जोशियान मोहल्ला, रूई की

मण्डी, राजनगर आदि क्षेत्रों के खराब विद्युत तारों को बदलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जर्जर विद्युत पोल व विद्युत तारों को आवश्यकतानुसार बदला जाता है।

जी हां।

आगरा शहर के पुनिया पाडा, राजनगर रूई की मण्डी क्षेत्रों में टूटे पोल व जर्जर तारों को बदला जा चुका है।

जोशियान मोहल्ला के विद्युत पोल व जर्जर तार बदलने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत जांच समिति द्वारा अधिकारियों को दिये गये आरोप-पत्र व जांच

39-श्री नरेन्द्र सिंह सिसोदिया-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत जांच समिति द्वितीय द्वारा वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 में कुल कितने अधिकारियों को आरोप-पत्र देकर जांच प्रारम्भ की गई तथा कितने अधिकारियों को इसी अवधि में जांच समिति द्वितीय द्वारा दोषमुक्त किया गया ? क्या यह सही है कि इस संदर्भ में मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम0एल0सी0 एवं मा0 नरेन्द्र सिंह सिसोदिया, विधायक का पत्र दिनांक 6-7-2002 एवं 20-11-2002 जोकि गलत रिपोर्ट देने की सी0बी0आई0 द्वारा जांच कराने विषयक है, मुख्य सचिव/सी0एम0 डी0यू0पी0पी0सी0एल0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अन्तर्गत जांच समिति द्वितीय द्वारा वर्ष 2000-2001, 2001-2002 एवं 2002-2003 में कुल 328 अधिकारियों को आरोप-पत्र देकर जांच प्रारम्भ की गई तथा 77 अधिकारियों को इसी अवधि में जांच समिति द्वितीय द्वारा दोषमुक्त किया गया।

जी हां।

मा0 विधायकगणों के पत्र दिनांक 6-7-02 में उल्लिखित आरोपों के संदर्भ में सम्पूर्ण प्रकरण का पुनरावलोकन कर पुनः जांच पुनर्गठित जांच समिति द्वारा कराई जा चुकी है। जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

पत्र दिनांक 20-11-2002 जिसमें श्री आर0 के0 शर्मा, मुख्य महाप्रबन्धक (जांच) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर, आरोप-पत्र देने, श्री शर्मा के पेंशन एवं अन्य देयों को रोकने तथा उनके विरुद्ध सी0बी0आई0 जांच कराये जाने की मांग की गई थी। पर सम्यक विचारोपरान्त उन्हें निलम्बित करने, आरोप-पत्र देने तथा उनके पेंशन एवं अन्य देयों को रोकने का कोई युक्तायुक्त आधार नहीं पाया गया।

40-43-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

नगर पालिका परिषद्, तिलहर, को जनपद शाहजहांपुर शासन से अनुदान तथा करों के रूप में प्राप्त धनराशि तथा उसका व्यय

44-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् तिलहर जनपद-शाहजहांपुर को शासन से अनुदान के रूप में तथा नगर पालिका करों के रूप में दि0 1-4-99 से 31-3-03 तक

कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा उसे किन-किन मदों में व्यय की गयी ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नगर पालिका परिषद्, तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर को दिनांक 01-4-99 से 31-3-2003 तक राज्य वित्त आयोग/दशम/11वां वित्त आयोग की संस्तुतियों, संगठित विकास योजना एवं निजी श्रोतों से कुल राशि रुपया-54667108/. प्राप्त हुई है। इस राशि में से अधिष्ठान मद में रुपया-15452269/., सफाई व्यवस्था हेतु रु0-18789730/-, सड़क निर्माण हेतु रु0-7273957/., जलापूर्ति हेतु रुपया-2934110/., प्रकाश व्यवस्था हेतु रु0-1544938/. भवन रख-रखाव पर रु0-519511/. एवं विविध व्यय (प्रिटिंग चार्जेज, भविष्य निधि, नजूल चतुर्थांश, जमानतों की वापसी आदि) में रु0-2032025/. व्यय की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में पाइप खरीद/नाला सफाई तथा पालिका की दुकानों के आवंटन में की गयी अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

45-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 22-10-02 जो जनपद शाहजहांपुर में पाइप खरीद, नाला सफाई तथा पालिका की दुकानों के आवंटन में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में था, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, तिलहर जनपद-शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा का प्रश्नगत पत्र दिनांक 22-10-2002 के माध्यम से नगर पालिका परिषद् तिलहर की दुकानों के आवंटन, नालों की सफाई, सड़क खडन्जा, सीमेन्टेड रोड बनाने एवं जलकल पाइप खरीद के संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद तिलहर शाहजहांपुर से विवरण/प्रक्रिया के संबंध में सूचना उन्हें या उनके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में था। उपरोक्त बिन्दुओं पर वांछित विवरण/सूचना अधिशाषी अधिकारी के पत्र दिनांक 16/18 दिसम्बर, 2002 द्वारा मा0 सदस्य के प्रतिनिधि श्री अजय पाठक को दिनांक 19 दिसम्बर, 2002 को प्राप्त करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण एवं लाइन चालू कराने विषयक जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

46-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-8-2002 जो कि ग्राम-नदैया रामपुर एवं अमरेडी का विद्युतीकरण न करना तथा मदनापुर छेदा पट्टी लाइन चालू करने के सम्बन्ध में व पांच ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 2000-2001 से अभी तक न किये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या-2011 दि0 18-8-02 द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम नदैया रामपुर का विद्युतीकरण न कराए जाने के संबंध में जांच करायी गयी। जांचोपरान्त अवर अभियन्ता को दोषी पाये जाने पर दंडित किया गया। ग्राम अमरेडी का विद्युतीकरण दिनांक 31-1-2001 को कर दिया गया। मदनापुर छेदा पट्टी की लाइन का तार चोरी होने के उपरान्त प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी एवं सामग्री प्राप्त कर लाइन दिनांक 4-7-2003 को चालू कर दी गयी। वर्ष 2000-2001 के पांच ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की कमी के कारण नहीं कराया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के माया नगर मोहल्ले की सड़कों का डामरीकरण

47-श्री मस्त राम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-लखनऊ के माया नगर मोहल्ले पुराना नाम-मेड़ई का पुरवा की सड़कों का डामरीकरण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो डामरीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

माया नगर मोहल्ले की सड़कों की चौड़ाई डेढ़ से ढाई मीटर के मध्य है। जिसमें रोड रोलर पहुंच नहीं सकता, जिसके कारण इनका डामरीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ छोटा चांदगंज के रास्ते में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने सम्बन्धी श्रीमती राम प्यारी देवी मिश्रा के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

48-श्री मस्त राम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छोटा चांदगंज, लखनऊ के मकान सं0-496/137 तथा मकान नम्बर-496/138 के बीच रास्ते में किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु श्रीमती राम प्यारी देवी मिश्रा पत्नी स्व0 हर प्रसाद मिश्रा का प्रार्थना-पत्र अपर मुख्य नगर अधिकारी (प्रथम) जोन-3 लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 12-6-2002 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ माया नगर मोहल्ले में सीवर लाइन की व्यवस्था की मांग

49-श्री मस्त राम-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-लखनऊ में माया नगर मोहल्ले (पुराना नाम-मेड़ई का पुरवा) में सीवर लाइन अधूरी होने के कारण वहां के निवासियों को कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस मोहल्ले में सीवर लाइन डालने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। प्रश्नगत माया नगर मोहल्ले में कोई सीवर लाइन नहीं डाली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत क्षेत्र में सीवर का डिस्पोजल न होने के कारण सीवर लाइन डालने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विभागीय मत्स्य **प्रक्षेत्रों पर उत्प्रेरित प्रजनन केन्द्र द्वारा मत्स्य बीज का उत्पादन**

50-डा0 कौशल किशोर-

क्या मत्स्य उत्पादन मंत्री कृपया बतायेंगे कि विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों पर उत्प्रेरित प्रजनन केन्द्र द्वारा क्या मत्स्य बीज उत्पादन किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 मे प्रक्षेत्रवार उत्पादन क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मत्स्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शंख लाल मांझी)-

जी हां।

(1) प्रदेश में मत्स्य विभाग के अधीन 12 प्रक्षेत्रों पर उत्प्रेरित प्रजनन विधि द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य किया जाता है। वर्ष 2002-2003 में प्रक्षेत्रवार मत्स्य बीज उत्पादन निम्नवत है :-

प्रक्षेत्र का नाम	मत्स्य बीज उत्पादन (लाखों में)
1-लड़ामदा	2.39 लाख
2-निधरिया	17.00 लाख
3-बेल्हा	13.67 लाख
4-पूरे तिवारी	29.15 लाख
5-सेदपुर	24.36 लाख
6-बलेली	7.80 लाख
7-विक्रमपुर	29.40 लाख
8-नवाबगंज	10.52 लाख
9-दीनदासपुर	21.01 लाख
10-नन्दगंज	12.50 लाख
11-गूजरताल	58.29 लाख
12-रामपुर मनिहारन	11.98 लाख

(2) उ0 प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0, लखनऊ के अधीन 11 मत्स्य बीज उत्पादन हैचरियों से मत्स्य बीज उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 में निगम की हैचरियों से हैचरीवार उत्पादन का विवरण निम्नवत् है :-

हैचरी का नाम	मत्स्य बीज उत्पादन (लाख में)
1-गोमती हैचरी	213.72 लाख
2-त्रिवेणी हैचरी	323.45 लाख
3-अमेठी हैचरी	243.46 लाख
4-सरयू हैचरी	208.68 लाख
5-राप्ती हैचरी	180.00 लाख
6-गोरखनाथ हैचरी	198.01 लाख

7-शारदा हैचरी	185.22 लाख
8-खुंटार हैचरी	313.19 लाख
9-काशीपुर हैचरी	266.62 लाख
10-परीक्षितगढ़ हैचरी	238.42 लाख
11-कोच हैचरी	270.71 लाख
	योग-2641.78 लाख

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद सीतापुर सेटेलाइटसेन्टर नामक दुकान के सामने अवरुद्ध मार्ग को खुलवाने की मांग

52-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि महमूदाबाद जनपद-सीतापुर में सेटेलाइट सेन्टर नामक दुकान के सामने भू-माफियाओं ने कब्जा करके दुकाने खड़ी कर ली हैं जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अवरुद्ध मार्ग खुलवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। श्री प्यारे लाल पुत्र श्री बल्देव निवासी मोहल्ला-ठठेरी बाजार महमूदाबाद द्वारा गाटा संख्या-370/0-051 हे0 जो राजस्व अभिखेलों में रास्ता दर्ज है, पर भवन/दुकानों का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किया गया है, जिसके हटाये जाने के संबंध में नगर पालिका परिषद् द्वारा नोटिस निर्गत की गई है। सेटेलाइट सेन्टर नामक दुकान के सामने का मार्ग अवरुद्ध नहीं है।

नोटिस प्राप्त होने पर श्री प्यारे लाल द्वारा मा0 न्यायालय सिविल जज (सी0 डी0) सीतापुर के यहां वाद प्रस्तुत किया जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण तक इमारत ध्वस्त न किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश को निरस्त कराने की कार्यवाही नगर पालिका परिषद् द्वारा की जा रही है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायत की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

53-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महाप्रबंधक (वितरण) आगरा के पत्र दिनांक 15-6-2002 एवं पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-2558-अधि0-प्रब0-04/पाकालि/2002-9(43) 90, दिनांक 3-6-2002 जो सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायत की जांच विषयक है, जांच अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद खण्ड (वितरण) आगरा द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट महाप्रबन्धक (वितरण) आगरा को प्रस्तुत की गयी है ? क्या यह सही है कि इस संबंध में उपमहामंत्री, उ0 प्र0

विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 22-4-2003 सी0 एम0 डी0 यूपीपीसीएल, को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उनके वर्तमान पदों से स्थानान्तरित कर दिया गया है। संबंधत सहायक अभियन्ताओं की परिसम्पत्तियों की जांच उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सतर्कता शाखा द्वारा कराये जाने के आदेश जारी कर दिय गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ राजाजीपुरम् निवासी श्री एस0 एन0 कुरील के मकान के निकट लगे ट्रांसफार्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

54-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एस0 एन0 कुरील निवासी "सी" 193/1, राजाजीपुरम्, लखनऊ का पत्र दिनांक 26-12-2002 तथा 17-2-03 जो उनके मकान के निकट लगे ट्रांसफारर्मर को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

दिनांक 5-6-2003 को संबंधित ट्रांसफारर्मर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

56-श्री नारद राय-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम् पारा रोड पर स्थित रवि मेडिकल स्टोर से श्री शुक्ला के मकान तक सीवर लाइन डलवाने की मांग

57-श्री अनवार महमूद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारा कालोनी राजाजीपुरम्, लखनऊ में पारा रोड पर स्थित रवि मेडिकल स्टोर से श्री के0 सी0 शुक्ला के मकान तक सीवर लाइन न होने के कारण मकानों के सामने गन्दगी बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर सीवर लाइन डाले जाने हेतु आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

संविधान के 74वें संशोधन के उपरान्त अनुच्छेद 243-3 के अधीन गठित राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू हो जाने के उपरान्त राज्य सरकार के राजस्व का स्थानीय निकायों को संक्रमण राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में निकायों को सीधे कर दिया जाता है। संबंधित स्थानीय निकाय उस वित्तीय सहायता का उपयोग स्वंय उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर करते हैं। उक्त संवैधानिक व्यवस्था 01 अप्रैल, 1997 से लागू कर दिये जाने के उपरान्त किसी कार्य विशेष हेतु अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गई है। इसलिये अब राज्य सरकार द्वारा स्वयं इस प्रकार के कार्य किये जाने अथवा इस हेतु कोई विशेष अनुदान दिया जाना अपेक्षित नहीं है। नगर निगम अधिनियम, 1959 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत सीवर सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित नगर निगम का है, जिसे उसके अपने संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सम्पन्न कराने की अपेक्षा है। उक्त स्थिति में सरकार द्वारा आदेश दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ राजाजीपुरम् में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा मंदिर तक क्षतिग्रस्त पारा मार्ग के निर्माण की मांग

58-श्री अनवर महमूद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारा कालोनी राजाजीपुरम्, लखनऊ में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से शान्ति शिक्षा मंदिर तक पारा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। (आंशिक रूप से)

नगर निगम के पास धन उपलब्ध नहीं है। धन उपलब्ध होने पर प्रकरण नगर निगम की कार्यकारिणी समिति/सदन में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त होने पर।

संविधान के 74वें संशोधन के पश्चात् नागर स्थानीय निकाय संवैधानिक संस्थान के रूप मे स्थापित है, जिसके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं करना होता है। नागर स्थानीय निकाय के दायित्वों एवं कर्तव्यों के क्षेत्रों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

60-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

61-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

62-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा "हाता रसूल खां" योजनान्तर्गत निर्बल वर्ग आय के लोगों को भवन आवंटित न होने पर उनकी पंजीकरण शुल्क की धनराशि की वापसी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

63-श्री ओम प्रकाश गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1979 में "हाता रसूल खां" योजना में कितने निर्बल वर्ग आय के लोगों को भवन आवंटित किये गये ? क्या जिन्हें उक्त योजना में भवन आवंटित नहीं किये गये उनकी पंजीकरण शुल्क की धनराशि वापस कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में अर्चना वर्मा, 178/3 छोटा चांदगंज, लखनऊ का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 2003 को सचिव (आवास) एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

हाता रसूल खां योजना में 24 निर्बल आय वर्ग के लोगों को वर्ष 1979 में भवन आवंटित किये गये हैं।

जिनके द्वारा आवेदन पत्र दिया गया उनकी पंजीकरण धनराशि नियमानुसार वापस कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

धनराशि वापसी की कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

64-श्री कौशल किशोर-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

65-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

66-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जिला रायबरेली/ग्राम-गरीब खेड़ा/मजरे पश्चिम गांव विकास खण्ड-हरचन्द्रपुर में विद्युतीकरण की मांग

67-श्री राम कृपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-रायबरेली के ग्राम-गरीब खेड़ा, मजरे पश्चिम गांव विकास खण्ड-हरचन्द्रपुर में विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

इस मजरे के विद्युतीकरण हेतु किसी भी योजना में प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ।

किसी भी योजना में चयन होने एवं धन प्राप्त होने पर उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जायेगा।

68-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

69-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद वाराणसी के राम नगर में विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

70-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-वाराणसी के राम नगर में 33 के0वी0ए0 का सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। जनपद वाराणसी के रामनगर में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण द्वितीय प्रणाली के अनुमोदित कार्यों की सूची में सम्मिलित है।

उपकेन्द्र का निर्माण संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक एवं अवर अभियन्ताओं को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वेतन भुगतान कराने की मांग

71-श्री राम किशुन-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में वर्क चार्ज/दैनिक वेतन पर कार्यरत सहायक अभियन्ताओं एवं अवर अभियन्ताओं द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-6384/89 एवं 222/92 दाखिल की गई थी ? मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 19-8-92 के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि अवर अभियन्ताओं को दिनांक 19-8-92 से 31-1-2000 तक निर्णय के अनुसार वेतन भुगतान करने के उपरान्त पुनः दैनिक वेतन की दर से भुगतान किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 19-8-92 के परिप्रेक्ष्य में केवल 02 सहायक अभियन्ताओं को वेतन का भुगतान किया जा रहा था। उक्त दोनों सहायक अभियन्ताओं का विनियमितीकरण/नियुक्ति शासन के आदेश द्वारा दिनांक 23-7-03 को की जा चुकी है।

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19-8-92 के परिप्रेक्ष्य मे 04 अभियन्ताओं को दिनांक 19-8-92 से 31-1-2000 तक वेतन का भुगतान किया गया है, किन्तु उक्त वेतन के भुगतान हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अनियमित पाते हुये वेतन निर्धारण की कार्यवाही

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 1-3-2000 द्वारा निरस्त कर दी गयी। उक्त चारों अवर अभियन्ताओं का विनियमितीकरण/नियुक्ति शासन के आदेश द्वारा दिनांक 23-7-03 को की जा चुकी है।

जनपद शाहजहांपुर ग्राम सुल्तानपुर विकास खण्ड जैतीपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित कराने विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

72-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2000 जो ग्राम सुल्तानपुर विकास खण्ड जैतीपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित कराने के विषय में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्रांक 290, दिनांक 6-9-2000 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहांपुर को उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

ग्राम सुल्तानपुर की लाइन ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति दिनांक 15-7-2001 को चालू कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

73-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

74-श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

75-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

[दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-122 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के दुग्ध संघ प्लाण्ट की बन्द इकाई को पुनः चालू कराने का कथित प्रकरण

76-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या दुग्ध विकास मं कृपया बतायेंगे कि रामवीर सिंह प्रदेश महासचिव, उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी शाहजहांपुर द्वारा एक ज्ञापन जो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 शाहजहांपुर की बंद इकाई को पुनः शुरू करने के संबंध में अपर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

जी हां।

दिनांक 4-9-2002 की तिथि का उ. ज्ञापन अपर जिलाधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 13-9-02 को शासन को भेजा गया था। ज्ञापन प. कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि दुग्ध संघ शाहजहांपुर

के प्लाण्ट में आकस्मिक खराबी आ जाने के कारण उसे दिनांक 31-8-2002 की सायं पाली से बन्द कर दिया गया था, जिसे दिनांक 04-9-2002 की प्रातः पाली से पुनः चालू कर दिया गया था और तब से लगातार चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

77-81-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर के ब्लाक खण्डासा के ग्राम-भुआपुर कतिपय ग्रामों को जोड़ने वाली सड़कों के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

82-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर ब्लाक-खण्डासा के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम-भुआपुर से ग्राम रानीपुर तक जाने वाली सड़क को खण्डासा-घोड़वल मार्ग से खड़न्जा स्तर तक निर्माण करके जोड़ा जाना था ? यदि हां, तो क्या मुख्य मार्ग से 270 मीटर की दूरी का निर्माण अवशेष रह गया है जिससे वाहनों के आवागमन में अत्यन्त कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार जनहित में उक्त 270 मीटर अधूरे पड़े कार्य को खड़न्जा स्तर तक चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

जी हां

धन उपलब्ध होने पर पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् तिलहर से सेवानिवृत्त श्री राम स्वरूप गुप्ता मोहर्रिर के समस्त देयों के भुगतान की मांग

83-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-2-99 या इसके आसपास जो श्री राम स्वरूप गुप्ता, रिटायर्ड मोहर्रिर, नगर पालिका परिषद् तिलहर, जनपद शाहजहांपुर को ग्रेच्युटी आदि का भुगतान किये जाने के संबंध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या-69, दि0 9-2-99 को अधिशासी अधिकारी (स्थानीय निकाय) कलेक्ट्रेट, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही के लिये आदेशित किया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

श्री राम स्वरूप गुप्ता को ग्रेच्युटी तथा पेंशन आदि समस्त देयकों का भुगतान किया जा चुका है। अब कोई भुगतान शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की पालिका परिषदों को विद्युत की आपूर्ति कराये जाने की मांग

84-श्री अरविन्द गिरि-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में तहसील स्तर तक 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के कारण प्रदेश की 75 प्रतिशत नगरपालिका परिषदों में लगी स्ट्रीट लाइट एवं जल आपूर्ति में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की पालिका परिषदों को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। तहसील स्तर तक नगरों में प्रतिदिन लगभग 14 घन्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी नहीं।

प्रदेश में विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक तथा निगम में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश की नगर पालिका परिषदों को प्रतिदिन 16 घंटे विद्युत आपूर्ति करा पाना संभव नहीं है।

85-86-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

87-श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

88-श्री शारदा नन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगम की भूमि पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा निर्मित मकान को बेदखल करने का प्राविधान

89-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तृतीय मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-182 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत खसरा संख्या-664 नगर निगम की भूमि पर जिन व्यक्तियों के मकान निर्मित हैं उनमें एक झिनकन पुत्र कन्हा अनुसूचित जाति के व्यक्ति का भी है ? यदि हां, तो क्या उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की भूमि पर निर्मित मकान को बेदखल करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार झिनकन को भूमि का कब्जा देकर उस पर दायर वाद समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। प्रश्न अस्पष्ट है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-122(बी) के अन्तर्गत नगर निगम में निहित भूमि पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा निर्मित मकान को बेदखल करने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

-तदैव-

90-श्री कमाल यूसुफ मलिक-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद फैजाबाद नगर पंचायत रुदौली में बिजली सामग्री की खरीद में हुई अनियमितताओं की जांच कराने की मांग

91-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की नगर पंचायत रुदौली में वित्तीय वर्ष 2002-2003 में स्ट्रीट लाइट हेतु कौन-कौन सी बिजली की सामग्री कितनी-कितनी धनराशि में क्रय की गयी ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निम्न स्तर की सामग्री खरीद कर बिजली खरीद में घोर अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

रुदौली नगर पंचायत न होकर नगर पालिका परिषद् है। नगर पालिका परिषद् रुदौली द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 में क्रय की गई बिजली सामग्री तथा उस पर व्यय की गई धनराशि की सूची संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 132 पर)

92-श्री ओम प्रकाश-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

93-श्री आनन्द सेन-

[आश्वासन समिति के विचारार्धान होने के कारण निरस्त।]

अध्यक्ष नगर पंचायतों को बिना बोर्ड बैठक के धनराशि व्यय करने की नीति

94-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, नगर पंचायतों को बिना बोर्ड बैठक की अनुमोदन के कितनी धनराशि तक व्यय करने की नीति निर्धारित की गई है ? क्या यह सही है कि जनपद फैजाबाद की नगर पंचायत रुदौली के अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में बिना बोर्ड की बैठक में पारित कराये पचास हजार रुपये से अधिक की धनराशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अध्यक्ष, नगर पंचायत के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-96 (अद्यतन संशोधन) के अनुसार नगर पंचायत अध्यक्षों को 15,000/- रुपये तथा नगर पालिका परिषद् के अध्यक्षों को 50,000/- रुपये की धनराशि बिना बोर्ड की अनुमति के व्यय करने का प्राविधान है।

जनपद फैजाबाद में रुदौली नगर पंचायत न होकर नगर पालिका परिषद् है, जिसके अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2002-2003 में बिना बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कराये हुए 50,000/-रुपये से अधिक की धनराशि व्यय नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 नसीमुद्दीन खां चुंगी अधीक्षक नगर पालिका शाहाबाद, जनपद हरदोई की विधवा को पारिवारिक पेंशन/उपादान का भुगतान

95-श्री आदित्य विक्रम सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 नसीमुद्दीन खां, चुंगी अधीक्षक नगर पालिका शाहाबाद, हरदोई का सेवाकाल में देहान्त हो गया था ? क्या यह सही है कि उनकी विधवा जुलेखा बेगम को पारिवारिक पेंशन/उपादान स्वीकृत नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि इनके पति को निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 ने पत्र संख्या पी0सी0/6776/255-पें0/99-318, दिनांक 9-5-01 द्वारा अकेन्द्रीयित सेवा मे मान लिया है ? यदि हां, तो अब तक पेंशन स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ? उक्त पेंशन कब तक स्वीकृत कर भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं। तत्समय श्री नसीमुद्दीन खां की सेवाओं की पुष्टि न होने के कारण निदेशालय के पत्र दिनांक 9-5-01 द्वारा पारिवारिक/पेंशनरी देयों का निस्तारण अकेन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1984 के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश, अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, शाहाबाद (हरदोई) को दिये गये थे।

श्री खां के केन्द्रीयित सेवा में होने की पुष्टि होने पर निदेशालय के आदेश संख्या-पीसी/पारि0पें0भु0आ0/1638/255-पें0/89-318, दिनांक 4-8-03 द्वारा पारिवारिक पेंशन/उपादान की स्वीकृति प्रदान करते हुए भुगतान आदेश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ग्राम इस्माइलगंज की नगर निगम की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को मुक्त कराने की मांग

96-श्री अनिल सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन 39 अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 26 क (1) (2) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा उक्त अधिनियम की धारा 26 क के अन्तर्गत नोटिस दी गयी, उनके नाम क्या हैं ? गत 2 वर्षों मे अवैध कब्जे से कितनी भूमि मुक्त करायी गयी है ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जिन अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-26-क(1)(2) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, उनके नाम निम्नलिखित हैं (1) श्रीमती गंगो देवी (2) श्री राम विजय सिंह (3) श्री राम सेवक (4) श्रीमती सुन्दरा

(5) श्री मनीराम (6) श्री जैराम (7) श्री रामू (8) श्री राम किशोर (9) श्री कुटई (10) श्री श्याम लाल (11) श्री राकेश (12) श्री मनोज सिंह (13) श्री बाबू लाल (14) श्रीमती जहांआरा बेगम।

तथा उक्त अधिनियम की धारा-26 के अन्तर्गत जिन अवैध कब्जेदारों को नोटिस दी गयी उनके नाम निम्नलिखित हैं :--

(1) श्री राम मोहन (2) श्रीमती कमलेश गुप्ता (3) श्री कृष्ण कुमार (4) श्री ओ0 पी0 शुक्ल (5) श्रीमती नौनी बाई (6) श्री शिव कुमार (7) श्री घासू (8) श्री छोटे लाल (9) श्री राम सनेही (10) श्री हनुमान सिंह (11) श्री फतेह बहादुर (12) श्री भगवान बक्श सिंह (13) श्री रामानन्द (14) श्री श्रीराम (15) श्री कल्लू (16) श्री भगवान दीन (17) श्री मो0 अहमद (18) श्री दीना नाथ पाण्डेय (19) श्री शिव कुमार (20) श्री शाकिर अली (21) श्री बाबू लाल (22) श्री रघुनन्दन सिंह (23) श्री शिव मंगल (24) श्री चेतई (25) श्री राम सागर

गत 2 वर्षों में उक्त अवैध कब्जों से 77938 वर्ग फुट भूमि मुक्त कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

97-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

98-श्री राम विशुन आजाद-

[दिनांक 4-12-2003 को अता0 प्र0 सं0 152 द्वारा उत्तरित]

99-श्री आर0 के0 चौधरी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम नर्देया, रायपुर अगरेडी मदनापुर का विद्युतीकरण किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

100-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-7-02 एवं दिनांक 07-08-02 जो ग्राम नर्देया, रायपुर एवं अगरेडी का विद्युतीकरण मदनापुर छेदा-पट्टी लाइन चालू करने तथा पांच ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 2000-2001 का अभी तक न कराये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अपने पत्र संख्या 201/दि0 17-8-02 को अधिशासी अभियन्ता विद्युतीकरण खण्ड प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा था ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

ग्राम-नर्देया, रायपुर का विद्युतीकरण न हो पाने की जांच करायी गयी। जांचोपरान्त सम्बन्धित अवर अभियन्ता के दोषी पाये जाने पर दण्ड स्वरूप उसकी एक वेतन बढ़ोत्तरी स्थायी रूप से रोकी गयी तथा वर्ष 2001-02 के लिये उसकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध मानी गयी। ग्राम अगरेडी का विद्युतीकरण दिनांक 31-1-2001 को कर दिया गया है।

ग्राम मदनापुर छेदा पट्टी की विद्युत लाइन दिनांक 4-7-2003 को चालू कर दी गयी है।

वर्ष 2000-2001 के सामान्य पांच ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की कमी के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर की मदनापुर छेदा पट्टी लाइन पर विद्युत आपूर्ति ठप होने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

101-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर की मदनापुर छेदा पट्टी लाइन पर करीब आठ माह से विद्युत आपूर्ति ठप है, जिसे चालू कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री ने दिनांक 28-8-02 को मा0 मंत्री ऊर्जा को आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

दिनांक 4-7-03 को मदनापुर छेदा पट्टी लाइन चालू कर दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता।

102-103-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद शाहजहांपुर, ब्लाक जलालाबाद के ग्राम पंचायत मुड़िया भूड़ में विद्युतीकरण कार्य

104-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-9-2002 या उसके आस-पास जो ग्राम पंचायत मुड़िया भूड़, ब्लाक जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र को जिलाधिकारी ने अपने पत्रांक 289 दिनांक 6-9-2000 द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम मुड़िया भूड़ ब्लाक जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर का पूर्ण विद्युतीकरण दिनांक 15-10-2000 को कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

105-डॉ0 अशोक वाजपेयी-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद लखनऊ की कानपुर रोड योजना के सेक्टर एस0 एस0-II के क्षतिग्रस्त खड़ंजा मार्ग के डामरीकरण की मांग

106-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर एस0 एस0-II डी-I में मकान नम्बर 763 से 734 तथा 735 से 751 तक की खड़ंजा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को डामरीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

क्षतिगस्त रोड को डामरीकृत कराया जा चुका है।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषदों को मिलाकर नगर महापालिका बनाये जाने की मांग

107-श्री आनन्द सेन-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि फैजाबाद तथा अयोध्या नगर पालिका परिषदों को मिलाकर नगर महापालिका बनाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक महापालिका का दर्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् फैजाबाद तथा अयोध्या अपने आय के स्रोतों से वित्तीय भार वहन करने में समर्थ नहीं हैं। नगर महापालिका के सृजन के फलस्वरूप वित्तीय भार और बढ़ जायेगा। विचारोपरान्त नगर पालिका परिषद् फैजाबाद तथा अयोध्या को मिलाकर नगर महापालिका बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद फैजाबाद, नगर पंचायत बीकापुर व भदरसा में पानी की टंकियों का निर्माण कार्य

108-श्री आनन्द सेन-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में नगर पंचायत बीकापुर व भदरसा में पानी की टंकियों का निर्माण 7-8 वर्ष पूर्व कराया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त टंकियों से नगरवासियों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रतिदिन कितना-कितना पानी सप्लाई किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। फैजाबाद नगर पंचायत बीकापुर और भदरसा में पानी की टंकियों का निर्माण कार्य क्रमशः दो वर्ष एवं डेढ़ वर्ष पूर्व पूर्ण किये गये थे।
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत पेयजल टंकियों का क्रियान्वयन संबंधित निकाय को हस्तान्तरित न होने तथा रख-रखाव/संचालन हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण योजनायें बन्द पड़ी हैं। उक्त योजनाओं को संबंधित निकाय को तत्काल हस्तान्तरित कर क्रियाशील किये जाने तथा योजना के अब तक हस्तान्तरित न होने हेतु दोषी कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अध्यक्ष, उ0 प्र0 जल निगम को निर्देशित किया जा चुका है। टंकियों के निकाय को हस्तान्तरित हो जाने के फलस्वरूप योजना क्रियाशील हो जायेगी।

109-110-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

111-श्री बंशीधर राज-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद फैजाबाद नगर पालिका परिषद् रुदौली में विकास कार्यों हेतु उपयोग किये गये धन के संबंध में जानकारी

112-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् रुदौली, जनपद फैजाबाद को वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विकास कार्यों हेतु कितना धन शासन द्वारा दिया गया है ? उक्त धन का उपयोग कहां-कहां किस-किस मद में किया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्ष 2001-2002 में नगर पालिका परिषद् रुदौली को विकास कार्य हेतु ग्यारहवें वित्त आयोग से रु0 5,14,000.00 की धनराशि स्वीकृत की गयी इसके अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत धनराशि में से रु0 12,19,000.00 के विकास कार्य कराये गये।

ग्यारहवें वित्त आयोग से स्वीकृत धनराशि में पालिका अंशदान सम्मिलित करते हुये कुल रु0 7.71 लाख की धनराशि में से रु0 7,48,550.00 की धनराशि 4 विकास कार्यों पर एवं राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत धनराशि में से रु0 12,19,000.00 की धनराशि 14 विकास कार्यों पर व्यय की गयी। व्यय की गयी धनराशि की मदों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी ''ख'' आगे पृष्ठ 133-134 पर।)

जनपद फैजाबाद नगर पालिका परिषद् रुदौली में सोडियम लाइट व फागिंग मशीन की खरीद में अनियमितता की जांच

113-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् रुदौली, जनपद फैजाबाद को वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सोडियम लाइट व फागिंग मशीन की खरीद में कितना धन खर्च किया गया है ? क्या यह सही है कि सोडियम लाइट व फागिंग मशीन की खरीद किसी एप्रूव्ड फर्म से न कर घटिया किस्म की खरीदी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद् रुदौली द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सोडियम लाइट पर रु0 4,02, 950.00 एवं फागिंग मशीन के क्रय पर रु0 1,10,912 व्यय किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् जनपद फिरोजाबाद में तहबाजारी वसूलने की प्रक्रिया

114-श्री अजीम भाई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् में तहबाजारी ठेकों के उठाये जाने की प्रक्रिया क्या है ? क्या नगर पालिका परिषद् को स्वयं तहबाजारी वसूलने का अधिकार

है ? क्या सरकार को मालूम है कि नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में पालिका द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 की तहबाजारी स्वयं वसूली जा रही है ? क्या यह भी सही है कि माह अप्रैल, मई लगभग डेढ़ माह की तहबाजारी का राजस्व पालिका कोष में जमा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद् अधिनियम-1916 की धारा-298 के तहत उपविधि बनाकर एवं तहबाजारी के ठेकों की नीलामी के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानीय निकायों द्वारा नीलामी के माध्यम से ठेका उठाये जाने की व्यवस्था है।

जी हां।

जी हां।

जी नहीं, संबंधित ठेकेदार की जमानत जब्त कर रु0 2,55,000 की धनराशि राजस्व पालिका कोष में दिनांक 04-04-01 को जमा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में कार्यों के निस्तारण हेतु संविदा पर रखे गये कर्मचारी

115-श्री अजीम भाई-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में 2000-2001 तथा 2001-2002 एवं 2002-2003 में किन कार्यों के निस्तारण हेतु संविदा पर कितने कर्मचारियों को रखा गया है तथा किन-किन कार्यों को निस्तारित किया गया ? क्या यह सही है कि संविदा के नाम पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर सरकारी धनराशि का आहरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद में वर्ष 2000-2001 तथा वर्ष 2001-2002 व वर्ष 2002-2003 में जिन कार्यों के सम्पादन हेतु ठेके पर मजदूरों को रखा गया था, उनके तथा कार्यों के विवरण निम्न हैं :-

कार्य का नाम	वर्ष	मजदूरों की सं0
1-सफाई कार्य	2000-2001	1452
	2001-2002	2376
	2002-2003	2329
2-पेयजल आपूर्ति	2000-2001	98
	2001-2002	202
	2002-2003	269

3-वाहनों का रख-रखाव व	2000-2001	82
चलाया जाना	2001-2002	184
	2002-2003	138
4-प्रकाश व्यवस्था	2000-2001	12
	2001-2002	36
	2002-2003	21

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, फिरोजाबाद से कराने के आदेश दे दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में नगर पालिका में नामित सभासदों को नगर पंचायत की बैठक में मतदान करने सम्बन्धी जानकारी

116-श्री अजीम भाई-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नगर पालिका (पंचायत) में नामित सभासदों को क्या नगर पंचायत की बैठक में मत देने का अधिकार प्राप्त है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जनपद फिरोजाबाद में पालिका परिषदों की बैठकों के आयोजन के विषय में जानकारी

117-श्री अजीम भाई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पालिका परिषदों में बैठकें कितने समय के अन्दर आयोजित किये जाने का प्राविधान है ? क्या पालिका परिषद् फिरोजाबाद में उक्त बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 86(1) में नगर पालिका परिषदों में कम से कम एक बैठक प्रति माह आयोजित किये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद में नये बोर्ड के गठन के उपरान्त माह जनवरी, 2001 से जुलाई, 2003 के मध्य 12 बैठकें आयोजित की गयी हैं। शेष बैठकें पालिका के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मध्य हुए विवाद के कारण नहीं हुईं। अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि विधि अनुसार बैठकें बुलाना सुनिश्चित करें।

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद में निर्माण कार्य तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री के क्रय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

118-श्री अजीम भाई-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद में बिना बोर्ड की बैठक एवं सहमति के अध्यक्ष, पालिका परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-2002 में निर्माण

कार्य तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री का क्रय कर घोर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजाम खां-

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद् फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि बोर्ड में इस्टीमेट/टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त निर्माण कार्य कराये गये हैं एवं बोर्ड की सहमति से विभिन्न प्रकार की सामग्री वित्तीय वर्ष 2001-2002 में क्रय की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् रुदौली में जनपद फैजाबाद वित्तीय समिति का गठन कराकर वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने की मांग

119-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् रुदौली, जनपद फैजाबाद में बोर्ड के गठन के बाद वित्तीय समिति का गठन किया गया ? यदि नहीं, तो गठन करने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि वित्तीय समिति के गठन न होने से धन के वित्तीय आहरण वितरण में अनियमिततायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय समिति का गठन कराकर वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर पालिका परिषद् रुदौली जनपद फैजाबाद में वित्तीय समिति का गठन नहीं किया गया है।

उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत नगर पालिकाओं द्वारा समिति के गठन की बाध्यता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

120-श्री राम किशुन-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड जसरा की कतिपय ग्राम सभा की सड़कों पर अधूरे कार्य के पूर्ण कराने की मांग

121-श्री सोमारू राम सरोज-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-44 के उत्तर के संदर्भ में क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मार्ग पर वर्ष 2002 में किस योजना के अन्तर्गत मिट्टी एवं गिट्टी डलवाने का कार्य कराया गया ? क्या यह सही है कि उक्त मिट्टी व गिट्टी के अपूर्ण कार्य कराये जाने के कारण जगह-जगह पर गहरे गड्ढे हो गये हैं जिससे

आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का अपूर्ण कार्य जिला पंचायत द्वारा विशेष अनुदान देकर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

प्रश्नगत मार्ग पर राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर जिला पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि से गिट्टी कुटाई स्तर का कार्य कराया गया है।

जिला पंचायत इलाहाबाद द्वारा स्वीकृति स्तर तक कार्य कराया जा चुका है उस पर गहरे गड्ढे नहीं हैं, बल्कि बरसात में पानी भर जाने के कारण आवागमन में कठिनाई हो जाती है।

उक्त मार्ग पर आगे कार्य कराने का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

जिला पंचायत को विशेष अनुदान देने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

ग्राम सदनपुर पखरौरा, विकास खण्ड हसनगंज, जनपद उन्नाव में विद्युतीकरण

122-श्री सोमारू राम सरोज-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 26 मार्च, 2003 को ग्राम सदनपुर पखरौरा विकास खण्ड हसनगंज, जनपद उन्नाव में विद्युतीकरण हेतु उनके द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त आदेश का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। विकास खण्ड हसनगंज में सदनपुर पखरौरा नाम का कोई ग्राम न होने के कारण आदेश का अनुपालन न हो सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई नगर पालिका सण्डीला के अधिशासी अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

123-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगर पालिका (पंचायत) सण्डीला के अधिशासी अधिकारी विगत आठ वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि इनका स्थानान्तरण जून, 2002 में कर दिया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें भी शासन में लम्बित हैं ? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण शासन की नीति के अनुसार अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। नगर पालिका परिषद् सण्डीला में तैनात अधिशासी अधिकारी 06 वर्ष 02 माह से कार्यरत हैं।

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद् सण्डीला में तैनाती की अवधि की कोई शिकायत शासन में लम्बित नहीं है।

शासन की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में सोडियम लाइट की खरीद में अनियमितता की जांच

124-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में वित्तीय वर्ष 2002-2003 में विनियमित क्षेत्र खाते की धनराशि से कितनी-कितनी सामग्री सोडियम लाइट किस फर्म से खरीदी गयी ? क्या यह सही है कि उक्त सोडियम लाइट किसी एप्रूब्ड फर्म से न खरीदी जाने के कारण बड़ी निम्न कोटि की हैं और कुछ ही दिन में अधिकांश बेकार हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

विनियमित क्षेत्र खाते से 90 सोडियम लैम्प सेट, 90 सोडियम बल्ब, 90 पाइप/क्लैम्प, नट बोल्ट, 90 स्वीच मय बोर्ड तथा 20 बंडल पी0वी0सी0 वायर कुल 90 सोडियम लाइट मे0 अर्चिता इलेक्ट्रिकल्स, हरदोई से क्रय की गई।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में जानवरों को स्लाटर हाउस में ही कटवाये जाने की मांग

125-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में विगत एक वर्ष से बड़े जानवरों को स्लाटर हाउस में न काट कर घरों में काटा जा रहा है, जिससे सम्पूर्ण कस्बे में गन्दगी फैलने के कारण बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो स्लाटर हाउस उपलब्ध होते हुए जानवरों को घरों में काटने का आदेश किसके द्वारा दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों को दण्डित करते हुए इसकी रोकथाम करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। नगर पालिका परिषद् सण्डीला में मोहल्ला मलकाना-इमलिया बाग में स्थित स्लाटर हाउस में ही बड़े जानवरों के बध का कार्य हो रहा है। नगर के अन्दर पशु बध का कार्य नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला के अन्तर्गत नजूल की भूमि एवं उस पर कब्जा

126-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला के अन्तर्गत नजूल की कितनी भूमि किन-किन मोहल्ला में स्थित है उनके नम्बर क्या हैं ? क्या यह सही है कि नगर पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उदासीनता के कारण अधिकांश नजूल की भूमि पर अनधिकृत कब्जे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अनधिकृत कब्जों से भूमि खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद्, सण्डीला में कुल नजूल भूमि 15,892.48 वर्ग मीटर है। उक्त में से मोहल्ला अशरफ टोला में 6582.99 वर्ग मीटर तथा मोहल्ला महतवाना में 9309.49 वर्ग मीटर है जिनके नम्बर निम्नवत् हैं :-

मोहल्ला अशरफ टोला

239, 726, 727, 730, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 745, 786, 1002, 1170, 1171, 1172, 1174 तथा 1175।

मोहल्ला महतवाना

298, 728, 2248, 2249, 2256, 3418, 3426, 3429, 3437, 3438, 3439, 3440 एवं 3955।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में राजा की हाता की बाउन्ड्री में दुकानों के अनधिकृत कब्जों को हटवाये जाने की मांग

127-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगर पालिका सण्डीला में विगत कई वर्षों पूर्व प्रा0 पाठशाला राजा का हाता की बाउन्ड्री से लगी भूमि पर निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए लगभग दस दुकानों का निर्माण कराया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त दुकानों पर निकटवर्ती व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर उसमें निवास किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त दुकानों को अब तक खाली न कराने के विलम्ब का दोषी कौन है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त अवैध कब्जा खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। 9 दुकानों का निर्माण कराया गया था।

जी हां।

दुकानों के अनधिकृत कब्जों को पालिका द्वारा पुलिस बल की सहायता से दिनांक 8-9-97 को हटाया गया परन्तु अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा पालिका कर्मियों के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई के न्यायालयों में सी0आर0पी0सी0 के तहत क्रमशः वाद संख्या-1597/97 एवं 55/98 दायर किये गये जिनमें से वाद संख्या-55/90 माननीय न्यायालय में

अभी विचाराधीन है। उक्त के अतिरिक्त एक अन्य वाद संख्या-131/2003 भा पालका के विरुद्ध सिविल जज जूनियर डिवीजन, हरदोई के न्यायालय में दायर किया गया।

नगरपालिका द्वारा अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध पी0पी0 ऐक्ट में बेदखली/क्षतिपूर्ति का वाद दाखिल कराने की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रकरण मा0 न्यायालयों में लम्बित होने के कारण कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता। मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

128-132-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 अन्तर्गत महाप्रबन्धक (सिविल वितरण) लखनऊ द्वारा फिल्ड हास्टल हेतु नये फर्नीचर के क्रय में की गयी अनियमितताओं की जांच

133-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (सिविल वितरण) लखनऊ द्वारा फिल्ड हास्टल हेतु नये फर्नीचर के क्रय में की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने विषयक मा0 विजय सिंह राणा, एम0एल0सी0 का पत्र दिनांक 24-5-2003 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव उ0 प्र0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 के तत्कालीन उप महाप्रबन्धक एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के महाप्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन ग्रेच्युटी, वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ता रोककर उत्पीड़न करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

134-श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 पावर कार्पोरेशन लि0 के तत्कालीन उप महाप्रबन्धक (डी0 पी0) एवं उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के महाप्रबन्धक (का0प्र0) द्वारा कर्मचारियों/अधिकारियों के पेंशन ग्रेच्युटी, वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ता रोककर उत्पीड़ित करने विषयक मा0 ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा (पूर्व एम0एल0सी0) का पत्र दिनांक 8-10-2002 जो कि मुख्य मंत्री/सी0एम0डी0यू0पी0पी0सी0एल0 को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

श्री ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा मा0 सदस्य विधान परिषद् के पत्र दि0 8-10-2002 में श्री एन0एन0 श्रीवास्तव सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक के पेंशन/ग्रेच्युटी रोकने व श्री नन्द लाल जायसवाल कनिष्ठ पाण्डुलिपि उ0 प्र0 जल विद्युत निगम के निलम्बन अवधि का वेतन व जीवन निर्वाह

भत्ता रोकने की शिकायत की गई थी। पत्र दिनांक 8-10-2002 के प्राप्त होने के पूर्व श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त उप महाप्रबन्धक को अन्तिम पेंशन/ग्रेच्युटी अधिकृत करने का आदेश जारी कर दिया गया था। श्री नन्द लाल जायसवाल कनिष्ठ लिपिक के निलम्बन अवधि का सम्पूर्ण वेतन एवं जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा चुका है। अतः उनको उत्पीड़ित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर अन्तर्गत सूखा राहत योजना में पशु आहार वितरण में बरती गयी अनियमितताओं की जांच की मांग

135-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत सूखा राहत योजना में पशु आहार वितरण में बरती गयी अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में दिनांक 26-2-2003 को उनके द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन एवं मत्स्य को आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अनियमितताओं की जांच करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

136-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

137-डा0 वकार अहमद शाह-

[माननीय उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होने के कारण हटाया गया।]

138-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

139-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जनपद लखनऊ स्थित मोतीझील सचिवालय कालोनी के पार्क में लगे नलकूप से दिये गये अवैध कनेक्शन को हटाने की मांग

140-चौ0 विजेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मोतीझील राजकीय कालोनी के पार्क में लगा नलकूप मोतीझील सचिवालय कालोनी, विद्युत कालोनी तथा मध्यम वर्ग हेतु बनी तीन मंजिला भवनों में जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त नलकूप से बड़े पैमाने पर निर्धारित क्षेत्र के बाहर अवैध कनेक्शन दे दिये गये हैं जिससे कालोनियों में बड़े पैमाने पर जल आपूर्ति का संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कनेक्शन को हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

141-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

142-श्री शारदानन्द अंचल-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित [illegible]]

143-श्री मानपाल सिंह-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

144-श्री सीताराम निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

145-श्री राम करन आर्य-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

सेंट क्राइस्ट पब्लिक स्कूल, गीतापल्ली आलमबाग, लखनऊ के प्रवेश द्वार पर लगे ट्रांसफारमर को अन्यत्र स्थापित करने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

146-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेंट क्राइस्ट पब्लिक स्कूल, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ के प्रवेश द्वार पर 17 फिट ऊँचे ट्रान्सफारमर को अन्यत्र स्थापित किये जाने हेतु कालेज के प्रबन्धक श्री ए0 के0 सिंह के पत्रांक, दिनांक 4-2-02, 12-2-02, 8-3-02, 6-4-02, 28-5-02, 30-5-02, 30-6-02 महाप्रबन्धक, लेसा, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को एवं सदस्य, विधान परिषद् सदस्य, श्री एस0 पी0 सिंह का पत्रांक-17/स0वि0प0/वि0प0-2002, दिनांक 15 जुलाई, 2002 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

स्थल का निरीक्षण किया गया है। ट्रांसफारमर को चारों तरफ से सुरक्षित फेन्सिंग द्वारा घेरा गया है जिससे दुर्घटना की सम्भावना नहीं है। अन्यत्र स्थान के अभाव एवं जनहित में तथा तकनीकी दृष्टि से ट्रांसफारमर का अन्यत्र विस्थापन सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बलरामपुर चिकित्सालय के आवासीय कैम्प में अवैध झोपड़ पट्टी को हटाने की मांग

147-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के आवासीय कैम्प में अवैध रूप से बसी झोपड़ पट्टी में निवास करने वाले व्यक्तियों को हटाये जाने

के सम्बन्ध में अधीक्षक, बलरामपुर, चिकित्सालय लखनऊ का पत्रांक-ब0चि0/2002/3206-4, दिनांक 13 दिसम्बर, 2002, जिलाधिकारी, लखनऊ मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ थानाध्यक्ष वजीरगंज, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ के आवासीय कैम्प में अवैध रूप से बनी झोपड़ पट्टी में निवास करने वाले व्यक्तियों को हटाने का कार्य बलरामपुर चिकित्सालय का है। संदर्भित झोपड़ पट्टी बलरामपुर चिकित्सालय परिसर में है।

प्रश्न नहीं उठता।

148-श्री सीताराम निषाद-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

149-श्री प्रेम सिंह-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

150-श्री संजय गर्ग-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जिला सीतापुर के सुकालीपुर, महमूदाबाद में ट्रांसफारमर स्थापित कराने की मांग

151-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सुकालीपुर, महमूदाबाद जिला सीतापुर में विद्युत उपभोक्ताओं का ट्रांसफारमर गांव से करीब 2 कि0 मी0 दूर रखा होने के कारण ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के समीप ट्रांसफारमर स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न पहर समाप्त हो गया है। मैं नियम-301 की सूचनाएं ले रहा हूं। आज दिनांक 5 दिसम्बर, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 7 सूचनाएं प्राप्त हुईं। नियमानुकूल होने के कारण सभी सूचनाएं स्वीकार की गयीं। इसमें पहली सूचना श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की है।

(हरीश जी की सूचना को छोड़कर शेष स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, मैं अपनी सूचना को पढ़ रहा हूं।

वाराणसी स्थित लहरतारा का धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने के लिए नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, ज्ञात है कि संत शिरोमणि कबीर साहब का प्राकट्य स्थल वाराणसी स्थिति लहरतारा है। जिस समय समाज में अन्ध विश्वास, सामाजिक विकृतियां, ऊंच-नीच का भेद-भाव अपने चरम सीमा पर था। भाग्यवाद बढ़ गया था। कर्म और पुरुषार्थ की कमी हुई तो कर्मकाण्डों के मकड़ जाल बन गये थे। संक्रमण के इस दौड़ में कबीर साहब का प्राकट्य हुआ। संत कबीर ने चौदहवीं, पंद्रहवी शताब्दी में भारत के तत्कालीन समस्याओं के विरुद्ध एक वैचारिक क्रान्ति का सूत्रपात किया था। किसी न किसी रूप में आज भी वे समस्याएं विद्यमान हैं और भारतीय समाज के सम्मुख चुनौती बनकर खड़ी है उनका समाधान करने के लिए संत कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक और उपादेय हैं। परन्तु खेद है कि आज तक इस संत के प्राकट्य स्थल का विकास नहीं किया जा सका। संत शिरोमणि जिस तालाब के किनारे पाये गये थे वह तालाब आज भी जीर्ण अवस्था में पड़ा है। पश्चिम तरफ से उस पर अतिक्रमण होता जा रहा है। तालाब तक पहुंचने का समुचित सम्पर्क मार्ग भी नहीं है।

मुझे बताया गया है कि आयुक्त वाराणसी मण्डल द्वारा 16 अगस्त, 2002 को संत कबीर शोध संस्थान एवं प्राकट्य स्थल लहरतारा से संबंधित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया हैं लहरतारा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा योजना बनाकर शासन को भेजा गया है। परन्तु आज तक उस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अतः मैं मांग करता हूं कि कबीर साहब के प्राकट्य स्थल की महत्ता को देखते हुए 1-आयुक्त वाराणसी मण्डल द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। 2-उस तालाब की सफाई एवं उसका सुन्दरीकरण कराया जाये। 3-प्राकट्य स्थल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया जाये। 4-लहरतारा चौराहे पर संत शिरोमणि कबीर साहेब के नाम पर एक द्वार (गेट) का निर्माण करा दिया जाये। 5-लहरतारा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराया जाये।

(उक्त सूचना मा0 सदस्य ने पढ़ी शेष सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद आगरा की शीतला गली में दैवी आपदा से गरीब और मजदूर लोगों के मकान फटने की जांच कराकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राम बाबू हरित-

[मान्यवर, जनपद आगरा में शीतला गली में दीपावली से दैवी आपदा रूप में गरीब, मजदूर लोगों के मकान फट रहे हैं। शीतला गली में भवन संख्या 16/207 निवासी ओम प्रकाश पुत्र करन सिंह, 16/194 इन्द्रजीत, मोतीलाल पुत्र सुमेर चन्द्र, 16/206 किशन पुत्र चुन्नीलाल, 16/94 कोरी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाल पुत्र बनवारी, 16/192 पाती राम पुत्र सुखराम, 16/193 महावीर प्रसाद पुत्र भोलाराम, 16/110 कोकामल पुत्र छोटेलाल, 16/209 शिवलाल, 16/189 कन्हैयालाल, 16/190 गौरी शंकर, 16/187 पूरन देवी 16/187A नरायन दास, 16/191 राम स्वरूप, 16/219 के मकानों में दरारे पड़ गयी। कभी भी गम्भीर जन हानि का हादसा हो सकता है, धनाभाव के कारण पीड़ित लोग इन्हीं फटे मकानों में रहने को बाध्य हैं अतः जनहित में तत्काल प्रशासन द्वारा जांच कर इन्हें सरकारी आर्थिक सहायता तथा उचित स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

अतः आप उपरोक्त समस्या का निराकरण कराने का कष्ट करें।]

जनपद गाजीपुर के सादात क्षेत्र में राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बीजू पटनायक-

[मान्यवर, जनपद गार्जीपुर के विधान सभा क्षेत्र सादात में लड़कियों के लिए कोई इण्टर कालेज न होने के कारण गरीब, असहाय बच्चियां हाईस्कूल/इण्टर तक की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाती हैं। इस क्षेत्र में लड़कियों के शिक्षा का अभाव है इसलिए यहां पर एक राजकीय इण्टर कालेज का खोला जाना व्यापक जनहित में है जिससे इस क्षेत्र के ग्रामीण इलाके की लड़कियां हाईस्कूल/इण्टर तक की शिक्षा ग्रहण कर सकें।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी मांग है कि इसे स्वीकार करते हुए सादात में एक राजकीय कन्या इण्टर कालेज खोलने के लिए शासन को समुचित निदेश देने का कष्ट करें।]

जनपद बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत पंचायत गुरुगांवा में गन्ना तौल केन्द्र गत वर्ष की भांति यथा स्थान रखे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा 32, आवंला जनपद बरेली की ग्राम पंचायत गुरुगांवा गत वर्ष गन्ना तौल था। इस केन्द्र पर लगभग 9 ग्रामों के किसानों का गन्ना 70 हजार कुन्तल तुला था अब इसे हटा कर ग्राम पिपरियया कूकराला तौल केन्द्र के पास ही लगाया गया है। इससे उक्त ग्रामों के क्रिसानों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। यह आवश्यक सार्वजनिक महत्व का विषय है सदन के कार्य को स्थगित करने की अनुमति चाहता हूं ताकि निश्चित विषय पर चर्चा की जा सके।]

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत अहरौला बाजार को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नरेश यादव-

[मान्यवर, अहरौला बाजार मेरे विधान सभा क्षेत्र फूलपुर जनपद आजमगढ़ का एक पुराना बाजार है। यह विकास खण्ड अहरौला का हेड क्वाटर भी है यहां थाना अस्पताल प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज भी है। पुराना ऐतिहासिक गांव भी रहा है। अहरौला अंवारी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रोड मुख्य मार्ग पर पड़ता है मुझई नदी के किनारे बसा है। पकड़ी ग्राम बगल में है जो मुख्य मार्ग अहरौला से जुड़ा हुआ है दोनों बाजार मिले हुए हैं वर्षों से लोगों की मांग इस टाउन एरिया नगर पंचायत बनाने की चर्चा रही है। कई बार प्रदेश सरकार से मांग किया जा चुका है बशर्ते टाउन एरिया का पूरा होना है। मैं अभी फिर वहां गया था लोगों की मीटिंग करके टाउन एरिया बनाने की मांग पर जोर ढ़ग से की गयी है। मैं आपके संज्ञान से इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लाकर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए अहरौला बाजार को टाउन एरिया बनाने की मांग जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करता हूं।]

जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर बने मालवीय ब्रिज की मरम्मत के पूर्व आवागमन हेतु पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशुन-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय के तरफ दिलाना चाहता हूं। वाराणसी शहर गंगा पर बने मालवीय ब्रिज (राजघाट ब्रिज) का निर्माण/मरम्मत होना है और राज्य सेक्टर से धन आवंटित हो चुका है और शीघ्र ही कार्य शुरू होने वाला है। यह पुल राष्ट्रीय मार्ग से जुड़ा हुआ है। और कई प्रदेशों से उसका आवागमन हेतु संबंध है। उक्त पुल के नीचे से रेलवे लाइन भी गयी है। उक्त पुल को बनाने हेतु रोका जा रहा है जिससे आवागमन काफी प्रभावित होगा। जनता की सुविधा एवं आवागमन के मद्देनजर उक्त पुल के दोनों तरफ गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। यह प्रकरण जनहित एवं आवागमन से संबंधित है। प्रकरण अति महत्वपूर्ण है और पीपे के पुल का निर्माण कराकर ही मालवीय ब्रिज का निर्माण कराया जाय।

अति महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाकर गंगा नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं ताकि आवागमन बाधित न हो सके और मालवीय ब्रिज पुल की मरम्मत आसानी से हो सके।]

जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत रासेपुर बाजार में 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण कार्य को अन्तिम स्वीकृति देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में रासेपुर बाजार में पूर्व स्वीकृत 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य न होने से जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सब स्टेशन निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति मिल चुकी है जमीन प्रस्तावित है एवं धन भी आवंटित है परन्तु निर्माण कार्य विद्युत कारपोरेशन वाराणसी द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया जिसकी अन्तिम स्वीकृति हो गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आप से अनुरोध है कि इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुए रासेपुर बाजार में पूर्व स्वीकृत 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य हेतु अन्तिम स्वीकृति हेतु सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें और तत्काल आदेश पारित किया जाय।]

नियम 301 की सूचनाओं को शासन द्वारा गम्भीरता से न लिये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 05-12-2003 को नियम-300 के अन्तर्गत एक सूचना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्राप्त हुयी है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरी एक सूचना नियम-300 के सम्बन्ध में है। यह प्रश्न सत्ता पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं है। चाहे किसी भी दल की सरकार इस प्रदेश में आये, लेकिन इस विधान सभा के माननीय सदस्यों को नियम-301 में सूचना देने का और उस सूचना पर कार्यवाही कराने का अधिकार है और सरकार को सदन की पीठ द्वारा निर्देश दिया जाता है कि प्राप्त सूचना पर एक माह में कार्यवाही करा दी जाय। मान्यवर, मैं जब से सदन का सदस्य हूं तब से देख रहा हूं कि नियम-301 की सूचना पर नियमावली के नियमों के अनुसार समय से उत्तर नहीं आते हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता का आग्रह करते हुए इस औचित्य के प्रश्न को नियम-300 में उठा रहा हूं। सूचना का कोई विषय होता है, उसका उत्तर का दिनांक होता है और उत्तर के दिनांक के बाद एक कालम बिल्कुल निश्चित बनाने की परम्परा पड़ गयी है, इसमें यह लिख दिया जाता है कि अपरिहार्य कारणों से उत्तर देने में विलम्ब हुआ। हमारा यह कहना है कि वह विलम्ब का अपरिहार्य कारण क्या है ? यह सदस्य की जानकारी में आना चाहिए।

मान्यवर, यह सदन के पटल पर नियम-301 की सूचना के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का जो विवरण रखा गया है, उसका पत्रक है, इसमें 133 सूचनाओं के बारे में विवरण दिया गया है। 133 सूचनाओं में उत्तर देने में बिलम्ब का कारण अपरिहार्य कारण दिखाया गया है। मेरा एक प्रश्न है जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस सदन के प्रति प्रदेश के शासन के अधिकारियों की गम्भीरता नहीं रह गयी है। जब माननीय सदस्य नियम-301 में सूचना देता है तो उस पर पीठ से समय से उत्तर देने का निर्देश होता है तो जो उत्तर आते हैं वह कुछ एक माह में आ जाते हैं बाकी दो माह में, चार माह में, छः माह में आते हैं और उसमें विलम्ब का कारण अपरिहार्य कारण दिखा दिया जाता है। इसका मतलब है कि उनकी गम्भीरता सूचना के प्रति नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके समक्ष एक विषय रख कर मांग करता हूं कि नियम-301 के संबंध में नियमावली का पालन होना चाहिए और जो विलम्ब के कालम में अपरिहार्य कारण दर्शाया जाता है उनका भी हम सदस्यों को पता रह सके कि अपरिहार्य कारण क्या हैं ? मान्यवर, यह जो परम्परा सी पड़ गयी है इस परम्परा को रोका जाना चाहिए और नियमावली के नियमों के अनुसार एक माह के अन्दर कार्रवाई करके उत्तर आना चाहिए। इस तरह के निर्देश देने से प्रशासन तंत्र पर अंकुश रहेगा माननीय सदस्यों के अधिकारों का संरक्षण रहेगा और जनता की समस्याओं का निस्तारण होगा।

*संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जो बात बाजपेई जी ने रखी है वह बहुत हद तक सही है, इसमें किसी सरकार का या किसी राजनीतिक दल का कोई दोष नहीं है। इसके संबंध में पिछले वर्षों में हम आपस में एक-दूसरे से कहते चले आ रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर समय से मिलना चाहिए। मान्यवर, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कई विभागों से सूचनाएं आनी होती हैं, मण्डल से और जिला स्तर से सूचनाएं आनी होती हैं उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की बैठकें करते हैं। यह सही है कि कई मामले में कारण से और कई में अकारण देरी भी हुई है। संसदीय कार्यमंत्री के स्तर पर भी इसमें बैठकें होती हैं। मान्यवर, इसके सुधार के संबंध में, जितनी कमी लायी जा सकती और जितनी भी व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त हो सके, वह ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह निर्देश देता हूं कि इसमें नियमावली के नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ठीक है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 04 दिसम्बर, 2003 को हुई अपनी बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, से 10 दिसम्बर 2003 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

<u>दिसम्बर, 2003</u>	
05 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।
<u>दिसम्बर, 2003</u>	
	3-उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2003 पर विचार एवं उसका पारण।
	4-उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं उसका पारण।
	5-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2003 पर विचार एवं उसका पारण।
06 शनिवार 07 रविवार	बैठक नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

08 सोमवार 1-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।

2-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3-उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।

09 मंगलवार वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

10 बुधवार 1-निधन के निर्देश।

2-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3-4.00 बजे अपरान्ह

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य, नगर निकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उास्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के तीसरे मंगलवार दि0 5 अगस्त, 1997 को श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-12 के उत्तर के संबंध में खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना

खाद्य एवं रसद मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, ओल्ड पिकनिक स्पाट रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ के एक ओर आवासीय भवन है तथा दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रासेस के विद्युत के संयोजनों से युक्त फैब्रीकेटरों के सोलह परिसर हैं। वेल्डिंग के संयोजन के फलस्वरूप वेल्डिंग कार्य होने से वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या से आवासीय भवनों के 300 विद्युत उपभोक्ता प्रभावित थे। समस्या के समाधान हेतु डी ब्लाक, इंदिरा नगर में एक 250 के0वी0ए0 का नया विद्युत उपकेन्द्र माह 11/98 में लगाया गया। इससे विद्युत उपभोक्ताओं के भवनों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या समाप्त हो गयी है। इसके

अतिरिक्त रिंग रोड पर स्थित 630 के0वी0ए0 हिमालयन मार्ग विद्युत उपकेन्द्र की एच0 टी0 लाइन का विस्तार कर 50 अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ताओं की वोल्टेज फ्लक्चुएशन समस्या का निदान कर दिया गया है। कुल 300 उपभोक्ताओं में से 230 उपभोक्ताओं की वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या का निदान कर दिया गया है। शेष 70 उपभोक्ताओं की वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या का समाधान निम्न कारणों से सम्भव नहीं है :-

1-ओल्ड पिकनिक स्पाट रोड दोनों ओर से अध्यासियों द्वारा अवैधानिक विस्तार के कारण संकरी हो गयी है। सड़क के दोनों ओर युकेलिप्टस के पेड़ हैं और वहां के निवासियों द्वारा अपने मकानों के परिसरों को अवैधानिक रूप से सड़क की ओर आगे बढ़ा लिए जाने एवं दो मंजिले भवन बनाकर अवैध रूप से भवन का छज्जा निकालकर विद्युत एल0टी0 लाइन को अपने घरों के अन्दर कर लिया गया है। कुछ लोगों द्वारा दो मंजिला भवन बनाकर सड़क की ओर इतना अधिक विस्तार कर लिया गया है कि विद्युत लाइन आधी छत के बीच में हो गयी है। फलस्वरूप पावर कारपोरेशन के कर्मचारियों को बिजली के अनुरक्षण में असुविधा होती है। उनके घरों के अन्दर जाना पड़ता है। इस कारण विभाग के लिए बिजली की लाइन का सर्किट बनाना असंभव है।

2-सड़क के दूसरी ओर युकेलिप्टस पेड़ के साथ-साथ वेल्डिंग प्रासेस विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा कारखाने अवैध रूप से सड़क के आगे बढ़ा लिया गया है। इस प्रकार सड़क के दूसरे किनारे से भी बिजली की लाइन बनाना असंभव है।

उक्त वर्णित परिस्थिति में शेष 70 उपभोक्ताओं की वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या का समाधान तभी संभव है, जब आवासीय भवनों के स्वामियों द्वारा कराये गये अवैध निर्माण को समाप्त करवाकर विद्युत लाइन खाली करा दी जाय ताकि उस पर दूसरा सर्किट खींचा जा सके एवं वेल्डिंग प्रासेस के कारखानों को लखनऊ नगर निगम/आवास विकास परिषद् द्वारा उन्हें अन्यत्र स्थापित कर दिया जाय।

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-12 में दी गयी यह सूचना कि ओल्ड पिकनिक स्पाट रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ में लो-वोल्टेज एवं हैवी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या नहीं थी, उचित नहीं था। इस सूचना को उपलब्ध कराए जाने के लिए श्री के0 आर0 पी0 पाण्डे, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल (द्वितीय) लेसा, लखनऊ जिम्मेदार है। श्री के0 आर0 पी0 पाण्डे सेवानिवृत हो चुके हैं।

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोट :-- † दिनांक 18-12-03 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 05-12-2003 को नियम-311 में प्राप्त एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, और श्री जगदीश नारायण राय की, दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, तीसरी सूचना श्री छोटे लाल वर्मा और डा0 राम बाबू हरित की, चौथी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की है। पांचवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत पहली सूचना श्री सलिल विशनोई की और दूसरी सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत हुईं। 1-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, 2-श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री रामनरेश यादव, 3- श्री सुरेश कुमार खन्ना।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आज कार्य-स्थगन की सूचना जिस अहम मसले पर दी गयी है, वह धान की सरकारी खरीद से जुड़ा है। किसानों द्वारा धान की कटाई और मड़ाई के बाद जो धान तैयार हुआ है, उसकी खरीद नहीं हो रही है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं, जहां पर बहुत धनी किसान हैं। आज स्थिति यह है कि प्रदेश सरकार ने धान को खरीदने का जो लक्ष्य बनाया, आज उस लक्ष्य की पूर्ति के संबंध में भौतिक रूप में जाकर देखा जाय तो स्थिति यह है कि धान क्रय केन्द्र नहीं खोले गये हैं। जहां कहीं खोले भी गये हैं, वहां पर कोई कर्मचारी नहीं रहता। सबसे बड़ा किसानों के साथ धोखा यह हो रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी का उनका धान है, उसमें उनको ब्लैक मेल करके उनसे या तो पैसा लिया जा रहा है या फिर हर किसान से प्रति क्विंटल पर 5 किलो या 10 किलो धान अलग से मांगा जाता है, उससे कहा जाता है कि यदि तुम इतना धान दे दोगे तो तुम्हें अच्छी क्वालिटी धान का रेट दिया जायेगा। आप जाकर इस बात का पता लगा लें।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पीठासीन हुए)

आज किसान अपना धान बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। आजकल किसानों के लड़की की शादी-ब्याह की लगन चल रही है, आज ठण्ड में उसे कम्बल-रजाई की जरूरत है। आज धान के

किसान को अपनी इन जरूरतों के लिये सरकार का भरोसा है। अभी फर्जी फीगर दे दी जायेगी कि इतने धान क्रय केन्द्र खोले गये हैं। मैं फिर दोहरा रहा है कि आज किसानों का शोषण हो रहा है। एक-एक किसान से कहा जा रहा है कि प्रति क्विंटल 10 किलो धान दे दोगे तब ही तुम्हारा अच्छी क्वालिटी धान का पैसा मिलेगा। आज किसान परेशान है, बोरा लेकर बिचौलिया खड़ा है। यह बहुत अहम मसला है और किसान अपनी गाढ़ी कमाई से इस धान को पैदा किया है, आज उसके धान की छीछालेदर हो रहा है। चाहे इधर के सदस्य हों, चाहे उधर के हों, आप जाकर धान क्षेत्रों में पता लगवा लें, कहीं खरीद नहीं हो रही है और व्यापारियों के हाथ में किसान अपना धान देने को मजबूर है। मान्यवर, आप बड़े दयालू हैं और हर चीज से गुजरे हैं, यह किसान की पीड़ा है और मुझे आपकी पीठ का भरोसा है, आप इस पर जम कर चर्चा करवा दें। दोनों तरफ से सदस्य अपने यहां का बता दें कि किसान की धान खरीद हो रही है अथवा नहीं। यहां सरकार के लोग भी बैठे हैं। अभी मंत्री जी आंकड़े पेश कर देंगे कि 5 हजार क्रय केन्द्र खोले गये हैं। मैं बड़े अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि यह किसानों के बड़े परिश्रम से पैदा किये धान का सवाल है, उनके रजाई-कम्बल का सवाल है, उनके धान की व्यापारियों द्वारा लूट हो रही है, इस लूट को बचाने के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता है कि इस विषय पर आप जरूर चर्चा करवा लें, चाहे एक घण्टे हो, चाहे दो घण्टे हो। किसानों की जो लूट हो रही है। उसको रोकने के लिये आप सरकार को निर्देश दें और उदार दिल से इस पर चर्चा कराने के लिये निर्देश दें।

श्री जगदीश नारायण राय-

अधिष्ठाता महोदय, आज इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की बात है आज इससे बड़ा और कोई विषय हो ही नहीं सकता, आज सरकार की नाक के नीचे किसान मजबूर है। श्री सुखदेव राजभर जी ने जो कुछ कहा मैं उसी में कुछ शब्द और जोड़ना चाहूंगा। आज धान क्रय केन्द्र खुले हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया है। किसान अगर भूल करके अपना अनाज ले करके वहां जाता है तो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और जो बिचौलिये बैठे हैं वह किसान का अनाज औन-पौने दामों में खरीद लेते हैं। आज प्रदेश की मुख्य फसल जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था चलती है वह चरमरा गयी है, इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अधिष्ठाता महोदय, आज पूरे उत्तर प्रदेश में धान किसानों का आधार है और आज सर्दी होने के कारण उनको घरेलू कपड़े के लिए और लड़के-लड़कियों की शादी के लिए पैसे की आवश्यकता है लेकिन धान क्रय केन्द्रों के न खुलने के नाते आज पूरे किसानों का धान बिचौलिये खरीद रहे हैं, जिससे किसान हतप्रभ हैं। इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है।

मान्यवर, इसी के साथ ही साथ आज किसान को पैसे की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि रबी की बुवाई का समय आ गया है और इस समय उसको खाद और बीज तथा सिंचाई के लिए पैसे की आवश्यकता है, इस कारण से किसान को धान औने-पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। जो सरकार

की किसान विरोधी नीति है उसके कारण आज किसान मारा-मारा फिर रहा है। जो धान क्रय केन्द्र खुले हुए हैं वहां पर जब किसान जाता है तो उस पर दोहरी मार पड़ती है एक तो अपने घर से किराया लगाकर किसान केन्द्र पर जाता है और दूसरी तरफ केन्द्र के लोग जो उनके मानक तय किये गये हैं उसके अनुसार किसान के अनाज की क्वालिटी को नकार देते हैं और किसान को अनाज वापस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और बिचौलियों के हाथों बेचना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार की किसान विरोधी नीति है इससे पूरे प्रदेश का किसान आज परेशान है, पीड़ित है, आन्दोलित है। इसलिए इस लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं जिससे किसानों को राहत मिल सके और उनको समुचित मूल्य मिल सके। जैसा कि नेता सदन भी कहते हैं कि किसान को उसके [illegible] का उचित मूल्य मिले इसलिए इस पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं।

खाद्य एवं रसद मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, 01 अक्टूबर, 2003 से धान की खरीद हेतु नीति निर्धारित कर दी गयी है। 1528 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो कि पूर्व में भी स्थापित थे। खरीद का कार्य 01 अक्टूबर के बाद प्रारम्भ हो गया है। पिछले वर्ष जो 45,936 मैट्रिक टन खरीद हुई थी उसके मुकाबले आज 1,06,740 (एक लाख छः हजार सात सौ चालीस) मैट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। आज तक हम 92.26 करोड़ रुपये का धान खरीद चुके हैं और उसमें से 76,83 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। किसानों को उसके अनाज का मूल्य दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं जो पिछले आंकड़े हैं उससे 4 गुना धान हम खरीद चुके हैं।

मान्यवर, हमारा यह प्रयास है कि पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को मिले। आप भी परिचित हैं कि इस वर्ष अतिवृष्टि होने के कारण धान की बम्पर क्रॉप हुई है और यह सरकार प्रारम्भ से ही सचेष्ट थी और उसी का नतीजा है कि रु0 550/-प्रति क्विंटल का मूल्य दिया जा रहा है। खुले बाजार में भी धान की कीमत रु0 520/-प्रति क्विंटल है। अगर कोई किसान बाजार में भी अपना धान बेच रहा है तो उसे भी अच्छी कीमत मिल रही है। पिछले दिनों जब अच्छी फसल हुई थी तो किसानों को उसका लाभकारी मूल्य तो दूर रहा पूर्ववर्ती सरकार ने लागत मूल्य भी नहीं दिलवाया। आज प्रदेश में काफी संख्या में क्रय केन्द्र संचालित हैं और उन पर धान की खरीद हो रही है। अगर कहीं कोई कमी है तो माननीय सदस्य बता देंगे, उसको मैं दिखवा लूंगा। इसमें कार्य-स्थगन का कोई सवाल नहीं है। यह किसानों की सरकार है और सरकार स्वयं सचेष्ट है। फिर भी आपका जो निर्देश होगा वह स्वीकार्य होगा।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा था कि माननीय मंत्री जी अभी एक आंकड़ा प्रस्तुत कर देंगे और यह कहेंगे कि काफी मात्रा में धान क्रय कर लिया गया है। मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई केन्द्र नहीं खुले हैं जो खुले भी हैं उन पर बिचौलिये बैठे हुये हैं। आप पता लगा लें। आप आजमगढ़ जनपद चले चलें। वहां आप स्वयं देख लेंगे कि कहां क्रय केन्द्र खोला गया है और कहां खरीद हो रही

हैं ? किसानों का कोई धान नहीं खरीदा जा रहा है। मान्यवर, इस सरकार की नीतियां किसान विरोधी है, यह सरकार किसान विरोधी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

(खाद्य एवं रसद मंत्री के कथन से असन्तुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, प्रदेश में अगर एक भी क्रय केन्द्र पर बिचौलियों के माध्यम से धान खरीदने की शिकायत बता दें तो सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी। सभी क्रय केन्द्रों पर सीधे किसान से धान खरीदा जा रहा है, बिचौलियों से कोई खरीद नहीं हो रही है। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। हम सीधे किसानों से धान का क्रय कर रहे हैं और समर्थन मूल्य का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। मान्यवर, अब तक एक लाख 67 हजार 740 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में इसी समय तक मात्र 45 हजार 936 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। पिछले दिनों किसानों का आलू, धान व अन्य फसल बर्बाद हो गयी थी। यह सरकार किसानों के हित के लिए निरन्तर चिन्तित है, क्रियाशील है। इसमें कार्य-स्थगन का कोई औचित्य ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

इस सूचना पर माननीय सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और माननीय खाद्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इसे अग्राह्य करता हूं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम सब अवगत हैं कि इलाहाबाद के अन्दर प्रत्येक वर्ष माघ मेला होता है जिसमें देश विदेश से लाखों लोग संगम में गंगा स्नान करने आते हैं। पिछले वर्ष जब माघ मेला आयोजित हुआ था तो गंगाजल लाल हो गया था, इतना प्रदूषित हो गया था कि वहां के साधु-सन्तों ने धरना-प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिया था। नागरिकों ने भी गंगा जल की स्वच्छता के लिए आवाज उठायी थी। आने वाले समय में माह जनवरी में पुनः माघ मेला प्रारम्भ होने जा रहा है और उसकी तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि गंगा का जल स्तर बहुत कम हो गया है। दारागंज से संगम तक तथा रसूलाघाट व अन्य स्थानों का जल स्तर बहुत ही कम हो गया है। शहर के जो गन्दे नाले उसका पानी गंगा में आ रहा है। जहां पर लोग स्नान करते हैं उसके बगल में दाह संस्कार होता है, जिसकी दुर्गन्ध भी आती रहती है और पानी कम होने की वजह से अधजली लाशें भी उतरातीं रहती हैं जिसके कारण जो यात्री स्नान के लिए आते हैं उनको कठिनाई होती है। मान्यवर, यह गम्भीर समस्या है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय है, तात्कालिक है और जनवरी माह में माघ मेला प्रारम्भ होगा जिसमें प्रदेश व देश भर से लोग आयेंगे। वहां कोई कठिनाई न हो, कोई दिक्कत न आये तथा गंगा प्रदूषण मुक्त हो। कहने को तो प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड बना हुआ है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मान्यवर बहुत ही गम्भीर प्रकरण है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपका बिल्कुल उचित प्रश्न है। मैंने जिलाधिकारी से बात की थी और भारत सरकार से हमने सहयोग भी चाहा है। कानून-व्यवस्था अच्छी हो और वहां पर शान्ति बनी रहे और मैं स्वयं जाकर जानकारी भी लूंगा। हम चाहते हैं कि मेले को अच्छे-अच्छे से, अच्छे ढंग से संचालित किया जाय जिसके लिए हम तैयार भी हैं। मैंने तो अपनी जिज्ञासा जता दिया था कि मैं मेले से संबंधित मीटिंग भी लूंगा और जो कमियां होगी उसे ठीक किया जायेगा और बेहतर से बेहतर ढंग से किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री एवं मा0 श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की निम्नांकित सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकृष्ट किया गया:-

श्री छोटे लाल वर्मा तथा	जनपद आगरा की मासूम बालिका के साथ किये गये।
डा0 राम बाबू हरित	बलात्कार के सम्बन्ध में बलात्कारियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।
डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में हुये विधान परिषद् के चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
श्री मुंशी लाल गौतम	जनपद बुलन्दशहर स्थित सहकारी सूत मिल को चालू किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं अवगत है कि प्रदेश में सरकार ने 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की घोषणा की थी।

श्री छोटे लाल वर्मा-

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत ही गम्भीर है इस पर हमें भी सुन लिया जाय। मान्यवर, एक लड़की के साथ रेप किया गया है जो अभी तक एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जा रही है। सरकार को निर्देशित कर दें कि एफ0आई0आर0 दर्ज तो हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त रहे इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। पुराने परिपाटी को हम नहीं अपना रहे हैं। अगर कोई जुर्म होता है तो उसके विपरीत कोई भी आदेश सरकार के माध्यम से नहीं गये हैं या बलात्कार होता है, हत्या होती है, झगड़ा होता है तो रपट नहीं लिखी जायेगी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानकारी ले लूंगा और उस पर कार्यवाही हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

आपका विषय आ गया है इसको मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी दिखवा लेंगे और जो भी कार्यवाही होनी है वह हो जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपका आभारी हूं कि.आपने मुझे किसानों के विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की जो घोषणा है कि किसानों को 14 घण्टे बिजली आपूर्ति की जाएगी तो क्या वह आपूर्ति 14 घण्टे हो रही है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी यह जो सूचना आप दे रहे हैं इस सम्बन्ध में ही श्री प्रमोद कुमार जी की भी सूचना थी। जिसको माननीय अध्यक्ष जो द्वारा अस्वीकृत किया गया है। कृपया आप बैठ जायें। माननीय पाल जी आपकी सूचना श्री प्रमोद कुमार जी द्वारा पहले ही 14 नवम्बर, 2003 को आ चुकी हैं जिस पर श्री प्रमोद कुमार जी के हस्ताक्षर हैं यह नियम-56 में चौथे नम्बर पर आई थी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पीठ से एक ऐतिहासिक फैसला किया गया था और कहा गया था कि इस पर चर्चा नहीं हुई है, केवल ग्राह्यता हेतु यह सूचना ली गयी थी मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति का संकट बरकरार है और यह संकट इतना गम्भीर है कि इस पर शासन को भी गम्भीर होना पड़ा है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्री प्रमोद कुमार जी, आपकी सूचना शलाका में नहीं आई है इसे दो बार सुन लिया गया है और तीन बार ध्यानाकर्षण हो चुका है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी, आप प्रश्न उठायें मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे हुए और सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यह जनहित का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के 17 करोड़ लोगों में काफी संख्या में किसान हैं सरकार ने 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने का दावा किया था तो मान्यवर, विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित कोयला जो इसके लिए आवश्यक है न मिलने के कारण विद्युत उत्पादन बिल्कुल ठप्प हो गया है तो विद्युत आपूर्ति सूनिश्चित रूप से कहां से होगी।

श्री अधिष्ठाता-

तो इसमें आप क्या व्यवस्था चाहते हैं ? यही सूचना श्री तिवारी जी द्वारा सदन में पहले ही दी जा चुकी है इसकी सूचना नियम-56 में श्री तिवारी जी द्वारा 14 नवम्बर को आ चुकी है और इस पर शासन का ध्यानाकर्षण हो चुका है।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, इससे मैं सहमत हूं लेकिन कृपया आप मुझे सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं-नहीं माननीय पाल जी इसमें क्या व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें आप क्या व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर नहीं बोलूंगा। आप मेरी बात सुन लें, यह व्यवस्था का प्रश्न है। हम निश्चित तौर से इस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं। मान्यवर, मैं जानता हूं कि जो बात सदन में एक बार उठ जाती है फिर दोबारा उस पर चर्चा नहीं हो सकती लेकिन मान्यवर, यह प्रदेश की 17 करोड़ जनता के हित का प्रश्न है। आज सरकार के आश्वासन के बावजूद भी प्रदेश में किसानों को 14 घण्टे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही जिससे जनता का काफी नुकशान हो रहा है। आज विद्युत उत्पादन इकाईयों को कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है जिसके कारण सरकार पूरा विद्युत उत्पादन नहीं कर पा रही है जिससे प्रदेश की 17 करोड़ जनता के लिए कष्ट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है इसलिए मैं चाहता हूं कि कृपया आप इसे ग्राह्य कर लें।

श्री अधिष्ठाता-

आपने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया अगर किसी समय पर इस सदन में जनहित के प्रश्न पर सुना भी गया होगा तो वह सूचना जब शलाका में आई होगी तब सुना गया होगा। आज आपकी सूचना शलाका में नहीं आई है इसलिये इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 92 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 में नई धारा 92-क और 92-ख का बढ़ाया जाना

"92-क-(1) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की वसूली के लिये या धारा 92 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के लिये प्रमाण-पत्र के निष्पादन की कार्यवाही में निर्गत किसी आदेशिका के निष्पादन के लिये उतनी संख्या में अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी जितनी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

अमीन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति

(2) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, अमीनों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है।

92-ख-(1) एक निधि स्थापित की जायगी, जिसे "सहकारी संग्रह निधि" कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :--

सहकारी संग्रह निधि

(क) किसी सहकारी समिति को देय किसी धनराशि की प्राप्ति की वसूली का समस्त व्यय ;

(ख) धारा 92 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी अभिनिर्णय, आदेश या वसूली के लिये प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के निष्पादन का समस्त व्यय ;

(ग) ऐसी अन्य धनराशि जिसे राज्य सरकार निदेश दे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का उपयोग, देयों की वसूली से सम्बन्धित समस्त व्ययों को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा यथाविहित रीति में किया जायेगा। देयों की वसूली से सम्बन्धित व्ययों में, धारा 92-क के अधीन नियुक्त अमीनों और अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले कमीशन, वेतन, सेवानिवृत्ति के समय अवकाश-नकदीकरण, यदि कोई हो, उपदान, अन्य भत्ते, ऋण और अग्रिम, भविष्य निधि पर देय ब्याज और पेंशन भी, सम्मिलित होंगे।"

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत किया गया)

खण्ड-3

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2002

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया इस पर संशोधन रखें।

श्री बीजू पटनायक-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड तीन के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय :--

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाए :--

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2002 द्वारा या उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-3 इस विधेयक का अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

(2) यह 28 अक्टूबर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री अधिष्टाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्टाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये।

श्री अधिष्टाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

(2) धाराएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धारा 10 के खण्ड (एक) और (दो), धाराएं 11, 12, 13, 14 और 15 दिनांक 18 अक्टूबर, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 10 का खण्ड (तीन) दिनांक 6 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) में शब्द "संयुक्त-कमिश्नर या उप-कमिश्नर" के स्थान पर "या संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ख) में उपखण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार लोकहित में ऐसा करना समीचीन समझे, वहां वह अधिसूचना द्वारा किसी व्यापारी को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल की बिक्री किसी अन्य व्यापारी को करने पर, जिसे एतद्पश्चात् इस उपधारा में क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यथास्थिति, ऐसे कर या समाधान धनराशि का, जो ऐसे माल की पुनः बिक्री या ऐसे माल से निर्मित किसी अन्य वस्तु की बिक्री की दशा में क्रेता द्वारा देय हो, दायी होने की अनुमति दे सकती है और यदि ऐसा व्यापारी ऐसे दायित्व की जिम्मेदारी लेता है तो वह क्रेता के स्थान पर ऐसे माल की ऐसी पुनः बिक्री या ऐसी वस्तु की बिक्री के विक्रय धन के सम्बन्ध में कर या समाधान धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।"

4-मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर" रख दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की धारा 3-छ में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी निगम, उपक्रम या कम्पनी को की गई बिक्री के मामले में व्यापारी से इस उपधारा के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, यदि उसने कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसे निगम, उपक्रम या कम्पनी को माल की आपूर्ति करने के लिये आदेश की प्रति, माल के परिदान का प्रमाण और रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये गये भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है।"

6-मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, उपधारा (4) में, खण्ड (तीन) में शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

7-मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (4) में, खण्ड (एक) में शब्द "छपी हुई क्रम संख्या के साथ यथास्थिति, कैश मेमो या बिल का चालान देगा जिस पर उसका या उसके सेवक, मैनेजर या एजेन्ट का दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा" के स्थान पर शब्द "प्रिंटिंग प्रेस से छपी हुई क्रम-संख्या, फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और वह दिनांक जब से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है, फर्म की शाखाओं या गोदामों के साथ यथास्थिति, कैश मेमो या बिल या चालान देगा जिसको उसके या उसके सेवक, मैनेजर या एजेन्ट द्वारा सम्यक् रूप से भरा जायेगा और दिनांक सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 8-घ का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 8-घ में, उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह भी कि जहां इस उपधारा में निर्दिष्ट माल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 या 5 द्वारा आच्छादित हो, वहां ऐसे माल के सम्बन्ध में, इस उपधारा के अधीन किसी धनराशि की कटौती नहीं की जायगी।"

धारा 9 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (3) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"परन्तु यह और कि अपीलीय प्राधिकारी को धारा 8-क की उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन किये गये किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी।"

धारा 10 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 10 में ,-

(एक) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा (6) में, परन्तुक में, खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :--

"(तीन) अधिकरण को, धारा-8-क की उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कर निर्धारक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गये किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने की शक्ति नहीं होगी।"

(तीन) उपधारा (10) में, खण्ड (क) में,-

(क) उपखण्ड (1) में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द" दो लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपखण्ड (2) में शब्द और अंक "5 मार्च, 2001 को लम्बित रही हों और विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द और अंक "1 मई, 2003 को लम्बित रहीं हों और विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक न हो" रख दिए जाएंगे।

धारा 10-ख का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 10-ख में, उपधारा (1) में शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

धारा 13-क का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (6) में शब्द "सहायक-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "उप-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 15-क में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:--

"(3-क) उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें धारा 28-ख के अधीन माल के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, समाप्ति से छः वर्ष के अवसान के पश्चात् उपधारा (1) के खण्ड (थ) में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।"

धारा-29 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा-29 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

"(4) उपधारा (1), (2) और (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, जहाँ किसी व्यापारी द्वारा किसी निश्चित माल के क्रय पर कर का भुगतान कर दिया गया है और ऐसे माल से निर्मित माल के मूल्य में ऐसा कर सम्मिलित है और राज्य सरकार ने ऐसे क्रयों पर भूतलक्षी प्रभाव से कर के दायित्व से छूट प्रदान कर दी है तो व्यापारी ऐसे माल के क्रयों पर भुगतान किये गये कर की वापसी का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह कर निर्धारक अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध न कर दे कि उसने ऐसे कर के दायित्व को किसी तीसरे पक्ष को किसी विक्रय के परिणाम के रूप में या अन्यथा में अन्तरित नहीं किया है।"

धारा-32 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा-32 में, उपधारा (1) में खण्ड (क) में शब्द "एक सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "पचास रुपया" और शब्द "एक हजार रुपया" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपया" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

16-(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-25 सन् 2003

2-ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा या उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 द्वारा या उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा या उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो यह अध्यादेश सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था। — उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2002; उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-10 सन् 2003; उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-13 सन् 2003

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-16, खण्ड-1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मंत्री जी को कम से कम एक मिनट में संशोधन का उद्देश्य तो बताना चाहिए। चर्चा के बाद मतदान करा लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी, विचार रखना चाहेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, संशोधन की आवश्यकता है इसीलिए यह कष्ट दिया जा रहा है। इतना ही काफी है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, यह तो कोई उत्तर नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

कुछ विचार प्रकट करना चाहेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, कुछ कमियां होने की वजह से संशोधन की आवश्यकता थी इसी कारण संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, कोई अन्य सदस्य विचार प्रस्तुत करना चाहें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, जो संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है इसमें यह शर्त लगी है कि अधिवक्ता अगर कल्याणकारी स्टैम्प किन्हीं कारण से नहीं लगा पाएगा तो न्यायालय उसको अग्रेतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा। अगर किन्हीं कारणों से अधिवक्ता स्टैम्प नहीं लगा पाया जो उसके ऊपर बैरियर लगाया जा रहा है। इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन होना चाहिए।

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

यह कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। अधिवक्ता कल्याण निधि में 5 रुपए बढ़ाने की बात है, बार एसोशिएसन ने भी कहा है।

श्री सुखदेव राजभर-

इसका तो मैं स्वागत करता हूं। पर किन्हीं परिस्थितियों में अधिवक्ता कल्याणकारी स्टैम्प वकालतनामा पर नहीं लगा पाता है तो न्यायालय उसको अग्रिम कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा इस पर थोड़ा रिलैक्सेशन चाहता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

आप तो वकील रहे हैं आप भी सारी चीजें जानते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि वकालतनामे पर कोई लगाना भूल जाय वह अलग बात है लगाने की प्रक्रिया थोड़ी शिथिल हो जायेगी एक छोटा सा संशोधन है और कोई बात नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम, **उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन)** अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

(2) यह 11 जुलाई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1974 की धारा 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उप धारा (4) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

"(5) जहाँ किसी मामले में किसी अधिवक्ता द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट कल्याणकारी स्टाम्प वकालतनामा पर नहीं लगाया जाता है या उसे दाखिल नहीं किया जाता है, वहां न्यायालय ऐसे अधिवक्ता को उस मामले में अग्रतर कार्यवाही की अनुज्ञा नहीं देगा।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-24 सन् 2003

2-ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधीनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-18 सन् 2003

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क-3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:-

"(क-3क) 'विधिक प्रतिनिधि' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि में प्रतिनिधित्व करता हो और इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसमें पेंशनिक, सेवानिवृत्ति, सेवान्त या अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकार निहित हो।"

धारा-4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा संबंधी मामले के सम्बन्ध में किसी आदेश से व्यक्ति हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिये अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकेगा।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "आदेश" का तात्पर्य राज्य सरकार या धारा-2 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निगम या कम्पनी द्वारा या राज्य सरकार या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी या निगम या कम्पनी के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या प्राधिकरण द्वारा दिये गये किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता से है :

परन्तु यह कि किसी करार के निबन्धनों के अधीन रहते हुये, किसी लोक सेवक के स्थानान्तरण से उत्पन्न होने वाले किसी दावा के बारे में कोई निर्देश नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि किसी लोक सेवक की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसके विधिक प्रतिनिधि, और जहां दो या दो से अधिक विधिक प्रतिनिधि हों, सभी संयुक्त रूप से, ऐसे मृत लोक सेवक को देय वेतन, भत्ता, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवा सम्बन्धी आर्थिक लाभों हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दलित विधायक के पुत्र की पिटाई का मुकदमा पंजीकृत न किये जाने विषयक विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचना

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-10 से पहले विशेष उल्लेख के अन्तर्गत श्री प्रागी लाल अहिरवार जी की सूचना है उसको सुन लेते हैं।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक विशेष घटना की ओर ले जाना चाहता हूं। एक दलित विधायक के पुत्र की पिटाई के सम्बन्ध में मैंने सूचना दी है। मान्यवर, दलित विधायक के पुत्र की पिटाई के बाद मुकदमा पंजीकृत भी नहीं किया जाता है। दिनांक 1-11-2003 को विधायक के पुत्र रोहित रतन बबीना झांसी से अपनी बहिन की सास के दाह संस्कार से लौट रहा था। प्रेम नगर क्षेत्र गड़िया फाटक के पास से गुजर रहा था कि सिपाही सत्येन्द्र सिंह यादव और उसके साथी ने रोहित रतन को रोककर दारू पीने और मुर्गा खाने के लिये पैसों की मांग की तो उसने अपने पास के पैसे देते हुये कहा कि वह विधायक श्री रतन लाल अहिरवार का पुत्र है।

विधायक का नाम सुनते ही पुलिस वाले आग बबूला हो गये और उसको घसीटते हुये थाने ले गये और लात घूसों से उसकी पिटाई की और जब वह बेहोश हो गया तो घटना देख रहे लोगों ने थाने का घेराव किया और विधायक जी को उसका संदेश दिया। जब विधायक जी थाने पर आये तो देखा कि वहां पर सैकड़ों लोग थाने का घेराव किये हुए थे और विधायक जी भी धरने पर बैठ गये और सिपाही के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करने की मांग करने लगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता चन्द्र पाल सिंह यादव आये और विधायक जी को धरने पर से उठाया और उक्त सिपाही के

विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने को आश्वासन दिया लेकिन मुझे खेद है कि सिपाही के यादव होने के नाते अभी तक उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। अतः अनुरोध है कि उक्त सिपाही के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करके कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। मान्यवर, यही निवेदन है कि दलितों का उत्पीड़न रोका जाय। मान्यवर, विधायक का पुत्र सुरक्षित नहीं है दलितों में संदेश गया है कि वे असुरक्षित हैं मैं इस पर कार्यवाही की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

सुबह माननीय नेता सदन ने आश्वस्त किया था माननीय विधायकों के संबंध में इस तरह की कोई भी सूचना प्राप्त होती है उसको गम्भीरता से लिया जाएगा, सख्त कार्यवाही होगी सुरक्षा संबंधी दूसरे भी मामले हैं इस मामले को दिखवा लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

उचित कार्यवाही इसमें करा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसी कोई कार्यवाही नहीं होगी कि भविष्य में कहने का मौका हो।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा †

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पिछला लेखानुदान का सत्र जो बुलाया गया था उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया था दोनों दिन प्रश्न प्रहर नहीं हुआ उन्होंने उत्तर में कहा था कि बजट सत्र बुलाया जाएगा तो सभी संदस्यों को समय मिलेगा हम सभी अवगत हैं कि यह बजट सत्र है लेकिन मात्र पांच दिन का समय इसके लिये निर्धारित किया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार प्रदेश की समस्याओं से क्यों भागना चाहती है जो नियम होता है पांच दिन में आम बजट प्रस्तुत करने के बाद उस पर चर्चा, उसके बाद अन्य विभाग हैं इसके लिये 24 दिन का प्राविधान है इसको कम किया गया है यह उचित नहीं है।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी वित्त मंत्री जी भी हैं इन्होंने 17 सितम्बर को लेखानुदान बजट प्रस्तुत किया इसमें चार चीजों की वरीयता के बारे में बताया गया पहली वरीयता थी गन्ना मूल्यों का भुगतान 30 सितम्बर, 2003 तक करना दूसरी वरीयता थी सरकारी अस्पतालों में वास्य रोगियों का पर्चा एक रुपया करना, भर्ती मरीजों को निःशुल्क शैय्या उपलब्ध कराना, राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के छात्रों की बढ़ी फीस को वापस लेना। ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश मान्यवर यह चार प्राथमिकतायें थीं इन चार चीजों के बारें में मैं कहना चाहता हूं पहली बात जो इन्होंने कही थी कि गन्ना मूल्य का भुगतान 30 सितम्बर, 2003 तक कर दिया जाएगा आज 5 दिसम्बर है माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय अपने उत्तर में कहा था 205 करोड़ रुपया किसानों के भुगतान का अवशेष है तो यह आश्वासन असत्य नहीं होना चाहिये। कल ही मुख्य मंत्री जी ने गन्ना विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और कहा है कि 15 जनवरी तक भुगतान हो जायेगा तो

नोट :-- † दिनांक 4 दिसम्बर, 2003 की कार्यवाही से।

इस पर गन्ना किसान विश्वास करे या न करे इस पर प्रश्नचिन्ह लग गया है, एक बात और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में कही थी पिछले पेराई सीजन में 101 चीनी मिलों में पेराई की गई और कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इस वर्ष 91 चीनी मिल चलेंगी अर्थात 10 चीनी मिलें सरकार बन्द करना चाहती है। इधर के लोग उधर बैठते थे तो कहते थे चीनी मिल क्यों बन्द की जा रही हैं तो यह जो चीनी मिल बन्द की जा रही है यह प्रदेश के लिये अहितकर है। चीनी मिलों को बन्द नहीं किया जाना चाहिये। मुख्य मंत्री जी ने पर्चे की फीस सरकारी अस्पतालों में जो बढ़ी थी उसको कम कर दिया जो कहा था उसको निभाया। आपने पर्चे का मूल्य 8 रु0 से कम करके एक रुपया कर दिया यह व्यवस्था आपने होम्योपैथिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिये की है।

श्रीमन् इलाहाबाद में मेडिकल कालेज है 8 रु0 का जो पर्चा बनता था उससे जो पैसा मिलता था उससे वहां की व्यवस्था चलती थी यह पैसा कम हो गया है साल भर में 43 लाख रुपया उससे मिलता था, उसकी आय कम हो गयी है। जो पैसा मिलता था, उससे मेडिकल कालेज की व्यवस्था सुधरती थी। मैं इस सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये 300-400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है लेकिन इसकी व्यवस्था बजट में कहीं नहीं की गयी है। इससे चिकित्सालयों की व्यवस्था कैसे ठीक होगी और इससे किसी रोगी का हित नहीं होगा।

तीसरी बात यह कही गयी थी कि बढ़ी फीस वापस ली जायेगी, लेखानुदान पेश करते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बढ़ी फीस वापस की जायेगी लेकिन किसी भी महाविद्यालय में बढ़ी हुई फीस वापस नहीं की गयी है। इससे भी ज्यादा मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि 1995 के स्तर पर हम फीस को लायेंगे, आप बिल्कुल फीस माफ कर दीजिये, बहुत अच्छी बात है लेकिन शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। इसके लिये कम से कम 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये। जिसकी व्यवस्था मुख्य मंत्री जी ने बजट में नहीं की है। चौथी बात बिजली सुधार के बारे में हुई थी। आज इस पर बहुत बात हो चुकी है, कितनी सेन्सिटिव है यह सरकार, बिजली के जितने भी प्रश्न आये, सरकार किसी का सही उत्तर नहीं दे पायी।

मैं इलाहाबाद शहर से आता हूं, पहले चार घण्टे बिजली की कटौती होती थी लेकिन आज कटौती बढ़ रही है, कितने घण्टे आप बिजली कटौती करते हैं इसको समाचार-पत्रों में भी आना चाहिये ताकि आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके।

उत्तर प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह से डावांडोल है। राजस्व का 88 प्रतिशत कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ब्याज में व्यय हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति 6000 रुपये का कर्जदार है, इसकी हम सभी को चिन्ता करनी चाहिये कि कैसे उत्तर प्रदेश का आर्थिक स्तर बढ़े। अभी जो बजट मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसमें कुछ प्राथमिकतायें गिनायी हैं, कृषि, सिंचाई, उद्योग, व्यापार, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में सुधार की बात कही गयी है। इसके अलावा प्रदेश के त्वरित औद्योगीकरण एवं पूंजी निवेश हेतु "उत्तर प्रदेश विकास परिषद्" का गठन किया गया है, अच्छी बात है लेकिन कुछ बिन्दुओं पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी बरसात बीती है, सड़कों की हालत खराब है। पहले इलाहाबाद से लखनऊ आता था तो 3 से 3.5 घण्टे लगता था लेकिन आज

4 घण्टे से ज्यादा समय लगता है। यह स्वयं सिद्ध करती है सड़कों की हालत खराब है। आप बनारस जायें या कहीं भी जायें, सड़कों की हालत खराब है। इनको वरीयता से ठीक किया जाय।

मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं, कोई भी बेसिक या माध्यमिक विद्यालय या यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कालेज हो, होम्योपैथिक मेडिकल या आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज हो, वहां पठन-पाठन भी होता है। यदि शिक्षक नहीं होंगे तो यह कैसे होगा ? बेसिक विद्यालयों के बारे में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर 89862 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, क्या इससे बेसिक शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी ? इन रिक्त पदों को भरने की तत्काल कार्यवाही की जाय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक प्राचीन विश्वविद्यालय है जिसे भारत सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया है, वहां लगभग 525 शिक्षकों के पद हैं लेकिन 200 से अधिक पद रिक्त हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं जहां एक तिहाई शिक्षक हैं, दो तिहाई पद खाली है। इन पदों को भरा जाय।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में हजारों की संख्या में बी0 एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार हैं जो बेसिक विद्यालयों के अन्दर अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं यदि इनके द्वारा यह पद भर लिये जायें तो उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में भी कहना चाहता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के जो चिकित्सालय हैं, जो मेडिकल कालेज हैं, जो राजकीय मेडिकल कालेज हैं उनमें नियमित प्राचार्य नहीं हैं। इससे वहां पर कार्यपद्धति प्रभावित होती है। न जाने कितने ही शिक्षकों के पद वहां रिक्त हैं इस तरह से व्यवस्था वहां पर चल रही है। राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों में भी शिक्षकों की कमी है। इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था ठीक की जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में जो चिकित्सालय हैं क्या वहां पर डाक्टर बैठते हैं ? आपने पर्चे का दाम तो 8 रु0 से 1 रु0 कर दिया लेकिन चिकित्सालयों की व्यवस्था सही करने के लिये कोई कदम वहां पर नहीं उठाये हैं। हमारे जितने भी सरकारी चिकित्सालय, मेडिकल कालेज हैं वहां पर दवाओं की कमी है। वहां पर उपकरण खराब हैं।

इसके साथ ही जो हमारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज, प्राइवेट मेडिकल कालेज चल रहे हैं उनका शुल्क बहुत अधिक लिया जा रहा है। सरकार को इसके मूल्य कम करने के लिये कदम उठाने पर विचार करना चाहिये। सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनायी है। नाम तो है विकास परिषद् लेकिन अभी तक उसने क्या कदम उठाये हैं। केवल निजीकरण के अलावा राज्य की 24 चीनी मिलों को बेचने, आवास विभाग का भी निजीकरण और ऊर्जा विभाग का भी निजीकरण किया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो ईमानदारी से करना होगा। विकास परिषद् में जो सदस्य बनाये गये हैं इसमें कोई आर्थिक टेक्नीशियन नहीं रखा गया है जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हो।

उत्तर प्रदेश विकास परिषद् उद्योगपतियों के विकास के लिये बनायी गयी है। इसके माध्यम से अभी तक प्रदेश में कितना पूंजी निवेश हुआ है यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं ? रोजगार व बेरोजगारी भत्ते की बात कही गयी है। बजट में भी बेरोजगारी भत्ते की बात कही गयी है। अगर आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते तो जो 1 लाख पद विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े हैं अगर आप वह भर्ती कर लें तो कम से कम एक लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। विकास में राजनीति नहीं होनी चाहिये। जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो हम वोट मांगते हैं, जिसने हमें वोट दिया है हम उसका काम

करेंगे, लेकिन जब हम विधायक हो जाते हैं तो हम उस क्षेत्र की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो पूर्वांचल विकास निधि है उससे पूर्वांचल का विकास होना था उस पर रोक लगा दी है। इसमें आप हस्तक्षेप करके इसको जारी करें ताकि पूर्वांचल का विकास हो सके। इलाहाबाद के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद का धार्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान है।

इलाहाबाद को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाना चाहिये। 2001-02 में जब श्री राजनाथ सिंह मुख्य मंत्री थे तो इलाहाबाद में अल्लापुर (बाघम्बरी गद्दी) में 2 करोड़ 50 लाख रुपये सीवर के लिये स्वीकृत किये थे। जिसमें से 50 लाख अवमुक्त हो गये थे। 50 लाख रुपये का जो काम हुआ है वह मिट्टी में न मिल जाये इसलिये इसको पूरा करने के लिये बाकी के 2 करोड़ रुपये अवमुक्त किये जायें जिससे इसका सदुपयोग हो सके। इतना कहते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी द्वारा रखे गये, बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, सिंचाई आदि परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिये। लोकप्रिय सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास, महिला, अल्पसंख्यको के हित तथा समाज के दुर्बल वर्गों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है जो कि एक सराहनीय कदम है। यह देश और प्रदेश गांव में बसता है और उत्तर प्रदेश की 72.2 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किसानों का विकास हो, इसके लिये जरूरी है कि उसके खेतों में उत्पादन बढ़े और उत्पाद का सही दाम मिले।

बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछली सरकार ने जो गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किया था, 95-100 वह घोषित मूल्य निजी चीनी मिलों द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मामला कोर्ट में है और कल ही माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जैसे ही कोर्ट का फैसला होगा, गन्ना मूल्य निर्धारित कर दिया जायेगा। यह खुशी की बात है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों की सरकार का प्रतिनिधत्व करते हैं। लिहाजा मेरी माँग है कि गन्ना लागत बढ़ती जा रही है तो इस पेराई सीजन में कम से कम 105 से 110 रुपये गन्ना मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिये। मान्यवर, कृषि में महत्वपूर्ण निवेश है पानी। सिंचाई के लिये पानी की महती आवश्यकता है और सिंचाई ज्यादातर निजी ट्यूबवेल द्वारा की जा रही है और दूसरा नहरों द्वारा। लेकिन निजी नलकूप हेतु किसानों का दो-दो वर्षों से पैसा जमा है। इनके निजी ट्यूबवेल का ऊर्जीकरण नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, मैं जिला बागपत से चुनकर आया हूँ। वहाँ पर एक हजार से अधिक किसानों का विद्युत इस्टीमेट का पैसा जमा है लेकिन कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इन किसानों को शीघ्र कनेक्शनों को दिये जाने का आग्रह करता हूं।

मान्यवर, आनपरा-सी ओबरा और पारीक्षा जैसे तापीय संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की जा रही है। सरकार द्वारा गांव में चौदह घंटे बिजली दी जा रही है यह एक सराहनीय कदम है और इसका हर

जगह स्वागत हो रहा है। प्रदेश में सपा और लोकदल की गठबंधन की सरकार है मेरी माँग एवं सुझाव है कि सायं 6 से 10 बजे तक गाँव में बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। वह भी इस देश के नागरिक हैं और गाँव के बच्चों की पढ़ाई का मामला है वह बहुत पिछड़ रहे है। तो मेरा सुझाव है कि शाम को 6 से 10 बजे तक गाँव में यथासंभव विद्युत आपूर्ति की जाय। मान्यवर, गन्ने की बात दोबारा उठाना चाहूँगा गन्ने के मूल्य के निर्धारण में देरी हो रही है इसके लिये केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीतियाँ भी जिम्मेदार हैं। गन्ने से आप कागज तथा गन्ने के शीरे से अल्कोहल इथानाल आदि बनाया जाता है तो गन्ना के सह-उत्पादों पर आधारित उद्योग को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर यह व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो इससे न केवल किसानों को अधिक लाभकारी मूल्य शीघ्र मिलेगा अपितु मिलों की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मान्यवर, यह सरकार चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की सरकार है देश एवं प्रदेश के किसानों के मसीहा स्व0 चौधरी चरण सिंह जी का शताब्दी वर्ष मना रहा है और मुख्यमंत्री जी उनके बहुत बड़े अनुयायी हैं और चौ0 साहब उनके प्रेरणास्रोत रहे हैं। चौधरी साहब के साथ पक्ष विपक्ष के बहुत से लोगों को काम करने का मौका मिला है। मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि इस वर्ष चौ0 चरण सिंह शताब्दी वर्ष में प्रदेश स्तर पर बड़ी कल्याणकारी योजना उनके नाम पर चालू की जाय। इससे न केवल प्रदेश के किसान अपने को सम्मानित महसूस करेंगे अपितु गांव, गरीब, सभी अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। मुझे विश्वास है कि आगामी कुछ दिनों में सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा होगी। मान्यवर, जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षिप्त करें।

डा0 अजय कुमार-

सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं, जेसे कृष्णा-दोआब परियोजना पश्चिमी उ0 प्र0 लागू की जा रही है, उससे सिंचन क्षमता बढ़ेगी, उसका स्वागत किया जाना चाहिये, लेकिन पूर्वी यमुना नहर है, जिससे सहारनपुर से लेकर मुजफ्फर नगर, बागपत तक की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है इसमें सिंचाई हेतु पानी बहुत कम है। एक योजना हमारे बहुत प्रयासों से बनाई गई है, जो चार साल में पूरी होगी, उसमें टिहरी बांध से पूर्वी यमुना नहर में पानी लाने की योजना है मेरी गुजारिश है कि यह परियोजना समय से पूरी हो सके, इसके लिये इसमें दुगने स्तर से काम चालू किया जाय, क्योंकि वर्तमान पूर्वी यमुना नहर के पानी से सिंचाई की सुविधा पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही है। और पूरे प्रयासों के बावजूद भी पानी नहरों में टेल तक नहीं आता है, मैं सिंचाई के बारे में एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों से आबपासी तब ही वसूल की जाय, जब तक संबंधित फसल को, उसकी आवश्यकता की आधी सिंचाई संख्या उपलब्ध न हो जाये।

मान्यवर, मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जब फसल को सही समय और मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है तो फसल पर कुप्रभाव पड़ता है और संबंधित किसान और प्रदेश की औसत उत्पादकता एवं कुल उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाय और अन्त में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पेयजल आपूर्ति के

लिये तमाम प्रयास किये जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके लेकिन विधायकों को हैण्ड पम्प दिये जाते हैं यह संख्या बहुत ही कम हैं, सिर्फ 50 हैण्ड पम्प आवंटित किये जाते हैं हर विधायक के विधान सभा क्षेत्र में करीब सौ-सौ गांव हैं, इसलिये यह कम से कम सौ-सौ हैण्डपम्प तो आवंटित होने ही चाहिये। या तो हैण्डपम्पों की संख्या बढ़ायी जाये नहीं तो जो 50 दिये जाते हैं, उन्हें भी न दिया जाय, क्योंकि इतने कम हैण्ड पम्पों से क्षेत्रवासियों की मांग पूरी नहीं होती।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

डा0 अजय कुमार-

सबसे अन्त में, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुये प्रदेश की कल्याणकारी सरकार द्वारा, जो बजट पेश किया गया, मैं उसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, आपने मुझे बजट प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, यह सरकार किसानों की है, किसान मुख्य मंत्री हैं। लेकिन इस बजट को देखने के बाद कहीं से भी यह नहीं झलकता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इस बजट को देखा भी है। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने जो बजट बनाकर दे दिया उसे प्रस्तुत कर दिया है। मान्यवर, हर बार यह देखने को मिलता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन उसको सुधारने की दिशा में कोई कदम इस बजट में नजर नहीं आता है। जहां प्रतिदिन 22.08 करोड़ का राजस्व घाटा है जहां प्रतिदिन 54.25 करोड़ खजाने का घाटा है और जहां विकास दर 3.1 प्रतिशत है। मान्यवर, यही नहीं योजनागत व्यय मात्र 5.4 फीसदी है और प्रति व्यक्ति 6745 रुपये का कर्जदार है। लेकिन इस बजट में ऐसा कहीं नहीं दर्शाया गया है कि इस स्थिति में कैसे सुधार होगा।

मान्यवर, 31 प्रतिशत लोग यहां गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। 75 प्रतिशत किसान खेती से जुड़े हुये हैं। मान्यवर, हर बार पुरानी बातों को ही दोहराया जाता है कि विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में खोल दिये गये हैं, रिसर्च वर्क बढ़ेगा और बीज प्रमाणीकरण संस्थायें खोली जायेगी। जो पुराना ढांचा बजट का चला आ रहा है, उसी को हर बार दोहरा दिया जाता है। इस सरकार की मंशा कुछ स्पष्ट नहीं हो रही है कि यह जो किसानों का दम भरने वाली सरकार है वह किसानों के लिये क्या करना चाहती है। मान्यवर, बार-बार यह कहा जाता है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकार में मैं भी सरकार में था मान्यवर, उसमें पिछले वर्ष प्राप्तियां अनुमान से 1529,97 करोड़ रुपये कम हुई थी। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय करों के राज्यांश में 1058.18 करोड़ रुपये अनुमान से कम दिये गये केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में 207.14 करोड़ रुपया कम दिया गया पिछले वर्ष समस्त देनदारियों में 1953.27 करोड़ रुपया कम था।

मान्यवर, इसके बावजूद भी कहीं भी प्रदेश में विकास का कार्य नहीं रुका था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो इस बजट में घाटा दिखाया गया है उसको पूरा करने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं है। मान्यवर, बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। मान्यवर, 2000-2001 में 6289.31 करोड़ रुपये का घाटा था और जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है, मौजूदा वर्ष 2003-2004 में यह घाटा

19803.24 करोड़ रुपया हो गया है इसकी प्रतिपूर्ति कहां से करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, इस बजट को प्रस्तुत करने के लिये इस सरकार की मंशा अच्छी रही होगी, सरकार ने पूरक बजट भी लिया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जनता के हित में प्रभावी कार्यक्रमों का निर्धारण होना चाहिये। बजट को देखने से लगता है कि सरकार ने जनता के कल्याण की बात नहीं सोची है और हम गरीब किसानों के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की बात कही गयी है यह परिषद् किस चीज का विकास कर रही है यहां कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग लगाने जा रही है। कृषि पर आधारित उद्योग नहीं लगेंगे तो चाहे आप कितने बड़े बड़े उद्योग लगा ले प्रदेश का विकास उससे उतना नहीं होगा। मान्यवर, लघु उद्योग इस प्रदेश से समाप्त हो गये हैं जबकि यह बात सही है कि प्राकृतिक रूप से यहां हर चीज मौजूद है प्रकृति ने हर जिले में कोई न कोई अमूल्य सम्पदा अवश्य दी है। जिसका हम लघु उद्योगों के विकास में अच्छा उपयोग कर सकते हैं मैं विकास परिषद् और माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विकास परिषद् से कहें कि यदि वह प्रदेश के विकास के लिये कुछ करना चाहते हैं तो किसानों की भलाई के लिये लघु उद्योगों को लगाने के लिये प्रोत्साहन दें, पूंजी निवेश करायें नहीं तो प्रदेश के विकास की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी, सरकारें आती रहेगी और जाती रहेगी। मान्यवर, किसानों के बारे में इस बजट में एक शब्द भी कहीं नहीं है। कृषि पर आधारित जो हमारे उद्योग हैं पशुपालन और मुर्गीपालन वगैरह के बारे में एक शब्द भी इस बजट भाषण में देखने को नहीं मिला है। अगर होगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी क्या नीति है। इससे स्पष्ट होता है कि यह बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने नहीं तैयार किया है। इस बजट को ब्यूरोक्रेट जिसको इस देश और प्रदेश के बारे में कुछ पता नहीं है जिसके बारे में यह कहते हैं कि उन लोगों को दबाया गया है उनकी मानसिकता को समझे। मान्यवर, यह पूर्णरूप से सरकारी मशीनरी द्वारा तैयार किया गया बजट है, इसकी मंत्रिमंडल में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिये इस बजट से कहीं कोई उम्मीद नहीं है। मैं इसका विरोध करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री विवेक बंसल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय जैसा कि इस बजट से विदित होता है कि यह जन कल्याणकारी बजट है। इसमें पदेश के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको उठाया गया हे और उन चुनौतियों को स्वीकार किया गया है। मैं चन्द बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

मान्यवर, मुख्य रूप से कानून व्यवस्था और शान्ति व्यवस्था को लेकर इसमें बात कहीं गयी है। मैं अलीगढ़ शहर से जो अति संवदेनशील शहर है से चुनकर आता हूं। शान्ति व्यवस्था और पुलिस के आधुनिकीकरण की जो बात कही गयी है इसमें मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो संवेदनशील शहर हैं जहां पर पुलिस के माईनाईजेशन पर अधिक धन व्यय किया जाय। वहां पर कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुये वहां ज्यादा पैसा दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह निवदेन चाहता हूं मैं खुद एक खिलाड़ी हूं, खेल के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां स्टेडियम है, सब कुछ है। पिछले दिनों से खिलाड़ी लोग आकर अक्सर मुझसे कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिये और खेल में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन होना चाहिये। इसको मद्देनजर रखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि स्टेडियम में फीस 200 रुपये से बढ़कर 350 रुपया कर दी गयी जो कि मैं समझता हूं कि बहुत अधिक है। यह उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिये बहुत अधिक है। मेरा निवेदन है कि इस बिन्दु पर गौर किया जाय। दूसरी बात यह है कि वहां पर इस तरह की व्यवस्था की जाय कि जो फीस के रूप में पैसा आता है वह उसके आधुनिकीकरण में खर्च होना चाहिये। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था आपने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण होगा मेरा निवेदन है कि शहर से जो जनप्रतिनिधि आते हैं उनके लिये भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हम लोग भी इसमें कुछ कर सकें।

चौथी चीज है कि हमारे जनपद अलीगढ़ में डूडा के तहत जो काम होता है अच्छा काम होता है लेकिन इस वर्ष पिछले 6 माह से एक भी पैसा नहीं आया है। मेरा नगर विकास मंत्री से अनुरोध है कि डूडा के लिये जो पैसा है वह तत्काल वहां भेजा जाय क्योंकि अलीगढ़ में बड़ी समस्यायें हैं, जल भराव की समस्या है मलिन बस्तियों की समस्या है। डूडा का पैसा बहुत जरूरी है उसे अविलम्ब भेजा जाय। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन उद्देश्यों को लेकर बजट बनाया गया है वह बहुत ही अच्छा है और उसको अमल में लाने के लिये पूरे सदन के सहयोग से ही हम सफल होंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री अजीम भाई का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस बजट भाषण के विरोध में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह सरकार वास्तव में संवेदनहीन है। बजट भाषण पर चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष की ओर से न माननीय मुख्य मंत्री जी हैं और न संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। इतने महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे हैं, इनका कहीं उल्लेख नहीं हो रहा है। मान्यवर, इस बजट भाषण में पेज नं0 1 से लेकर 47 तक कहीं भी श्रमिकों का, मजदूरों का, गरीबों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में इस बात से यह सिद्ध होता है कि यह सरकार गरीबों की विरोधी है, श्रमिकों की विरोधी है, मजदूरों की विरोधी है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और यदि बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाये तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस बजट भाषण में इस बावत कहीं भी धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है कि बेरोजगारों को कहां से बेरोजगारी भत्ता देंगे। इस समय प्रदेश में शिक्षित, अशिक्षित, उच्च शिक्षा प्राप्त नौजवानों की लगभग एक करोड़ से ज्यादा संख्या होगी, यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उनको 50 रुपया प्रतिमाह भी भत्ता देंगे तो कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, इसका आंकलन नहीं किया गया है। अधिष्ठाता जी, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा कि मेरी बात ठीक से आ जायें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंस्पेक्टर राज समाप्ति की घोषणा की। यह इंस्पेक्टर राज का स्वरूप क्या है, आखिर यह है क्या ? माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट भाषण का उत्तर दें तो इसके बारे में जरूर उल्लेख करें कि इंस्पेक्टर राज का स्वरूप क्या है ? इंस्पेक्टर राज, दूध में पानी मिलाकर बेचा जाय, कोई समस्या नहीं। दूध में पानी की एक बूँद हो, कोई दिक्कत नहीं। दूध में दूध की एक भी बूंद न हो और पूरा केमिकल दूध हो तो क्या यह इंस्पेक्टर राज नहीं है। अब दवाइयां नकली बनेंगी, विकास परिषद् का बोलबाला हो गया है, अब उद्योगपति नकली दवाईयां बनाकर बेचेंगे और उनको चेक नहीं किया जायेगा तो क्या यह इंस्पेक्टर राज नहीं है। गरीबों को, मजदूरों को उचित मजदूरी न मिले, उनको मिनिमम वेज नहीं दिया जाय, इसकी कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि फैक्टरी में कोई चेक करने नहीं जायेगा। इतना ही नहीं खाद्य पदार्थों में अखाद्य चीजें मिलाकर बेची जायेंगी और कोई इंस्पेक्टर चेक करने नहीं जायेगा यह इंस्पेक्टर राज नहीं है। इतना ही नहीं, हत्यायें हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, पुलिस कहीं जा नहीं रही हैं, क्योंकि अब इंस्पेक्टर राज समाप्त कर दिया गया है। पुलिस से कह दिया गया है कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह चिन्ता की बात नहीं है ?

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि दमनकारी शक्तियों का विनाश होगा और कानून का राज होगा, ऐसा बजट भाषण में कहा गया है इसके बदले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 02 नवम्बर को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो भी मुकदमें दर्ज होंगे वह वापस ले लिये जायेंगे। उसी दिन से उत्तर प्रदेश में अराजकता की आग धधक रही है, कहीं पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कानून को रौंद रहे हैं, इस तरीके का यह कानून का राज है। स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति किसी भी सरकार की चिन्ता होती है आज न तो शिक्षा का उचित प्रबन्ध किया गया है और न ही स्वास्थ्य का। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं, शिक्षा मित्र की योजना बनायी गयी थी उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो कैसे जनता का भला होगा। इसी तरीके से और भी सरकार की प्राथमिकता होती है कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा का इन्तजाम करे, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करे, सड़कों का उचित प्रबन्ध करे और विद्युत की व्यवस्था करे, इस बजट भाषण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल अलग हो जाने के बाद पर्यटन की संभावना तलाशने की आवश्यकता है। मेरी विधान सभा 32, आंवला बरेली है वहां पर पांचाल राज्य जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, द्रोपदी का चीरहरण हुआ, पाण्डवों का अज्ञात वास हुआ, इसे पर्यटन में लिया जाय। मेरे क्षेत्र में अरिल नदी पर तहसील आंवला में ग्राम सभा पैगा के पास पुल बना है लेकिन अप्रोच मार्ग नहीं बना है। काफी धनराशि खर्च करके पुल बना दिया गया है लेकिन अप्रोच मार्ग नहीं है इसके लिये धनराशि आवंटित करके अप्रोच मार्ग बनवाया जाय। बरेली के कलक्टरगुंज की आई0 टी0 आर0 फैक्ट्री को 12 करोड़ रुपये में बेंच दिया गया परन्तु मजदूरों को रुपैया नहीं दिया गया और मजदूरों का शोषण

किया गया है। मैं चाहता हूं कि बेचने के बाद जो धनराशि आयी है, वह मजदूरों में वितरित की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मैं सुझाव की दृष्टि से अपनी बात रख रहा हूं। इस बजट का जहां तक सवाल है तो यह केवल 3 महीने का बजट है। स्वाभाविक है कि कोई भी सरकार 3 महीने के बजट में कुछ बहुत बड़ा आश्वासन और बहुत बड़े रिसोर्सेज को जुटाने का वचन नहीं दे सकती लेकिन बोलना इसलिये पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी रोज सार्वजनिक सभाओं में विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं। जबकि स्थिति यह है कि रोज कुंआ खोदो और रोज पानी पियो। 5 लाख रुपये का ट्रेजरी प्रतिबन्ध है, उससे ज्यादा ड्रा नहीं कर सकते। किसी भी सरकार की, जो भी पीछे रही हैं, यह उस स्थिति का परिचायक है कि रोज आमदनी और रोज खर्च की स्थिति आती है तो 5 लाख का प्रतिबन्ध लगाना पड़ता है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि अर्थ की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। हजारों करोड़ रुपये के घाटे की बात कही गयी है, प्रदेश कर्ज के मंजर में फंसा हुआ है, इसका उल्लेख है। यह सिद्ध करता है कि आर्थिक स्थिति कई वर्षों के दुष्परिणाम स्वरूप खराब है। यह सत्य स्वीकार करना चाहिये और जब कई वर्षों के आर्थिक प्रबन्धन के दुष्परिणाम स्वरूप आर्थिक व्यवस्था खराब है तो विकास की गंगा बहाने की बात कहने का मतलब इस दो शब्द को कहीं न कहीं झुठलाना है। पिछली सरकारों को आरोपित करना और जो आज दुर्दशा की स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा सब्जबाग दिखाना ये दोनों उचित नहीं है। कुछ योजनायें घोषित भी की गयी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 600 करोड़ रुपये के कन्टेन्जेंसी फण्ड को 1200 करोड़ रुपये का कर दिया गया। जो राजस्व आ रहा है वह इधर ट्रांसफर होगा इसमें आशंका यह है कि जो बजट बनाने का करिश्मा होता है, बजट में दिखा तो दिया गया लेकिन पैसा अवमुक्त नहीं होगा क्योंकि पैसा चला गया कन्टेन्जेंसी में। कंटेन्जेंसी बढ़ाना यह सिद्ध करता है कि जो कुछ आमदनी है वह मुख्य मंत्री जी के पास होगी।

दूसरी चीज विकास की गंगा बहाने की बात कही जाती है, मेरी शुभकामना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के विकास के भागीरथ सिद्ध हो, मुझे खुशी होगी लेकिन कहीं इच्छाशक्ति तो भगीरथ की दिखे, आय के श्रोत बढ़ाने की। उसके बारे में यह कह दिया गया कि व्यवस्था की जायेगी। छूट क्या-क्या दी जायेगी, अर्थात बजट में राजस्व के आय में कमी कहां-कहां की जायेगी, यह सुनिश्चित कर दिया गया। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिये आय कहां से होगी इसकी कोई व्यवस्था नहीं ? एक दिन अखबार में पढ़ा कि समिति बना दी गयी, समिति तो पोस्टपोन करने का एक तरीका है। माता प्रसाद जी मुस्करा रहे हैं। समिति बना दी गयी, इस बाजीगिरी को सभी जानते हैं। ढाई महीने में कोई सरकार विकास कर देगी इसकी अपेक्षा करना गलत है लेकिन कहीं इच्छाशक्ति विकास की दिखे, परन्तु इच्छाशक्ति नहीं दिख रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पूनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये विकास की गंगा बहाने की बात निश्चित रूप से गुमराह करने वाला है। लेकिन ढाई महीने में एक विकास हुआ है। माता प्रसाद जी पुराने समाजवादी हैं, बाकी लोग भी हैं, पहले गरीब के साथ बैठकर, गरीब के साथ अपने को जुड़ा हुआ सिद्ध करने में गर्व महसूस करते थे। लेकिन पिछले ढाई महीने में जो समाजवाद का विकास हुआ है कि धन्नासेठों और फिल्मस्टारों के साथ बैठ करके अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। मान्यवर, यह विकास ढाई महीने में हुआ है। जो आर्थिक दुर्दशा है उसको अपने अनुभव के आधार पर बजट भाषण के माध्यम से रखना चाहता हूं। हर सरकार जनहितकारी बजट रखती है परन्तु यह बजट बड़ा निराशावादी है, यह विपक्ष कहता है। उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षों से दो-दो बजट की परम्परा चली है। एक वह बजट जो सदन से पास होता है और एक वह बजट जो कंटीजेंसी से मुख्य मंत्री पास करते हैं। यह स्थिति हर सरकारों की है। यह कन्टीजेंसी की जो मर्यादा और सैक्टिटी है उसके विपरीत प्रदेश में परम्परा चल रही है। इस परम्परा को बढ़ाया गया है और कन्टेंजेंसी फण्ड को 600 से 1200 करोड़ करके।

मान्यवर, आपको लोगों ने पिछली सरकार के मुख्य मंत्रियों की इस बात की कठोर आलोचना किया है। उन्होंने कन्टीजेंसी का प्राविधान किया था 100 करोड़, 150 करोड़ का बजट में पास कर दिया आप भी तो बढ़ा रहे हैं तो आप नया क्या कर रहे हैं। उसी लाइन पर जिस लाइन की आपने आलोचना की हो। दो पैरलर व्यवस्था बंद होनी चाहिये। यह कई वर्षों से कई पिछली सरकारों से परम्परा चली आ रही है। कन्टीजेंसी पहले 60 करोड़ होता था, फिर 200 करोड़ हुआ, फिर 400 करोड़ हुआ, फिर 600 करोड़, 1200 करोड़। जो राजस्व है उसका एक बड़ा भाग बजट के माध्यम से वन मैन कन्ट्रोल में चला जा रहा है, दो पैरलर व्यवस्था प्रदेश के विकास में घातक है इसमें मेरी आपत्ति है, इस पर रोक लगनी चाहिये।

मान्यवर, प्रदेश में विकास की बात मा0 मुख्य मंत्री जब लेखानुदान पेश कर रहे थे तो विकास का इतिहास रख रहे थे। आज जो कन्टीजेंसी बढ़ रही है यही मुख्य मंत्री जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे जो कहते थे तो मैं भी सुनता था आज जो ज्ञान की पूंजी है उसी समय से है। 1952 से लेकर आज तक सभी दलों की यहां जितनी भी प्रमुख दल बैठे हुए हैं सभी सरकार में बैठे हैं। सिर्फ दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम भारत के औसत परकैपिटा इन्कम से ज्यादा था, प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा थी। क्या कारण है कि सभी दल सरकार में बारी-बारी से बैठे, कोई लम्बे समय बैठा, कोई दो बार बैठा, कोई तीन बार, लेकिन निरन्तर प्रति व्यक्ति आय घटती चली जा रही है। आज उड़ीसा उत्तर प्रदेश से आगे जाने की स्थिति में है और हम अंतिम से ऊपर इसलिये पड़े हैं कि वहां जानवरों की चारा खाने वाली सरकार बैठी है। इसलिये ऊपर हैं।

हमारा पड़ोसी अन्तिम नहीं होने दे रहा है क्योंकि निरन्तर गिरावट की स्थिति बनी है। यह कहें कि पूर्व की सरकारों ने किया, कोई यह कहे कि तीन बार मुख्य मंत्री होने पर बधाई हो, तो पद पर व्यक्ति बैठता है और कोई परिणाम नहीं देता है तो वह पद उसका व्यक्तिगत लाभ के लिये है। जिस जिम्मेदारी के लिये होता है वह नहीं है। यह तो जिम्मेदारी के लिये है उनका कोई व्यक्तिगत लाभ

नहीं होना चाहिये इन सब चीजों का मूल्यांकन करना है। जो भी इसके पूर्व सरकारें आयी कोई दो बार, तीन बार, एक बार, 45 साल तक, 18 महीना तक जो सरकारें बैठी उन्होंने परिणाम दिया कि नहीं इस पर सभी को विचार करना पड़ेगा। केवल बजट को लेकर आक्षेप करने से एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सदन की जो परम्परा रही है या औपचारिकता पूरी करने से प्रदेश नहीं बढ़ रहा है। लेकिन प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है इसका क्या कारण है।

मान्यवर, इस पर सभी को मिलकर सम्मिलित प्रयास करना पड़ेगा आज उत्तर प्रदेश गर्त में जा रहा है। कारण क्या है। आज यहां कभी भी दीर्घकालिक नियोजन नहीं हुआ है। आज लोग जो उधर बैठे हैं कभी मैं खुद भी वहां बैठा हूं। बहुत से सदस्य हैं जो 25-25 साल पुराने हैं आज लोग दम भर रहे हैं विकास की गंगा बहाने का लेकिन मैं कहता हूं आमदनी कहां से बढ़ेगी जब तक दीर्घकालिक नियोजन नहीं होगा। अगर आज किसी योजना को कुछ दिनों के लिये लम्बित कर दिया जाता है तो उसकी लागत बढ़ जाती है। जब पुराने परियोजनाएं इतने दिनों तक पूरी नहीं हो सकीं तो दो साल में वह परियोजनायें कैसे पूरी होंगी इसलिये सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन होने में यदि जरा भी देर होगी तो वो योजनायें कैसे पूरी हो पायेंगी। हर सरकार छूट देने में बहुत आगे है। तो सरकार छूट तो दे देती है लेकिन आमदनी बढ़ाने में कोई सरकार भी तेज नहीं है। आपने फीस में छूट दे दी अच्छा है, आपने चिकित्सा में छूट दे दी बहुत अच्छा है लेकिन देश की आमदनी कहां से बढ़ रही है यह कोई बताने के लिये तैयार नहीं है। आज सरकार बहुत सी योजनायें बना रही है अनुत्पादक खर्चे बढ़ा रही है। अल्पकालिक योजनायें बना रही है पिछली कई सरकारों ने इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है लेकिन कोई भी सरकार आमदनी बढ़ाने में सक्षम नहीं हुई है। जब-जब सरकारें बदलती हैं, उनकी प्राथमिकतायें बदलती हैं लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ है बढ़ा है तो सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज सरकार बदलते ही उनकी योजनायें बदल जाती हैं, उनके अफसर बदल जाते हैं कम से कम दो सरकारें तो ऐसी हैं जिन पर कई आरोप लगें हैं वे अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं रख सकते हैं, जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठायेगी, तब तक विकास कैसे हो सकता है ? अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो सरकार को दीर्घकालिक योजनायें बनानी चाहिये, अपने अधिकारियों पर पूर्ण अंकुश रखना चाहिये लेकिन इस बजट में इन विषयों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय मुख्य मंत्री जी आज उत्तर प्रदेश का विकास करने की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली दीर्घकालिक योजनायें बनेंगी नहीं तो प्रदेश का विकास कैसे होगा। विकास परिषद् की बात है तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा अगर विकास के लिये कोई व्यवस्था होती है तो उसका स्वागत है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर विकास परिषद् के सदस्य कोई निर्णय कर देते है तो उस निर्णय का लाभ लेने के बजाय प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य करें, ऐसी योजनायें बनायें जिससे जनता को लाभ मिल सके तभी प्रदेश आगे बढ़ सकेगा।

आवास नीति जो घोषित हुई है उस आवास नीति का लाभ लेने की चर्चा बहुत तेज है। उसी के सदस्य आवास नीति का लाभ लेंगे ऐसी चर्चा हो रही है। चीनी मिलों को लीज पर दे रहे हैं बड़ी चर्चा है कि उसी के सदस्य यह लाभ लेने जा रहे हैं।

अब कैसे यह सिद्ध करेंगे कि प्रदेश का विकास होगा। विकास परिषद् जनहित में निष्पक्ष भाव से ईमानदारी से काम करने जा रही है कैसे आप सिद्ध करेंगे ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि विकास परिषद् के नाम पर अपने भविष्य के लिये लाभ लेने के लिये नीतियां बनायी जा रही हैं और उनको जनहित का जामा पहनाया जा रहा है। यह शर्त जोड़ी जाय कि जो विकास परिषद् के सदस्य हैं वह विकास परिषद् द्वारा निर्धारित नीति और प्रस्तावों के लाभार्थी उसके सदस्य नहीं बनेंगे। मान्यवर, तिवारी जी नहीं हैं वह रोज हम लोगों को साम्प्रदायिक कहते हैं और साम्प्रदायिकता की बात करते हैं।

श्री छोटे लाल यादव-

आप कम से कम सिंचाई के बारे में कुछ कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आर्थिक विकास की बात करता हूं मैं कहना चाहता हूं कि विकास की गंगा के भागीरथ बनकर आयें और इस प्रदेश को जर्जर स्थिति से उठाकर प्रदेश को विकास की तरफ ले चलें। मान्यवर, चर्चा तो इस बात की हो रही है कि भाई शिव पाल जी के सिर पर सेहरा बांध कर दिल्ली जाने वाले हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं लेकिन सुन रहे होंगे। इस बात की बड़ी आशंका है कि विधान सभा भंग करके लोक सभा के साथ चुनाव किये जायेंगे। हम लोगों ने समझौते का प्रयोग किया था जिसमें असफल हुये। हम चाहते थे कि पांच साल के पहले चुनाव न हों।

मैं तो समझता था कि नाम मुलायम सिंह है और वह सख्त आदमी हैं लेकिन वह अपनी मजबूरी की बात करते हैं। हमारी हत्या की साजिश न होती तो सरकार न बनाते। मेरी मजबूरी न होती तो 96 में मंत्रि-मंडल न बनाता। मेरी मजबूरी है इसलिये गठबंधन करना पड़ा। माननीय माता प्रसाद जी बैठे हैं वह जानते हैं कि मजबूरी की सरकार हमेशा कमजोर सरकार होती है। मजबूरी कमजोरी का नाम है। कमजोर सरकार से किसी विकास की गंगा बहाने की उम्मीद करना संभव नहीं है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तभी विकास होगा। अगर विकास के अर्घ्य के लिये जल नहीं है तो विकास की गंगा नहीं बह सकती।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जब जवाब देंगे तो बतायेंगे सदन भंग होगा या नहीं। इसकी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि यह सदन 5 साल तक चलेगा। आप प्रदेश को और सदन को आश्वस्त करें कि आप मुख्य मंत्री बने रहेंगे इसका आश्वासन दें। अन्तिम बात कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं। प्रमोद कुमार जी जब होते हैं तो साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। यह अर्थहीन है, तथ्यहीन है, प्रभावहीन है। प्रभावहीन क्यों कहता हूं क्योंकि जब हम दीपक लेकर चले थे तो सभी पार्टियां उसे बुझाने पर तुली थीं। नहीं बुझा पाये आज 24 पार्टियां जो हमें साम्प्रदायिक कहती थीं वह सरकार में शामिल हैं। भाजपा के साथ सरकार में हैं। और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि भाजपा तीन चीजें छोड़ दें तो हमें कोई परहेज नहीं है। धारा 370 छोड़ दे, कामन सिविल कोड छोड़ दे, व राम जन्म भूमि छोड़ दे तो हमें भाजपा के साथ कोई परहेज नहीं है यही तो 24 पार्टी के लोग भी कहते थे इन लोगों ने छोड़ दिया भाजपा ने नहीं छोड़ा। यह क्या भविष्य की ओर संकेत करता है यह आप लोग समझें।

प्रमोद कुमार भी कहते हैं इनकी पार्टी ने इन्दौर में क्या कहा कि किसी के साथ गठबन्धन नहीं करेंगे शिमला मे कहा कि गठबन्धन के लिये तैयार हैं। लेकिन इनका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिल रहा है। हमें तो 24 लोग मिल गये। किसी पार्टी को इस तरह से साम्प्रदायिक नहीं कहना चाहिये।

यहां सदन में जितनी पार्टियां बैठी हैं कोई साम्प्रदायिक नहीं है। इस देश में कोई भी साम्प्रदायिक पार्टी पनप नहीं सकती है। भाजपा तो दीपक लेकर चली थी सब लोग एक-एक करके उसके साथ होते गये और आज केन्द्र तक पहुंच गई। अगर किसी को साम्प्रदायिक पार्टी कहा ही जायेगा तो सबसे बड़ी साम्प्रदायिक पार्टी कांग्रेस है। 1984 में एक सिख ने मैडम की हत्या कर दी थी तो इसमें सारे सिख दोषी कैसे हो गये कांग्रेसियों ने सभी सिखों को मारना शुरू कर दिया। यह साम्प्रदायिकता का प्रत्यक्ष उदाहरण देश के सामने है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रमोद कुमार होते तो उनसे कहता कि हमारी पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास इनके चाचा के समय किया गया, इनकी माता जी के सामने भी प्रयास किया गया इनके भाई ने भी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुये और हमारी ताकत बढ़ती गई। अब क्या बहू के सहारे प्रतिबंध लगायेंगे। जो दूसरों का लिखा हुआ पढ़ती हैं। भाजपा और संघ पर कोई ताकत प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। यह पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चलती है। जिसकी देश को आवश्यकता है। इसलिये इस तरह के अन्तर्गत आरोप नहीं लगाने चाहिये। उत्तर प्रदेश के विकास का संकल्प इस बजट में नहीं दिखता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। क्या कदम उठाये जाने चाहिये इसके हमने सुझाव दिये पूरे सदन ने शान्ति से सुना यह इस सदन का कभी कभी का विशेष चरित्र है। इसके लिये सदन के समक्ष नतमस्तक होते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विश्राम सिंह यादव-

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी सरकार के मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये बोलने का अवसर दिया। यह तीन माह का बजट पेश किया गया लेकिन तीन महीने का बजट आइना है कि सरकार कितनी दृढ़ संकल्पित है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगें । जितनी भी घोषणायें की गई हैं चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र की हों, चाहे विकास के क्षेत्र की हों, चाहे गन्ना मूल्य के भुगतान की हों, फीस माफी की हों या छात्रों के डिग्री कालेज में चुनाव कराने के संबंध में, सारी की सारी घाषणायें पूरी तरह से कार्यान्वित हो रही हैं और कहीं पर कोई कोर कसर नहीं है। सबसे पहली विशेष बात यह है कि यह सरकार यह साबित करना चाहती है कि इसकी सारे प्रदेश का विकास करने की मंशा है और उसके लिये यह दृढ़ संकल्प है। इस सरकार की यह मंशा इससे साफ जाहिर होती है कि 70 प्रतिशत पैसा गांवों के विकास के लिये दिया है। सारे प्रदेश, देश हिन्दुस्तान का दिल सारे गांवों में बसता है। जब तक गांव का विकास नहीं होता प्रदेश और देश का विकास कैसे हो सकता है।

दूसरी विशेष बात यह है कि घाटे का बजट होने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता पर एक भी पैसे का कोई टैक्स नहीं लगाया गया है इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भले ही विपक्ष के लोग कहते हों कि आप कहां से संसाधन लायेंगे ? कहां से घाटा पूरा करेंगे ? यह सरकार की अपनी नीयत है, अपने संसाधन हैं। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे सदन में वायदा किया है कि वे अपने संसाधन से इस घाटे को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं।

आपके माध्यम से अपने जिले की, अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार हमारे हरदोई जिले के विकास के जो कार्य 8-10 वर्षों से रुके पड़े हैं उनको पूरा करने में मदद करेंगे। हरदोई जिले में संडीला में एक कताई मिल वर्षों पहले खोली गयी थी। लाखों अरबों रुपयों की योजना बनी थी। उसमें हजारों की संख्या में मजदूर काम करते थे वह मिल कई सालों से बन्द है और हमने उसको खुलवाने का प्रयास किया लेकिन वह आज भी बन्द है और मजदूर सारे इधर उधर भाग गये हैं। उसकी परिसम्पत्तियां नष्ट हो गयी हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि उसके खुलवाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की जाय नहीं तो इसकी एक ईंट भी नहीं बचेगी। करोड़ों रुपये की मिल आज सत्यानाश की ओर जा रही है। हमारे हरदोई जिले की दूसरी समस्या यह है कि वहां एक मशहूर चीनी मिल थी जो कि इन्टरनेशनल फेम की थी जिसकी चीनी बनकर विदेशों में जाती थी। यह मिल भी कई सालों से बन्द पड़ी है। कभी चीनी निगम की तो कभी किसी निगम को दी गई। अधिकारी आये और मौज मस्ती करके जाते रहे। उसकी परिसम्पत्तियां पता नहीं कहां चली गयीं ? मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इसको किस तरीके से आप चला सकते हें इसकी आप व्यवस्था करें। मैं 93,94,95 में विधायक था तो उस समय हमारे क्षेत्र के लिये कुछ योजनायें स्वीकृत हुई थीं जो कि सड़क और पुल के बारे में थीं। आठ सड़कें स्टेट सेक्टर की हैं। म्योढ़ा से मदार, महितापुर से लमकन, खरगपुर से बड़ा गांव, खरगपुर से राजा सादब, सछदीपुर पलिया से बेडीजोर आदि। इन सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है।

हमको पता चला है कि ऐसा नियम है कि यदि पांच साल पैसा नहीं दिया गया तो सड़कें निरस्त हो जायेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट सेक्टर की इन सड़कों के लिये पैसा दिया जाय। 22 फरवरी, 1995 को इसी विधान सभा में नियम-301 में मैंने एक सूचना दी थी जो स्वीकार हुई थी देहलिया के पास कुण्डा नदी पर एक पैन्टून ब्रिज बनाया जाय लेकिन पैन्टून ब्रिज की कोई रूपरेखा नहीं बनी। नतीजा है कि गंगा कुण्डा के बीच का पचास हजार आबादी का इलाका बरसात आते ही जलमग्न हो जाता है वहां सैलाब आ जाता है और फर्रुखाबाद हरदोई, कन्नौज जिलों से संबंध टूट जाता है इसलिये वहां पर पैन्टून ब्रिज बना दिया जाय पिछले दिनों गर्रा नदी पर एक पुल स्वीकृत हुआ इसमें वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गई है इसमें धन आवंटित किया जाना चाहिये रामपुर मछियारा गर्रा नदी का पुल है इसको चालू होना चाहिये। गेलम नदी पर जो पुल है इसमें पहले 78 लाख का बजट आया पर धन नहीं मिला।

इस पुल के लिये वित्तीय स्वीकृति होनी चाहिये। कुण्डा नाले पर पुल है इसके लिये 64 लाख रुपये का आवंटन हुआ मुझे बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पुल स्वीकृत हो गया वित्तीय स्वीकृति हो गई, धन का आवंटन हो गया तो वह धन किस जिले में चला गया। कुण्डा नाले पर पुल बनना है धन स्वीकृत है वह धन जहां दिया गया है वहां से वापस लिया जाय और उससे कुण्डा नाले पर पुल बनवाने का काम किया जाय। मेरे जिले के पांच ब्लाक हरालपुर, सांडी, माधौगंज मल्लावां, बिलग्राम आदि के ट्यूबवेल का संरक्षण उन्नाव जिले से होता है जिस कारण वहां के लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है जिले के अधिकारी कहते हैं कि उन्नाव जाओ वहां जाने पर कम से कम डेढ़ सौ किलोमीटर जाना पड़ेगा, पिछली बार जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तब हमने कहा था कि हमारे जिले में ट्यूबवेलों का संरक्षण होना चाहिये इसको अधिशासी अभियन्ता उन्नाव

न करके हरदोई के अभियन्ता करें तो सारे ट्यूबवेल हरदोई के संरक्षण में आ गये। लेकिन मान्यवर, जब हमारी सरकार चली गई तो फिर काट दिया गया जब एक सरकार ने आदेश कर दिया तो उसको दूसरी सरकार द्वारा क्यों काट दिया गया।

दूसरी सरकार के आने पर पांचों ब्लाक उन्नाव जिले में चले गये उन्नाव जिले में ट्यूबवेल का संरक्षण का काम होता है। हमारे क्षेत्र में उन्नाव से बिजली आती है जबकि सारे जिले में बिजली हरदोई से आती है जब कोई फाल्ट होती है और हम कहते हैं, तो कहते हैं कि आपके यहां उन्नाव से बिजली आती है अधिकारी उन्नाव में है और उन्नाव का बहाना कर देते हैं कितनी विडम्बना है हमारे जिले में अधिशासी अभियन्ता बैठते हैं और बिजली उन्नाव से ठीक करानी पड़ती है। हमारे यहां तमाम विद्युत स्टेशन हैं जहां से बिलग्राम और मल्लावां में बिजली आपूर्ति हरदोई से जोड़ी जा सकती है हम चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र की बिजली हरदोई से जोड़ दी जाये। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । साथ ही मैं बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं।

डा0 सुशील चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। अभी मेरे से पूर्व माननीय ओम प्रकाश जी बड़े विस्तार से इस प्रदेश के बजट पर बोल रहे थे। मैं यह धृष्टता तो नहीं कर सकता कि मैं उनकी किसी बात का विरोध करूं। वह मेरे आदरणीय है, मैं उनका आदर करता हूं लेकिन यह जो विवेकाधीन कोष की बात आपने कही थी, आपकी सरकार ने 1717 करोड़ रुपया बकाया छोड़ा है। मुलायम सिंह जी ने किसानों को बाकी गन्ना भुगतान दिया 990 करोड़ रुपया तो उन्होंने विवेकाधीन कोष का उपयोग किसानो के बकाया भुगतान के लिये किया है। पहले की सरकार विवेकाधीन कोष का उपयोग व्यक्तिगत काम के लिये करती रही है लेकिन इस सरकार ने उसका उपयोग किसानों के बकाया के भुगतान के लिये किया है। मैं इसके लिये सरकार को बधाई देना चाहता हूं।

आपकी 8-9 वर्ष सरकार रही, आपने 18 फैक्ट्री इस प्रदेश की बेची और जिस स्थिति में बाकी 24 फैक्ट्रियों को छोड़कर गये, आप उनको भी बेचना चाह रहे थे लेकिन यह सरकार उन्हें लीज पर देना चाह रही है। लेकिन मैं एक बात के लिये आदरणीय ओम प्रकाश की का समर्थन करना चाहता हूं कि विकास परिषद् में जो सदस्य हैं, आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, उनमें कोई भी व्यक्तिगत लाभ के लिये काम न करे, यह बात उन्होंने बड़ी सही की है, उनका मैं समर्थन करता हूं। दीर्घकालिक योजनाओं के लिये आपने बड़ी सही बात की है।

पिछले 14 वर्षों में प्रदेश की जो सरकारें रही वह एक भी किलोवाट जनरेशन बिजली का नहीं बढ़ा सकी और इन 14 वर्षों में प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से 17 करोड़ हो गयी और जो आपूर्ति है वह केवल 2800 मेगावाट है और 1700 मेगावाट बिजली आप खरीद रहे हैं तो 4600 मेगावाट कुल आपकी आपूर्ति बैठती है लेकिन डिमांड 6000-6500 मेगावाट के बीच बैठ रही है। मान्यवर, कोई भी बिजली घर या बिजली की परियोजना ऐसी नहीं कि 10-15 दिन में ही गन्ने के कोल्हू की तरह चालू कर दिया जायेगा, आज आप चालू करेंगे तो कम से कम 20 वर्ष बाद उत्पादन होगा और यदि आज आपकी डिमाण्ड 6500 मेगावाट है तो 20 साल बाद आपकी आबादी 35 करोड़ हो जायेगी और तब प्रदेश की बिजली की डिमाण्ड 15000 मेगावाट हो जायेगी। जो दीर्घकालिक

योजनाओं की बात आपने की है कि बिजली उत्पादन की दीर्घकालिक योजनायें होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में प्रदेश को पर्याप्त बिजली मिल सके। आज से 30 वर्ष पहले तक तो बिजली विलासिता की वस्तु मानी जाती थी लेकिन आज यह डेली (दैनिक) उपयोग की चीज है। आज बहुत से काम किसान बिजली से करता है, किसान के घर में भी बिजली से कपड़े धुलते हैं तो आज यह डेली उपयोग की आवश्यकता बन गयी है। इसलिये बिजली की दीर्घकालिक योजनाएं बननी ही चाहिए।

इस समय सभी विधायक बैठे हैं, एक भी हैण्डपम्प किसी विधान सभा में नहीं लगा। प्रदेश सरकार कहती है कि केन्द्र सरकार ने अंशदान नहीं दिया और आप कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। इसलिये मान्यवर, प्रत्येक विधायक को प्रत्येक विधान सभा के हिसाब से 100 हैण्डपम्प मिलने चाहिए।

पी0 डब्लू0 डी0 विभाग से भी मांग करता हूं कि प्रत्येक विधान सभा में कम से कम 5 किलोमीटर रोड बननी चाहिए। इसी प्रकार मण्डी परिषद् द्वारा भी प्रत्येक विधान सभा में कम से कम 5 किलोमीटर रोड बननी चाहिए। नहरों की सफाई बहुत आवश्यक है, हमारे विधायक जी पूर्व में बोल रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में, तो नहरों की सफाई जरूर हो। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत में जो भी पूर्वी यमुना नहर है यदि उसकी सफाई नहीं होगी तो किसानों को पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा मान्यवर, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। रोजाना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गम्भीर घटनायें हो रही हैं। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाये मान्यवर, एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि नकुड़ विधान सभा में पोंडन ब्रिज बनना है। उसमें हरियाणा सरकार की स्वीकृति भी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के पी0 डब्लू0 डी0 के सचिव से उसकी परमीशन जारी होनी है। सारा सामान वहां पर पड़ा है कृपया इसमें प्रमुख सचिव पी0 डब्लू0 डी0 से परमीशन दिलवा दें तो वह चालू हो जायेगा। इससे 50 गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा।

माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी भी यह महसूस कर चुके हैं, तीन महीने के इस बजट में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता इस प्रदेश में। मैं भी उम्मीद रखता हूं कि इससे ज्यादा भला तीन महीने पहले बनने वाली सरकार नहीं कर सकती। एक बात और मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार का जो 17 सौ करोड़ रुपये बकाया था उसमें से 990 का पेमेंट हो चुका है और लगभग उतना ही बकाया है तो उसका पेमेंट करवाने की भी व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, वर्ष 2003-2004 के बजट के विरोध में बोलने का आपने मुझे अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह जो 2003-04 का बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें समेकित निधि का जो घाटा उन्होंने बताया है कि 2003-04 में 6 हजार 77.57 करोड़ और 2002-03 में 51,068 करोड़ था। इसमें 909 करोड़ का लगभग घाटा बढ़ा है। मान्यवर, इस बजट को पढ़ें तो इसमें नान्प्लान की योजना नहीं ली गयी है जो पहले की योजना थी उन्हीं का उद्धरण दिया गया है। इसलिये इस बजट में कोई प्लान नहीं किया गया है। जहां तक इस सरकार के तीन महीने के बजट का सवाल है। हम लोग इस सरकार से उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि कोई बहुत अच्छा बजट

आयेगा, कोई बहुत अच्छा योजनायें आयेंगी क्योंकि यह सरकार [***] सम्बन्धों की सरकार है। इसमें डी0 एन0 ए0 जांच से लेकर सी0 बी0 आई0 जांच वाले लोग बैठे हैं। इसलिये मैं [× × ×] सम्बन्ध में की बात कर रहा हूं। इस सदन में पूर्व में नेता सदन ने जिनको फांसी की सजा का एलान कर दिया, उनको ही अपने साथ बैठा लिया। जिनको पहले गाली दी थी उसको अपने साथ बिठा लिया इसलिये मैं [× × ×] सम्बन्धों की बात कर रहा हूं। इनसे कोई जायज काम की उम्मीद भी नहीं है। बजट में आप देखें तो पूरे बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी जगह-जगह बोल रहे हैं कि पूरा भरोसा युवाओं पर है, हमारे पाण्डे जी बैठे हैं इन पर नहीं किया। लेकिन इन युवाओं के लिये कोई योजना है वह बता दें, एक भी योजना की घोषणा उन्होंने इसमें नहीं की है। सिर्फ एक बेरोजगारी भत्ता देने की उम्मीद झलकी थी लेकिन शपथ लेने के 15 दिन बाद ही उन्होंने कह दिया कि मैं असमर्थ हूं। पूरे बजट में अनुमान लगाया गया है और यह पूरा बजट झूठ है। माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं की है और झगड़ा कर रहे हैं।

एक पति-पत्नी रोज रात में झगड़ा करते थे, तो कुछ भले लोगों ने, जैसे हम विपक्ष के लोग हैं, पूछा कि तुम लोग रोज रात में झगड़ा क्यों करते हो, क्यों इतना बवाल मचाते हो। तो पत्नी ने कहा कि मैं अपने लड़के को डाक्टर बनाना चाहती हू और पति ने कहा कि मैं अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहता हूं बस इसी में झगड़ा होता है। तो लोगों ने कहा कि लड़के को बुलाओ उससे तो पूछ लो कि वह क्या बनना चाहता है। तो दोनों ने कहा कि अभी लड़का हुआ ही नहीं है। वही हालत इनकी है। इस बजट में कहीं कोई संसाधन जुटाने की व्यवस्था नहीं की गयी है। हां एक व्यवस्था की गयी है वह यह है कि 90 मंत्रियों को लाल बत्ती दे दी। वह रोज किसी की बरहीं तो किसी की तेरहीं में जाते हैं या फिर बर्थडे पार्टी में जाते हैं। पंचम तल के बारे में कहा गया हमारे मंत्रियों ने पंचम तल में सचिवों के घर में जाना शुरू कर दिया है। वहां पर जो आफिस नौ बजे खुलना होता है तो वह 11 बजे खुलता है। प्रशासनिक तौर पर आप देखें माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि जिस तरह से आज माननीय मंत्रीगण बैग लेकर सचिवों के घर जाना शुरू कर दिये हैं तो इस पर रोक लगायी जानी चाहिए।

मान्यवर, इस बजट में बेरोजगारी का जो नारा लगा रहे हैं तो कोई रोजगारपरक योजना बनाने की कोशिश नहीं की गयी है। तीन महीने का बजट था तो इसमें बहुत कुछ हो सकता था। जो घोषणा पहले की गयी थी उसी को कार्य स्वरूप दे दिया गया होता तो आशा लगती। हांडी का एक चावल पकने से पता चल जाता है कि चावल पक गया है। तो इससे इनकी मंशा साफ हो गयी है। यह केवल प्रदेश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, विकास वहां होता है जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त होती है ? अगर कानून व्यदस्था ठीक नहीं है तो वहां पर विकास कैसे सम्भव हैं आज गाजियाबाद में व्यापारी के लड़के का अपहरण करके उसकी हत्या कर देते हैं तो कैसे कोई दिल्ली या गुजरात का व्यापारी यहां पर आयेगा ? विकास में एक तरफ कानून व्यवस्था जरूरी है तो दूसरी तरफ धन। आज हो क्या रहा है डकैतियां पड़ रही है, अपहरण हो रहे हैं तो कौन यहां आयेगा उद्योग लगाने ? सबसे बड़ी बात तो यह है पता चला है कि प्रधान मंत्री के दामाद का है पेट्रोल पम्प लूट

नोट :— [***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लिया गया, पेट्रोल पम्प चाहे जिसका लूटा गया हो उसकी निन्दा होनी चाहिए, जब तक प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक प्रदेश में विकास का कार्य नहीं हो सकता।

इस सरकार ने तीन महीने में जैसा कि आपने डाटा दिये कि इतने हजार मानव दिवस सृजित करेंगे, आज उस मानव दिवस का दमन करके उनके अधिकारों का हनन करके सारा कार्य मशीनों से कराया जा रहा है। आज जाकर देखें मान्यवर, जहां प्रधान मंत्री स्वरोजगार योजना का काम मानव दिवस सृजित करके कराया जा रहा है जिन मजदूरों को 50 रुपये या उसके बदले गेहूं या धान देकर काम कराया जाता है आज उसके बदले वहां के दबंग लोग, जबरदस्ती ट्रैक्टरों और मशीनों से सारा काम करवा रहे हैं और उससे सम्बन्धित बी0 डी0 ओ0 की या अन्य किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उन्हें ऐसा करने से रोके, जहां इस तरह से कार्य होंगे वहां विकास के कार्य में बाधा तो होगी ही जहां गुण्डई के बल पर टेण्डर डलवाने का काम होगा वहां विकास कैसे होगा, और इस सबके लिये कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा, जब तक यह व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा प्रदेश का।

मान्यवर, आज कानून व्यवस्था की हालत क्या है ? माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि किसी किसान को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उनके गृह जनपद इटावा में दस किसानों का अपहरण कर लिया गया और उसमें से करीब तीन किसानों की हत्या भी कर दी गयी। कुशीनगर में क्या हुआ ? सब जानते हैं। हर इन्सान, इन्सान है चाहे किसी भी वर्ग या जाति का हो, वह भी तीनों किसान थे, तीनों को ले जा करके गोली मारी गयी थीं वहां पर जब हमारी अध्यक्ष जी गयीं अन्य माननीय नेतागण गये, जब वहां पर एक आन्दोलन का स्वरूप हुआ तब जाकर जिला प्रशासन पर शिकंजा कसा गया।

आज आपके 45 विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ अब तक गैर जमानती वारण्ट जारी हुए है।, इस सरकार में अभी मान्यवर, यह पूरी खबर आप गृह विभाग से चाहे तो निकाल लें। अखबार, मीडिया तक ने कहा कि अगर अपराधों में और हत्याओं में किसी ने बढ़त लिया है तो उत्तर प्रदेश ने लिया है। आजमगढ़ के पत्रकार तिवारी जी का क्या दोष था ? उसका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने अवैध धन्धा करने वाले, शराब, गांजा का अवैध धन्धा करने वालों को उसने उजागर कर दिया था, उसकी सजा उसे यह मिली कि उसे गोलियों से भून दिया गया, आज उसका पूरा परिवार उद्वेलित है, एक पत्रकार की इस तरह से हत्या कर दी जाय यह गलत है, इसलिये मान्यवर, मेरा कहना है कि जब तक प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, प्रदेश का विकास भी नहीं हो सकता है। आपने उ0 प्र0 विकास परिषद् वाले अगर पैसा लेकर ताज में रुकेंगे जो उससे तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति दुरुस्त नहीं होगी न ही उससे प्रदेश का विकास होगा। मान्यवर, इसलिये विश्वास पहले प्रदेश में बढ़ाना है कि यह सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेगी। कानून व्यवस्था का विकास होगा तो आदमी एक रोटी कम भी खा लेगा लेकिन नींद तो कम से कम उसे सुकून से आयेगी।. बिना दरवाजे के मकान में भी वह रह लेगा। जब आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति चुस्त-दुरुस्त होगी तो अपराधी तत्वों की संख्या में गिरावट आयेगी। अभी अपराधी तत्वों को कंट्रोल में करने की कोशिश की गयी, हम लोगों के समय में की गयी थी, तो बड़ा बवाल मच गया। मान्यवर, आज हालत क्या है रामकोला, लक्ष्मीगंज, बेतालपुर, पडरौना आदि 8 चीनी मिलें प्रदेश में बन्द कर दी गयी

हैं बहन कुमारी मायावती जी ने इन मिलों के अनुरक्षण के लिये 15-15 करोड़ रु0 दिये थे। आज देवरिया, कुशीनगर, रामकोला तक किसानों के आन्दोलन की स्थिति पैदा हो गयी है। आज किसान वहां पर धरने पर बैठ रहा है। आज प्रदेश में चीनी मिलों के बन्द होने का सवाल पैदा हो गया है। दूसरी तरफ आपके द्वारा उन्हें लीज पर देने का प्रश्न खड़ा किया जा रहा है।

आपकी सरकार में सबसे बड़ी बात आज वेटिंग लिस्ट की चल रही है और यह वेटिंग लिस्ट 15-15 दिन तक चली है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपकी सरकार में तीन काउंटर बन गये हैं, अन्तिम काउंटर में हर चीज फाइनल होती हैं वहां से फाइनल होने के बाद ही जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 पद पर पोस्टिंग होती है। और दूसरे पदों पर पोस्टिंग होती है। सठियांव शुगर मिल को पिछले साल बहन कुमारी मायावती जी ने 25 करोड़ रु0 अनुरक्षण के लिये दिये थे। अब इस मिल को बन्द करने के लिये जिलाधिकारी ने प्रस्ताव दे दिया है। वह बंद की जा रही है।

हमारे यहां लालगंज में पूर्व ऊर्जा मंत्री जी ने विद्युत उप केन्द्र का शिलान्यास किया था उस पर टेंडर हुआ गिट्टी डाले जाने का कार्य हो रहा था कि काम रोक दिया गया है। आप जो विद्युत देने की बात कर रहे हैं वहां वितरण का कार्य देने का काम भी करें। उस सब स्टेशन का संचालन रोकने की कार्यवाही जो की जा रही है वह रोकी जाय उस पर कार्य कराया जाय।

मान्यवर, यह जो बजट पेश किया गया है यह काल्पनिक है निराशाजनक है पुरानी जो योजनाएं थीं उनको फिर से लिख दिया गया है। आज पूरे बसपा के कार्यकर्ताओं को विधायकों को जानबूझकर बंद किया जा रहा हैं बदले की भावना से कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। हमारे किशन लाल बघेल सदस्य हैं इनके पास एक भी गनर नहीं है। एक मा0 मंत्री जी का जवाब था कि जैसा बोया है वैसा काटेंगे। क्या आप इस तरह से चाहते हैं कि गोलियां चलें लोगों की हत्याएं हों व प्रताड़ित हों।

मान्यवर, अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने कहा कि ठीक है कुछ गलतियां हुई हैं या सही कार्य हुए हैं लेकिन जब नई सरकार आयी है तो कुछ परिवर्तन आना चाहिए। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चीनी मिलें बन्द हो रही हैं आज कुशीनगर और दूसरी जगहों पर आन्दोलन की स्थिति पैदा हो गयी है और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरे प्रदेश में बवाल मच जायेगा। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बजट का विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं हमारे यहां लालगंज में सब-स्टेशन का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाये ताकि विद्युत वितरण के कार्य में आसानी हो और दूसरे जो सठियांव चीनी मिल और दूसरी जो आठ मिलें बन्द कर दी गयी हैं उन पर सरकार ध्यान देकर पुनः चालू कराये, वहां किसान धरने पर बैठने जा रहे हैं।

मान्यवर, इस सरकार में यह देखने को मिला है कि एक अधिकारी का कालर पकड़ा गया है इलाहाबाद के दरोगा को थाने से खींच कर मारा गया मान्यवर, आज यह भी सुनने को मिल रहा है कि शातिर अपराधी पुलिस सुरक्षा से भाग निकले। कानून व्यवस्था चौपट है जो योजनायें दी गयी हैं वह काल्पनिक हैं इसलिये मैं इस बजट का विरोध करता हूं और कहता हूं कि इस [×××] सम्बन्धों से बनी सरकार से बहुत अच्छे कामों की उम्मीद नहीं करता हूं। इसी के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं।

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री घनश्याम शुक्ला-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, तीन माह पहले इस सरकार का गठन हुआ। इस सरकार ने तमाम घोषणायें की थी इनकी सारी घोषणायें आज कागजों में ही खाली सिमट कर रह गयी हैं। गन्ने की चर्चा कल से हो रही है आज भी गन्ने पर चर्चा हुई। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा परेशान है गन्ने की जो सट्टा नीति बनायी गयी है जो विगत वर्षों से चल रही है यह सट्टा नीति बहुत ही खराब है जो भी सट्टा नीति बनाई है। आज की तारीख में रकबे के आधार पर किसानों का सट्टा बनाया जायेगा तो निश्चित रू। से इसमें हम लोग सफल होंगे, सट्टा नीति न बनने के नाते आज चीनी मिल के लोगों के द्वारा, सोसाइटी के लोगों के द्वारा किसानों के कैलेण्डरों का प्रकाशन नहीं कराया गया, पासबुक को नहीं दिया गया, उनको यह नहीं बताया गया कि उनके पास कितना गन्ना है।

मान्यवर, जब कैलेण्डर और पासबुक नहीं दी जायेगी उसका प्रकाशन नहीं होगा तो गन्ना किसान अपना गन्ना कैसे बेचेगा। इसमें मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि यह सरकार गन्ना किसान विरोधी सरकार है, यह किसानों का संरक्षण करने वाली सरकार नहीं है। मान्यवर, धान क्रय केन्द्र जो भी हैं जो भी धान क्रय केन्द्र की घोषणा की गयी थी आज कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी धान क्रय केन्द्र नहीं चल रहे हैं इनके द्वारा जो धान क्रय केन्द्र खोले जाने थे वह कहीं भी आज की तारीख में नहीं खोले गये हैं। मान्यवर, देश के आदरणीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी उत्तर प्रदेश की सड़कों के निर्माण के लिये कटिबद्ध हैं। उन्होंने 4500 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया है और वह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को भेजा है लेकिन आज यहां की सरकार विकास करने के लिये कटिबद्ध नहीं है, वह उन सड़कों का निर्माण नहीं कराना चाहती है और खाली इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि उसका पैसा भारत सरकार ने दिया है। माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने दिया है। मान्यवर, आज सड़कों के निर्माण में फर्क है। आर0 ई0 एस0 32000 लाख में सड़क बना रही है और पी0 डब्लू0 डी0 22 लाख में सड़क बना रहा है तो यह फर्क कहां से हो गया है यह बीच का पैसा किसकी जेब में जा रहा है। इसके नियम कानून में अगर कहीं गलती हुई है तो उसको क्यों नहीं सुधारा गया। मान्यवर, जहां तक अपराधों का सवाल है गोण्डा जनपद में मैं कहना चाहता हूं कि वहां अपराध की बाढ़ आ गयी हैं हमारे जिला कोषाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता की हत्या हो गयी और एक माह हो गये और कोई पकड़ा नहीं गया है। दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं। मान्यवर, एक राम नरायन पाण्डे, जी0 ओ0, उनकी लड़की का अपहरण हो गया, एफ0 आई0 आर0 भी ठीक ढंग से नहीं दर्ज हुई उनकी लड़की को पुलिस आज तक बरामद नहीं कर सकी, एक माह हो गया है, यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इसी प्रकार समाजवादी युवजन सभा के अध्यक्ष ने झंझरी ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी को पीटा और उसकी एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, समाचार-पत्रों के माध्यम से, कि हमारी पार्टी का कोई भी पदाधिकारी किसी कर्मचारी/अधिकारी के साथ यदि गलत व्यवहार करेगा तो हम उसको पार्टी से निकाल देंगे। इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाचार को मैंने भी पढ़ा था और लोगों ने भी पढ़ा होगा। अब उनको जबरदस्ती डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सुलह कर लो। मान्यवर, इस तरह की इस सरकार की कार्य-प्रणाली है।

मान्यवर, इसी प्रकार एक राज्य मंत्री के भाई द्वारा एक एस0 ओ0 सी0 राय को पीटा गया, अब वह एस0 ओ0 सी0 छुट्टी लेकर चले गये हैं और नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, यह है आपका समाज़वाद.? कल कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि सेक्स स्केन्उल कांड में सी0 बी0 आई0 जांच होनी चाहिए, लेकिन आज कह दिया कि हम तो नहीं चाहते हैं। क्यों बदल दिया ? इसी प्रकार एक मंत्री ने अपने पति का सामान ही फिंकवा दिया, अब यह कहां तक सही है या गलत, यह आपके लोग जानते होंगे। इस प्रकार आपका हल्लाबोल चल रहा है। हमारे क्षेत्र में बैकपुर गांव में तालाब है, जबकि न्यायालय का निर्देश है कि तालाबों पर अवैध कब्जे नहीं होंगे। उसके बावजूद भी आपके लोगों के द्वारा, समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा अवैध कब्जे कराने का कार्य किया जा रहा हैं आज इस तरह से हल्लाबोल करने की कार्य वाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

मान्यवर, बेरोजगार नौजवानों की बात कही गयी, इस बढ़ती हुई आबादी में कैसे विकास करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं। आबादी को नियंत्रित करने का कोई कानून नहीं बनाया गया है। जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य प्रदेशों में इसके सम्बन्ध में लागू हो रहा है, हम दो हमारे दो, वही व्यवस्था यहां भी लागू करें, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिये इसे लागू किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

शुक्ला जी, अब समाप्त करें, आपका अब लिखा नहीं जायेगा आप अपने साथियों का समय कम कर रहे हैं।

श्री घनश्याम शुक्ला-

[×××]

*बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। मैं इस पर दो दिन से बहस सुन भी रहा हूं। पूर्ववर्ती सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों के भाषण को सुनने का भी मौका मिला। उनके सुझाव और उनकी बात महत्वपूर्ण थीं मैं माननीय राजभर जी को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, आपके माध्यम से। एक पंडित जी कथा कह रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे शिव मंदिर के पास भागवत कथा हो रही थी गांव के लोग भागवत सुनने के लिये गये जब कथा समाप्त हो गयी और एक लड़का घर गया तो उसके पिता जी ने पूछा कि कथा कहां हो रही थी, जबकि उसके पिताजी भी सुनने जाया करते थे लेकिन उस दिन नहीं गये थे। लड़के

नोट :-- [×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं कियां

ने उत्तर दिया कि वहीं पीपल के पेड़ के नीचे हो रही थी। तो पिता जी ने कहा कि मैं यह नहीं पूछ रहा था कि कथा कहां हो रही है बल्कि मैं पूछ रहा था कि आज का प्रसंग क्या था, तब उसने उत्तर दिया कि यह तो हमें नहीं मालूम वही हाल यहां पर श्री ओम प्रकाश जी और श्री राजभर जी का है कि पूरी कथा सुन ली, बजट की पुस्तिका पढ़ ली, सरकार की मंशा जान ली।

सरकार के पदारूढ़ होते ही सरकार का जनता ने स्वागत कर दिया, प्रदेश के विकास की धारा को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने कदम उठा दिये जिसके कारण इसी प्रदेश में दो उप चुनाव हुए और विधान परिषद् के चुनाव हुए और जनता ने सरकार के पक्ष में जबर्दस्त अपना मत जाहिर कर दिया, इससे बड़ी सरकार की कोई सफलता हो ही नहीं सकती। श्रीमन् ओम प्रकाश जी की बात मैं सुन रहा था, उनकी पीड़ा इसलिये है कि जब से मैं सदन में आ रहा हूं, मैं समझता हूं कि जितने समय से भी सदन में मैं बैठा हूं उसमें सर्वाधिक सत्ता में उनकी भागीदारी रही है चाहे 1977 हो 93 हो 96 हो लगातार सरकार में रहे।

ओम प्रकाश जी इस समय यहां नहीं है जिन बातों पर उन्होंने चिन्ता जताई है हमारे जैसा आदमी उसका हामी है लेकिन क्या आप लोग विकास गति सरकार को दे करके अपनी छाती पीट रहे हैं और यह सरकार कुछ कर रही है तो अनर्गल बातों का प्रचार सदन में हो रहा है। जिस बात की चिन्ता ओम प्रकाश जी ने की कि मुख्य मंत्री का कोष बढ़ता जा रहा है तो क्या इतने लम्बे समय तक सदन में रहने के बावजूद कभी अपने मंत्रिमण्डल में इस बात की चर्चा की है। यह बात सही है कि जब राजनैतिक पार्टियों का चरित्र और उनकी इच्छा शक्ति नहीं जगेगी और उसकी इच्छा यही रहेगी कि चाहे कुछ भी करना पड़े सत्ता में आ जायं तब तक प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है।

माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो समाजवाद के सच्चे प्रहरी हैं उन्होंने इस बार विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का व्रत लिया है। आप उन्हें देखिये। तो 24 घंटे हमारे विधायक पर यह हो गया वह हो गया। श्रीमन् प्रदेश के विकास के चार-पांच मानक होते हैं। औद्योगिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो किसी प्रदेश का इस पर कभी चर्चा होती है ? आप इधर भी बैठे हैं।

मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक राजनैतिक पार्टी येन-केन प्रकारेण सत्ता में आने का मोह नहीं त्याग देंगे और अपने राजनीतिक चरित्र को नहीं सुधार लेंगी तब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है, अन्याय है और सरासर जनता को धोखा देना है। यहां क्या चर्चा होती है, यह सदन ही जानता है, कितना सदन का समय नष्ट हो जाता है ? क्या कभी ऐसा भी अवसर आयेगा कि राजनीतिक कारणों को दूर करके प्रदेश का पक्ष और विपक्ष कभी भी दो-तीन घण्टे एक दिन सदन में बहस करेगा या नहीं करेगा ? आप जब इधर थे तो निहित स्वार्थ में व्यस्त थे, मजबूर थे, प्रदेश का विकास नहीं कर सके, अब-जब माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश का विकास कर रहे हैं और प्रदेश विकास की राह में चल रहा है, प्रदेश की जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के बारे में सोचा है तो आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। औद्योगिक विकास परिषद् का गठन किया गया। विकास परिषद् ने अभी काम करना शुरू नहीं किया लेकिन आपने पहले आरोप लगाना शुरू कर दिया, आप आरोप क्यों लगा रहे हैं ? आप पहले उसका काम देखिये कि वह क्या कर रहा है ? अगर घटिया काम कर रहा है तो आप सवाल उठाइये। यह भी कहा गया कि गाजियाबाद में अपहरण हो

रहा है वहां उद्योग कैसे लगेगा ? जो भी हो पदेश की विकास की बात की जाती है तो अनगल आरोप लगाना बुद्धिमता की बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात आये, आपको लगे, सदन को लगे, पक्ष-विपक्ष को लगे कि औद्योगिक विकास परिषद् उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर रहा है तो आप कहें ?

एक बात आयी, कल मौर्या जी ने भी इस बात को कहा और राजभर जी ने भी कहा और विपक्ष का जो भी साथी बोलने के लिये खड़ा हो रहा है वह विकास परिषद् का नाम जरूर ले रहा है। विपक्ष को घबराहट है क्योंकि आपने कभी इस विषय पर सोचा ही नहीं कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे होगा। शैक्षणिक विकास कैसे होगा ? आपके द्वारा छात्रों का शुल्क बढ़ा दिया गया था, हमने उसको माफ किया है। मैं मान रहा हूं कि मध्यम श्रेणी का किसान परिवार या गांव में रहने वाला अपने बच्चे को डाक्टर इंजीनियर या फिर एम0बी0ए0 की पढ़ाई नहीं करा सकता था। हमारी सरकार ने उस फीस वृद्धि को खत्म कर दिया है। किसान का लड़का, हमारे आपके परिवार का लड़का भी अब उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। हमने उसके सपने को बरकरार रखा है। हमने गांव के लड़के को भी बड़े लोगों के लड़कों की लाईन में खड़ा होने का अवसर दिया है।

श्री अधिष्टाता-

अब कृपया समाप्त करिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं समाप्त कर दूंगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहली बार मैं 1977 में चुनकर आया था उस समय झूठ और अनर्गल बातें सदन में नहीं होती थी। सदन का कोई भी सदस्य चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सरकार से प्रश्न करता था या वह यह कह देता था कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी को निश्चित मानकर क्या इस बात की जांच करायेंगे, मंत्री मजबूर हो जाता था वह सदस्य की बात को गलत कैसे मान सकता था। आज यह स्थिति है कि दिन भर झूठ ही कहे हैं, यही विपक्ष है। हम लोग भी विपक्ष में थे।

मान्यवर, तथ्यों को जानना अलग बात है। अधिष्ठाता महोदय, इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास में यह सरकार अपनी प्राथमिकता तय की है। शैक्षिक विकास में यह सरकार अपनी प्राथमिकता तय की है, आर्थिक विकास में भी तय की है। इन लोगों की सरकारों ने गन्ना मूल्य, आलू मूल्य, धान मूल्य किसानों का भुगतान नहीं किया था कितना पापदायी था यह किसान समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं।

मान्यवर, इस सरकार ने गन्ने का भुगतान, धान का भुगतान, आलू के मूल्यों का भुगतान करके आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर, जब यह सरकार बनी थी तो अखबारों में लिखा गया था कि सरकार का सर्वाधिक ध्यान और बजट गांव की ओर है। गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। मा0 हुकुम सिंह जी गांधी जी का सपना था जब तक गांव का विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। स्थानान्तरण नीति की बात कर रहे हैं कम से कम आप न कहें, आप कम से कम विकास में बाधक न बनें। आपने कुछ किया ही नहीं और जो सरकार कर रही है उसकी आप लोग वाहवाही करिये। यह सरकार और विधान सभा अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। 1952 के बाद विकास के मामले में प्रथम सरकार साबित

होगी। मान्यवर, आपने बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं सभी मा0 सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जब आप का नम्बर आये तो आप अपनी बात को तीन-तीन मिनट में पूरा करें।

श्री किरनपाल कश्यप-

मान्यवर, आपने बजट प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा लाभकारी और लोकप्रिय बजट पेश करने पर मैं उनका पुरजोर समर्थन करते हुए अपना कुछ सुझाव प्रस्ताव में सम्मिलित करने के लिये सदन के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय अधिष्ठाता जी मा0 मुलायम सिंह जी की 94 की सरकार में एक शासनादेश बना था मछुआरा समुदाय के लिये जिसमें बालू, घाट, मोरंग 10 साल का पट्टा देने के लिये था, लेकिन इसके पीछे जो सरकार थी जो शासनादेश था हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया।

मान्यवर, ये लोग शासनादेश की सुरक्षा नहीं कर पाये। गरीब लागों के रोजगार छीनने का काम किया आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं।

मैं सरकार से शासनादेश को बहाल करने के लिये अनुरोध करता हूं और उसे मा0 मुख्य मंत्री जी बहाल करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछली सरकार ने बी0पी0एल0 की सूची बनायी। पहली बार ग्रामीण लोग बी0पी0एल0 का मतलब ही नहीं समझे कि इसका मतलब क्या होता है। बी0पी0एल0 का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको बी0पी0एल0 की सूची में रखा जाय और उन्हें शामिल किया जाय। जो उसमें त्रुटि है पटवारी और लेखपाल के द्वारा 4 नाम दे दिये गये उनका नाम लिखकर चला गया, लेकिन जो पात्र व्यक्ति हैं उनको नहीं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले जो हैं वह सारे के सारे लाभ से वंचित रह गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रस्ताव को बी0पी0एल0 की सूची का निरीक्षण करके, दोबारा जांच कराकर दोबारा इसका नवीनीकरण किया जाय।

मान्यवर, लेकिन मैं माननीय तिवारी जी की बात से सहमत हूं। आज इस सरकार ने जो बजट पेश किया है इसमें पेयजल की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, शहरों और गांवों में हर जगह पूरे प्रदेश में आज पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है इस सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, इस समस्या से केवल इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प ही निजात दिला सकते है क्योंकि जो साधारण नल हैं वे ऊपरी सतह पर ही लगे होते हैं अतः उसमें इतना गंदा और विषैला पानी आता है जो न तो आदमियों के पीने योग्य है और न ही जानवरों के इस कमी को सिर्फ इण्डिया मार्का नल ही पूरा कर सकते हैं और इसके लिये हमारी सरकार ने 100 नल प्रति विधान सभा क्षेत्र में लगवाये जाने के आदेश दिये जायं। मान्यवर, नम्बर चार मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य आज उधर बैठे हुए हैं जो इस सदन के वरिष्ठ एवं सम्मानित सदस्य हैं उन्होंने जब उनकी सरकार थी तो किसानों के पीने के लिये पानी की क्या व्यवस्था की और कहां-कहां नल लगवाये ?

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे सड़क व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था हो या पेयजल की व्यवस्था हो कहां की है की तो सिर्फ अम्बेडकर ग्रामों की है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले

दो सालों से ट्यूबबेल कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। जिससे किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है, उनकी फसलें सूख रही हैं इसलिये उन किसानों के लिये ट्यूबबेल कनेक्शन दिये जायं। मान्यवर अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने जनपद मुरादाबाद गया था जहां लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया कि जो अनुसूचित जाति की लिस्ट है उसमें मांझी, मंझवार गोंड और तुरही जाति को अनुसूचित जाति का सार्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, पिछली सरकारों में शामिल माननीय राजभर जी, मौर्य जी ने यह पूछना चाहता हूं कि केवल बहिन जी के आदेश पर राजस्व परिषद् के एक वरिष्ठ सदस्य जांच करने गये और उन्होंने इन जातियों को लिस्ट में शामिल नहीं किया। इसीलिये तुरहा, मल्लाह, केवट, बिन्द लोगों के सार्टिफिकेट बनने पर प्रतिबन्ध है। ऐसा इसलिये किया गया कि यदि इन जातियों को आरक्षण का लाभ मिल जाता तो अन्य जातियों को मिलने वाली सुविधा में कटौती हो जाती। राजस्व परिषद् के अधिकारी द्वारा केवल उन्हीं लोगों को अनुसूचित जाति का सार्टिफिकेट क्यों दिया गया जो अम्बेडकर ग्रामों के थे ? केवल उन्हीं लोगों को ही अनुसूचित जाति में क्यों शामिल किया गया है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय किरन पाल जी जब आप कृपया समाप्त करें।

श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, अभी सदन में कुछ देर पहले माननीय हुकुम सिंह जी बैठे थे, जो अब चले गये हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में एक बात कही थी और जिसको इंगित करके उन्होंने कहा था तो मेरी समझ में नहीं आया कि श्री प्रमोद कुमार जी उस पर बोलने से कैसे चूक गये। उन्होंने कहा कि जिन कहारों के कन्धे का आज भरोसा है आज आप को लेकर वही कहार धोखा दे जायंगे।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर साढ़े आठ साल तक सरकार चलाते रहे उन्होंने उस मल्लाह जाति के लिये क्या किया। इलाहाबाद रायबरेली के बीच श्रृंगवेरपुर पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम गंगा पार कर रहे थे तो निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम को अपनी नाव पर बैठाकर गंगा पार करवाई थी और उनसे उतरवाई तक नहीं ली। उनको आज अनुसूचित जाति में शामिल कर अनुसूचित जाति का सार्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। वह आज हमारी सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार किसानों की अनुसूचित जातियों की विरोधी है तो मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, उन्होंने [× × ×] बोलकर साढ़े आठ साल तक सरकार चलायी वह आज अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वह हमारी सरकार पर संशय कर रहे हैं।

मान्यवर, प्रेस के लोग बैठे हैं पूरे प्रदेश के अन्दर इससे क्या संदेश जायेगा। यह पूरे समाज पर कुठाराघात है। टंडन जी पक्की उमर के आदमी हैं। सभी जानते हैं कि पहले जब शादी व्याह होते थे तो चाहे पूंजीपति हो या कोई और हो नई नवेली दुल्हन को कहारों को सौंप कर डोली में सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती थी और हमारे समाज के लोगों ने अपनी जान को खतरों में डालकर दुल्हन को हमेशा सुरक्षित पहुंचाया है। अगर कहीं डाकुओं ने लूटने की कोशिश की है तो अपनी जान देकर, शहीद होकर दुल्हन का डोला सुरक्षित पहुंचाया है। यह हमारा चरित्र रहा है। अधिष्ठाता जी जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है वह हमारे पूरे समाज की निष्ठा पर कुठाराघात है। मैं

नोट :-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने जो हमारे समाज के बारे में कहा है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय यह हम अपील करते हैं। यह बजट जनकल्याणकारी और लोकप्रिय बजट है।

(श्री हरिश्चन्द्र को पुकारे जाने पर।)

श्री किरनपाल कश्यप-

मान्यवर, हमारे समाज के बारे में जो कहा गया है उसको कार्यवाही से निकालने का निर्देश दें।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, 2003-2004 का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखा गया है उसके विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ा हूं। मान्यवर, कुछ समय मिल गया बजट के अध्ययन करने का मैंने बजट का अध्ययन किया है। मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि प्रदेश की वित्तीय जर्जर स्थिति हमें प्राप्त हुई है। मान्यवर, यह कोई नई बात नहीं है। 20-25 साल से आर्थिक स्थिति इसी प्रकार की रही है। मैंने इस बजट को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जर्जर आर्थिक स्थिति में कुछ और वृद्धि ही होगी। इसमें सुधार की कोई सम्भावना नहीं है। जो राजस्व व्यय है उसको राजस्व आय से बढ़ाया. नहीं जायेगा, तो मैं समझता हूं कि इसमें सुधार आता। लेकिन राजस्व व्यय अबकी बार भी बढ़ने की पूरी सम्भावना है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय स्थिति खराब होने का परिणाम पूरे प्रदेश को भोगना पड़ेगा। हम यह मानकर चलें कि प्रदेश की जर्जर वित्तीय आर्थिक स्थिति उत्पन्न करने में जहां पिछली सरकारों का हाथ है वहीं माननी। मुलायम सिंह का भी हाथ है। वह भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं। मुख्य मंत्री को यह कहना चाहिये था कि जर्जर वित्तीय स्थिति जो हमें प्राप्त हुई है उसको हम ठीक कर देंगे और प्रदेश का विकास होगा। यह चर्चा चल रही है कि तीन महीने का बजट है किसी भी सरकार का 12 माह का बजट होता है यह एक चौथाई समय का बजट है लेकिन तीन महीने के बजट में ही सरकार के काम का दिग्दर्शन होना चाहिये था वह इस बजट में नहीं है। राजस्व घाटा 7,385.79 करोड़ इस बजट में दिखाया गया है लेकिन इसमें आगे कहा गया है कि इस घाटे को मितव्ययिता के द्वारा पूरा करेंगे। आय के दूसरे श्रोत उत्पन्न करेंगे। लेकिन राजस्व व्यय में ही पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कर दी गई है तो कहां से मितव्ययिता की जायेगी।

सरकार के क्रियाकलापों को देखकर नहीं लगता कि राजस्व व्यय में किसी प्रकार का सुधार हो सकेगा। बल्कि 11 प्रतिशत की वृद्धि यह सिद्ध करती है कि किसी प्रकार का सुधार नहीं हो पायेगा। श्रोत बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पायेंगे। सदन में मुख्य मंत्री जी कब तक रहेंगे या सदन कब तक रहेगा इस पर शंकायें उठने लगी हैं। इसलिये टैक्स लगाने की हिम्मत नहीं कर सकेंगे। राज्यांश, भारत सरकार के अनुदान, भारत सरकार के ऋण का सहारा लेगें लेकिन खोजबीन करने पर पता चला है कि भारत सरकार द्वारा राज्यांश, अनुदान, ऋण अब तक इतना अधिक दिया जा चुका है इसलिये मुझे नहीं लगता कि इन तीन महीनों में भारत सरकार से कुछ पाना अपने आपको धोखे में रखना है। सदन को धोखे में रखना है। प्रदेश को धोखे में रखना है जर्जर स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित नहीं होता है। राजस्व घाटे में घटोत्तरी की नहीं बढोत्तरी ही परिलक्षित होती है। मैं कुछ बिन्दुवार बातें करके अपनी बात समाप्त करता हूं। एक सबसे बड़ा सेक्टर सामाजिक सेवा का सेक्टर है इसे चतुर्थ सेक्टर कहा जाता है। बड़ा खेद है कि समाजवादी पार्टी दल द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें इस

सेक्टर की उपेक्षा की गई है। चाहे श्रम हो, रोजगार हो इसमें पिछले वर्षों की तुलना में बजट घटा दिया गया है। रोजगार, चिकित्सा सेवा में बजट जो कि समाज का सबसे कमजोर सेक्टर होता है· उसकी उन्नति कैसे हो पायेगी ? कृषि, ग्राम्य विकास, सिंचाई, बाढ़ के मद में धनराशि में कमी कर दी गई है। इससे यह होगा कि गरीब और गरीब होंगे और उनकी क्रय शक्ति और घटेगी। इसमें कहां से सुधार होगा। कहां से विकास होगा। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाया जायेगा। इस बजट के माध्यम से तो आदर्श प्रदेश नहीं बनाया जा सकता है। वित्तीय वास्तविकता यह है कि मैं ज्यादा बातें न कहकर अधिकारी और पेपर इस संबंध में क्या कहते हैं वह बताना चाहता हूं। इधर दो महीनों में जबसे यह समस्या आयी है अपराधिक घटनायें बढ़ी हैं। शान्ति व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। जातीय और साम्प्रदायिक संघर्ष शुरू हो गये हैं। विकास के कार्य ठप्प पड़ गये हैं।

मैं एक दैनिक समाचार पत्र के अग्रलेख जो 2 दिसम्बर का है उसमें की 4-5 पंक्तियां आपको पढ़कर सुना रहा हूं। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली यात्री ट्रेनों पर बढ़ते हुए हमलों की हो अथवा फिरौती के लिये होने वाले अपहरणों की या फिर अन्य अनेक अपराधों की किसी भी तरह के अपराधों में कमी के संकेत नहीं मिल रहे हैं जो संकेत मिल रहे हैं वे यही है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी तत्वों का दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है। न ग्रामीण क्षेत्र आपराधिक गतिविधियों से अछूते हैं और न ही शहरी क्षेत्र। स्थिति यह है कि राज्य की राजधानी लखनऊ में भी अपराधी तत्वों की सक्रियता पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति प्रदेश के अन्य प्रमुख नगरों की भी है। होना तो यह चाहिये कि पुलिस अपराधियों पर हावी नजर आये, लेकिन स्थिति इसके विपरीत नजर आ रही है। मान्यवर, मेरे पास ऐसे अनेक घटनाओं का लेखा जोखा है लेकिन उनकी चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं उसमें समय नहीं लगाना चाहता हूं।

* श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)-

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि अखबार की किसी भी बात का सदन में संज्ञान न लिया जाय और न माना जाय। माननीय सदस्य तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं और वे ही अखबार की बात बता रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

नियमों के अन्तर्गत उद्धरण दिया जा सकता है।

श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी)-

मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवाकर देख लीजिये। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी थी।

श्री अधिष्ठाता-

आप दिन और समय बता दीजिये तो हम देख लेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मैंने यहां पर इसको इस भावना से उल्लेख किया कि इस तरह की घटनायें हो रही हैं हम भी कहते हैं और आप भी कहते हैं और समाचार पत्रों में इस तरह की घटनाये रोज निकल रहीं हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में इस विषय की गम्भीरता के लिये मैंने इसका हवाला दिया था। मैं तो अखबार नहीं उसकी कटिंग पढ़ता हूं जो कुछ कह रहा हूं वह तो इस अखबार में भी छपा है।

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

कौन सा अखबार है ? दैनिक जागरण है क्या ?

* श्री अम्बिका चौधरी (राजस्व मंत्री) -

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय हरीश जी ने कहा है कि वे अखबार नहीं पढ़ते हैं। यह बात ठीक नहीं है। कहीं गलती से यह लिख लिया गया तो हम लोग जो उनसे प्रेरणा लेते हैं उनके लिये बहुत खराब होगा। अब तो आप वृद्ध हो गये हैं, अखबार पढ़ने का ही काम है आपका।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, मैं कह रहा था कि अभी डी0जी0पी0 के यहां एक बैठक हुई जिसमें पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी आये यह सभी समाचार पत्रों में छपा है। इस बात की गम्भीरता से चिन्ता हुई कि अपराधिक घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुलिस विभाग उसको रोकने में सक्षम नहीं हैं इनको रोकने का काम सरकार का है लेकिन वस्तु स्थिति जो है उसको जानने के लिये अगर विभाग के अधिकारी सहमत हैं समाचार पत्र सहमत हैं। एडिटोरियल में लिखा जाता है। इसमें पुष्टि होती है कि अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसी स्थिति में कोई कल्पना करे कि प्रदेश का विकास होगा, एक आदर्श राज्य आप बनायेंगे। यह एक परिकल्पना ही हो सकती है वास्तव में ऐसा होना सम्भव नहीं है जब तक कि अपराध नहीं रुकेंगे। जातीय, साम्प्रदायिक संघर्ष शुरू हो गये हैं और वास्तविक स्थिति यह है कि सारे काम काज ठप्प हो गये हैं। सड़क, पुल, शिक्षा, विद्युत, सिंचाई आदि पर प्राथमिकता की घोषणा करने के बावजूद कुल 100 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में प्रस्तावित किया गया है तो यह तो ऊंट के मुह में जीरा ही है। हर विधायक से 5 किमी सड़क का प्रस्ताव मांगा गया था वह प्रस्ताव स्टैण्ड कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बजट में भले लिखा न हुआ हो लेकिन माननीय लोक निर्माण मंत्री ने एक हजार करोड़ की राशि मांग की है मुख्य मंत्री जी ने बजट में इस बात का संकेत नहीं दिया है कि एक हजार करोड़ रुपया कहां से देंगे। जब मुख्य मंत्री जी बालेंगे तब लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा की गई एक हजार करोड़ रुपये की मांग को वह कहां से देंगे यह बताने का कष्ट करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

पुरानी योजना ठप होती जा रही है नई योजनायें शुरू नहीं हो पा रही हैं धन के अभाव में वह नहीं हो पा रही हैं। श्रीमन् बिजली के बारे में कहा गया कि 14 घंटे बिजली दी जायेगी नगरों में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक की कटौती 3 बजे तक कटौती चल रही है, और यह कहते हैं कि 14 घंटे बिजली दे रहे हैं ग्रामीण अंचलों में रात नौ बजे बिजली आती है सुबह पांच बजे चली जायेगी। जब नौ बजे बिजली आयेगी तक तक खाना-पीना सब हो जायेगा सोते समय बिजली आई और सुबह चली गई नौ बजे आयेगी और पांच बजे चली जायेगी तो आठ घंटे बिजली मिली और वह भी ऐसे समय मिलती है जब किसी काम नहीं आती है, कहीं से लाभ होने वाला नहीं है।

श्री अब्दुल कलाम-

[***]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

जो बोल रहे हैं लिखा नहीं जायेगा।

माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

वित्तीय व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाना चाहिये। संगीन अपराध जातीय संघर्ष में दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोत्तरी हो रही है। इस बजट का जो तीन महीने का समय रह गया है। मुख्य मंत्री जी ने बजट में पहले भले ही न लिखा हो जैसा मैंने पहले भी कहा, वह घोषणा कर दें पहले भी घोषणा करते रहे हैं अपने भाषण में बताने का कष्ट करेंगे कि इस बजट के माध्यम से तीन महीने में इस प्रदेश को कैसे आदर्श प्रदेश बनायेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

"कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें" विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

• इसी बीच सदन को सूचना देनी है कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2003 की अपनी बैठक में विधान सभा के दिनांक 06 दिसम्बर, से 10 दिसम्बर, 2003 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

<u>दिसम्बर, 2003</u>

06 शनिवार	बैठक नहीं होगी।
07 रविवार	
08 सोमवार	1-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। 2-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 3-उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) विधेयक, 2003, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण।
09 मंगलवार	1-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं उसका पारण।

नोटः-[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

10 बुधवार 1-निधन के निर्देश।

2-वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

3-4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2003 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय श्रम मंत्री एवं सदस्य, कार्य मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

* श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मान्यवर, वर्ष 2003-2004 का जो बजट रखा गया है, यह पूरी तरह से दिशाहीन है। इस बजट में जो यह तीन महीने का केवल बजट रखा गया है, उन्हीं घिसी-पिटी चीजों का उल्लेख किया गाय है। इस बजट में उन्होंने घाटे का जो उल्लेख किया है, इस घाटे की भरपाई कहां से की जायेगी, इसका कोई उल्लेख नहीं है।

मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक गन्ना मूल्य तय नहीं किया गया है पेराई चालू नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को बेंचने का काम किया जा रहा है, वह बन्दी की कगार पर है, पेराई अभी चालू नहीं हुई है, गन्ना किसान के अन्दर रोष है, उसे भय है कि उसका गन्ना कहां पेराई के लिये जायेगा। आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो बजट रखा गया है, इस बजट में विकास की गंगा बहाने की बात की गई है लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो विकास पूर्व की सरकार द्वारा चालू भी किया गया था, उस विकास को बन्द करने का काम इस सरकार ने किया है। मैं जिम्मेदारी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश मद से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर जिन योजनाओं को स्वीकृत किया था, उसे इस सरकार ने रोकने का काम किया है। हम लोगों के क्षेत्रों में जन प्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर जो भी बुन्देलखण्ड विकास निधि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के मद हैं, तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा जो भी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई थीं, इस सरकार ने 18 सितम्बर के एक आदेश से रोकने का काम किया है।

मान्यवर, राज्यांश के हिस्से को भी रोकने का काम किया है। लेकिन 8-10 या 15 दिन पूर्व पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि को चालू करने के निर्देश दिये हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तीन महीने इस सरकार के बने हो गये हैं, जो विकास चल भी रहा था, जो क्षेत्र में विकास के कार्य चल रहे थे, जहां के लोगों ने आशायें लगाई थीं कि उनकी भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उनकी जो समस्यायें हैं उनका समाधान होगा और उनके चेहरों पर जो खुशी झलकी थी, उनके चेहरों को मुरझाने का काम किया है।

मैं कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी तत्कालीन सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से 8 प्रस्तावों को वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियां दी थी जिसमें मुईली से मेहराम सड़क, गौरा से रामनाथपुर सड़क, बिरसिंहपुर से देवरी सड़क, परसहुआ से कल्याणपुर सड़क, सेमरी बरदहिया से चमरा का बंधवा तक, आयुपुर डोमापारा से बरुई तक, बीरसिंह पुर से ब्यासपुर तक और बिरौता से राजापुर तक सड़क थी लेकिन इस सरकार के बनते ही बदले की भावना के तहत जो पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि से उस समय की तत्कालीन सरकार ने जनहित में जो भी प्रस्ताव मंजूर किये थे, उसे एक आदेश से रोकने का काम किया है। यह कैसा विकास करना चाहते हैं ? क्या यही विकास है ?

मान्यवर, क्या यह विकास है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिनकी संस्तुतियां और वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी हों उसे रोककर यह प्रदेश का कौन सा विकास करेंगे ? मैं औद्योगिक विकास परिषद की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि इस पर चर्चा होगी तो बहुत से नेताओं को अच्छा नहीं लगेगा। जो औद्योगिक विकास परिषद् बनी है उसमें प्रदेश का एक भी मजदूर किसान नहीं रखा गया है। उसे प्रदेश में केवल पूंजीपतियों का संगठन बनाकर रखा गया है। लेकिन हम कोई बात करते हैं तो वह लोग औद्योगिक विकास परिषद् पर हमें सुनने को तैयार नहीं हैं।

मान्यवर, इन्होंने श्री राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद की गठरी को औद्योगिक विकास परिषद् के माध्यम से पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया है। मान्यवर, विकास की गंगा बहाना उचित है लेकिन बदले की भावना के तहत जो प्रस्ताव पूर्ववर्ती सरकार ने संस्तुति की उसको रुकवाया जाये तो कैसे गंगा विकास की बहा रहे हैं। पुरानी सरकार ने जिन कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां और प्रशासनिक स्वीकृतियां दी हों उसे रोक रहे हैं। 40-50 हजार चेहरों पर खुशी आयी थी उनकी खुशी छीनने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिये मैं इस तथ्यहीन, दिशाहीन और विकास की धारा से हटकर जो बजट रखा गया है उसका विरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया प्रदेश की आर्थिक विषम परिस्थितियों में बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है यह कृषि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधान देश है। 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और वह सभी किसान हैं और हम में से 90 प्रतिशत लोग गांवों से चुनकर आते हैं। इस बजट में बहुत कोशिश की गई है लेकिन मैं इसमें कुछ बिन्दुओं को जोड़ना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे ज्यादा आवश्यकता सिंचाई की है। सिंचाई की नहरें मुगल शासन काल और अंग्रेजी शासन काल की हैं वह यथावत हैं। कृषि के क्षेत्र में साधन बढ़ाने की बात है इसके बावजूद भी बजट में इस बात का प्रावधान तो किया गया है लेकिन आवश्यकतानुसार उसमें कमी है। तकनीकी कृषि की क्षमता के अनुसार आपकी नहरों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। कृषि की चर्चा बार-बार की गई है। गन्ना के बारे में मुख्य मन्त्री जी बधायी के पात्र हैं। लेकिन बहुत सी चीनी मिलें हैं जिनकी क्षमता बढ़ाने की बात है। अलीगढ़ में एक चीनी मिल हैं। मैं चाहूंगा कि उसकी क्षमता को बढ़ाने की अनुमति दी जाये। जेवर चीनी मिल का निर्माण भी काफी समय से लम्बित चल रहा है इसको कराया जाये।

(इस समय 4.00 बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सरकार आने वाले दिनों में बुलन्दशहर में इटवा चीनी मिल को चलाने का प्राविधान करें जिससे गन्ना किसानों को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, करवन नदी पर विश्वबैंक द्वारा जल प्लावन को रोकने के लिये चार पुलों का निर्माण लम्बे अर्से से चल रहा है। ये पुल है रफैत, सैमन, कैशुपर, उसरम और निसूजा इनका निर्माण कराने का प्राविधान किया जाय। मान्यवर, सड़क के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि यह इस प्रदेश की तथा जनप्रतिनिधियों की समस्या है।

माननीय मुलायम सिंह जी ने हालांकि इसके लिये प्राविधान किया है लेकिन वह मांग के अनुसार उचित नहीं है तो इस पर ध्यान दिया जाय और ज्यादा से ज्यादा प्राविधान करने की कोशिश की जाय। मेरे क्षेत्र में चार सड़कें हैं- अलीगढ़ मथुरा मार्ग से मुड़सान, अलीगढ़ मथुरा मार्ग से छेछहू, इगलास से गोरई तथा हाथरस से खैर वाया इगलास यह ध्वस्त पड़ी है हम चाहेंगे कि बजट में इसका प्राविधान किया जाय। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पेयजल संकट हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है और इस पर चर्चा भी की गई है। अब एक भी हैण्ड पम्प नहीं लग रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसकी क्षमता को बढ़ाया जाय। इसको डेढ़ सौ किया जाय जिससे समस्या का समाधान हो सके।

दूसरा जो गांव में खारा पानी है उसमें हैण्ड पम्प कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हमारे यहां जवार गांव और चिन्ताकपास गांव वहां हैण्ड पम्प काम नहीं कर पा रहे हैं। वहां पर कोई दूसरी योजना बनाई जाय जैसे टंकी आदि की व्यवस्था की जाय। बिजली के बारे में कहना चाहूंगा कि हर जनप्रतिनिधि के 15-20 गांव को विद्युतीकरण किया जाय और जहां पर लट्टे लग गये हैं उनको पूरा कराने का काम किया जाय। चालीस साल आजादी को हो गये हैं जो विद्युतीकरण के लिये तार खींचे गये थे वह तो तार जीर्ण शीर्ण हो गये हैं और उनकी क्षमता कम हो गई है। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है कि वह चौदह घंटे बिजली आपूर्ति कर रहे हैं यह सही है, लेकिन पूरी तरह वहां पर बिजली नहीं पहुंच पा रही है। जो वहां के ट्रांसफारमर लगे हुए हैं वह ठीक से बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इगलास, गोण्डा और टेसी गांव में 33 के0वी0ए0 का ट्रांसफारमर लगा हुआ है लेकिन वहां पर बिजली की मांग अधिक होने के कारण वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं उसकी क्षमता को बढ़ाया जाय।

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूंगा कि इसमें कहीं पर भी पर्यटन का उल्लेख नहीं है। प्रदेश में जबसे उत्तरांचल बना है तब से पर्यटन का भाग उत्तरांचल में चला गया है। आज प्रदेश में पर्यटन का संकट है इसको बढ़ावा देना चाहिये। बहुत सारे हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा उसका विकास किया जाय। हमारे क्षेत्र में एक सरोवर है जहां पर विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया था हम चाहेंगे कि उसका विकास किया जाय। हम चाहेंगे कि जो पर्यटक आगरा आते हैं और जब वह हरिद्वार को जाते हैं तो यह मेन रोड पर है। इसका सौन्दर्यीकरण किया जाय। इसके साथ ही साथ जहां पर बलदाऊ जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, इसका भी सौन्दर्यीकरण किया जाय, इसके साथ ही साथ अलीगढ़ में अचल ताल है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है, इसका सौन्दर्यीकरण किया जाय और उसको पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाय।

मान्यवर, अलीगढ़ में एक सेखा झील है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार वहां गये भी थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस झील का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा, लेकिन यह आज तक नहीं हुआ है, तो इस झील का सौन्दर्यीकरण किया जाय, यह मैं चाहता हूं। हमारे माननीय प्रमोद जी ने भारतीय जनता पार्टी को साम्प्रदायिक पार्टी कहा है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों ने किया था, तो मैं आपको बता दूं कि यह बात माननीय प्रमोद कुमार जी ने नहीं कही बल्कि यह बात प्रदेश की 70 फीसदी जनता ने कही है।

मान्यवर, कांग्रेस कभी साम्प्रदायिक नहीं थी, उसने कभी भी सम्प्रदाय, जाति, धर्म, वर्ग के नाम पर वोट नहीं मांगे। महात्मा गांधी की हत्या करने वाली कांग्रेस नहीं थी बल्कि नाथू राम गोडसे ने की थी, जो आर0एस0एस0 के कार्यकर्ता थे। अभी अयोध्या मामले में जोशी जी के खिलाफ जजमेंण्ट दिया गया था, जो अदालत में अपील में गया है, यह तमाम तथ्य क्या साम्प्रदायिकता को उजागर नहीं करते हैं ? मान्यवर, हमारी सरकार रही या गई, लेकिन हमने कभी थाली-बेलन पीट करके वोट नहीं मांगे। माननीय हुकुम सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, अन्य माननीय सदस्य गण भी हैं, हम मानते हैं यह सब विकास को लाईक करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है, लेकिन यह भूल गए कि अंम्बेडकर उद्यान में अरबों रुपया खर्च किया गया, अगर यह वास्तव में प्रदेश का विकास करना चाहते थे तो इन्होंने इसमें साथ क्यों दिया, इस पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया। हमने बीसों बिजली घर बनाये, तमाम चीनी मिलें बनाई और तमाम सारे विकास के कार्य प्रदेश के अन्दर किए, यह सब किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। आप प्रदेश में अरबों रुपये के तमाम उद्यान बनाते रहे और विकास की बात करने वाले लोग आपकी बगल में बैठकर आपका इसमें साथ देते रहे। अगर आप वास्तव में विकास चाहते थे तो कैबिनेट में उसकी चर्चा करानी चाहिए थी। हम आरोप प्रत्यारोप करने के लिए यहां नहीं आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री विजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं, उनकी नीयत साफ है, उनको हम बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने गरीबों, दलितों, किसानों सबके हितों को ध्यान में रखकर

यह बजट बनाया है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिन्द, जय भारत। धन्यवाद।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी मैं इस बजट का विरोध करता हूं, इसके कई कारण हैं, अपने बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सामाजिक रूप से विघटित, प्रशासनिक रूप से निष्क्रिय एवं आर्थिक रूप से अत्यन्त कमजोर ढांचे को सुधारने का दायित्व हमें सम्भालना पड़ा है। इस बजट में एक जगह ऐसा लगा कि सारा घाटा तो है लेकिन जो समेकित घाटा था वह 5168.26 करोड़ रुपये था। मान्यवर, उसमें कितनी कटौती करना शेष लगता है वास्तव में आर्थिक रूप से ग्रामीण विकास के लिये कुछ सोचने की नीयत होनी चाहिये। इस आर्थिक कमजोरी को ठीक करने की आपकी नीयत क्या है जो यह बजट में दर्शायी गयी है ? मान्यवर, यह आपके बजट में 909.31 करोड़ रुपये की घाटा वृद्धि दर्शायी गयी है। मान्यवर अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह जी बोल रहे थे वह बता रहे थे कि प्रदेश का विकास एजेण्डा किस धारा में चल रहा है। उन्होंने बजट पर काफी बातें कहीं। मुख्य बात यह है कि आप किसानों के हित को किस तरह से देख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको अपने बहराइच जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं। यह घाघरा और सरजू से घिरा हुआ जनपद है। वास्तव में मेरा निर्वाचन क्षेत्र घाघरा और सरजू के बीच में है जहां बाढ़ की विभीषिका अपना ताण्डव दिखाती है और जब बाढ़ चली जाती है तो वह छोड़ जाती है कुपोषण और बीमारी। वहां मलेरिया और फाइलेरिया का प्रकोप होता है। उस संबंध में सरकार की सोचने की क्या दिशा है। उन गरीबों, उन गांवों में रहने वाले लोगों के लिये जो बाढ़ के बाद इन समस्याओं से ग्रसित होते हैं उनके लिये क्या चिंतन है।

मान्यवर, आपने इस बजट में 40 करोड़ रुपये का प्राविधान बाढ़ नियंत्रण कार्य के लिये रखा है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां बाढ़ के प्रकोप के बाद जो मलेरिया और फाइलेरिया का प्रकोप फैलता है उसके निदान के लिये सम्यक दृष्टिकोण बनाया जाय। मान्यवर, हमारे यहां इससे 117 लोगों की मौत भी हुई थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जी वहां गये थे और वहां पर कैम्प लगा करके लोगों की जांचें की गयी थीं। मान्यवर, हमारे यहां जल भराव की समस्या घाघरा और सरजू के बीच में बराबर बरकरार रहती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में ग्रामीण परिवेश की चिन्ता है तो आपको हमारे यहां के ग्रामीण लोगों की चिन्ता करनी होगी और वहां इस प्रकार की योजना बनाई जाये ताकि बाढ़ के बाद बीमारी के प्रकोपों से लोगों की रक्षा की जा सके। यह बहुत छोटी योजना है, केवल मलेरिया और फाइलेरिया के पीड़ित लोगों को चिन्हित करके उनके उपचार की व्यवस्था की और इसके लिये जो अस्थाई कैम्प लगते हैं उसके स्थान पर स्थायी कैम्प का प्राविधान कराया जाय ताकि लोगों को राहत मिल सके।

मान्यवर, हम लोग प्रतिवर्ष जिला योजना की बैठकों में बैठते हैं लेकिन उनका क्या हश्र होता है यह सबको पता है। इसलिये वहां स्थायी कैम्प बनवाया जाय और दवा की भी सम्यक् व्यवस्था करायी जाय। मान्यवर, बेसिक शिक्षा के लिये कहना चाहता हूं। मान्यवर, बजट में एक बात का समावेश न होने के कारण यह लग रहा है कि सरकार के एजेण्डे में शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा

रहा है। मान्यवर, हमारे जनपद में 132 विद्यालय ऐसे हैं जहां मात्र एक अध्यापक हैं और 37 विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षक नहीं हैं और जो एक शिक्षक जहां पर है भी वह कभी किसी दूसरे कार्य से चले जाते हैं तो सारी व्यवस्था शून्य हो जाती है। आपको शिक्षकों की नियुक्ति पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। मान्यवर, हमारे यहां इण्डो नेपाल बार्डर की तरफ आप देखें कि सुरक्षा के नाम पर नानपारा और रूपेडिहा तक सारा रोड स्पीड ब्रेकर हो गया है। जरा सा भी चिंतन उस इण्डो नेपाल बार्डर पर उस एरिया के लिये नहीं किया गया है। इस सारी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान न देकर जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका विरोध करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, अभी आपको माननीय सदस्य बहराइच की ओर ले रहे थे जबकि आप तो जाकर अभी बहराइच से लौट आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

आपकी कृपा से।

श्री राम निरंजन-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, किसानों के हित में, बेरोजगार नौजवानों के हित में और उन लोगों के हित में बजट बनाया गया है जो गांवों में निवास करते हैं। यह बजट का हिस्सा 70 फीसदी किसानों के और गांवों के विकास के लिये रखा गया है। मान्यवर, मैं बजट के समर्थन में कहना चाहता हूं कि गांवों के विकास के बिना देश और प्रदेश का विकास सम्भव नहीं होता है इसलिये यह बजट गांवों के विकास के लिये रखा गया है। इससे उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। यह बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय को दृष्टिगत रखते हुये बनाया गया है। सभी वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार बने अभी 2-3 माह से भी कम समय हुआ है ऐसे में सरकार की इच्छाशक्ति के बारे में या जो सरकार ने घोषणायें की है, उन घोषणाओं पर बड़े ही कारगर ढंग से अमल हुआ। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बिजली 14 घंटे नहीं मिलती है मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार इसके पहले भी थी, बिजली के लिये प्रदर्शन और हा-हाकार मचा रहता था जबकि आज इस सरकार में ऐसा नहीं है। 14 घंटे बिजली किसानों को मिल रही है। यह जरूर है कि रोस्टरिंग हुई है आगे बिजली मिलने में दिक्कतें आई हैं। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा में 21 हजार नौजवानों को नियुक्ति करने का सरकार ने अपने बजट में प्राविधान रखा है। इस बजट में यह भी प्राविधान है कि जो बहन बेटियां पढ़ाई नहीं कर पाती हैं पैसे की कमी के कारण, उनके लिये कन्या विद्या निधि का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी सरकारें बनीं उन सबने हमारी बेटी बहुओं के लिये जो हमारे समाज की आधी आबादी है, उनको ऊपर उठाने के लिये कोई कारगर कदम नहीं उठाया था। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बजट पेश करने के लिये और इसमें कन्या विद्या निधि के लिये जो 20 हजार रुपये का प्राविधान किया है, इसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के हित के साथ-साथ सभी वर्गों का हित इसमें निहित है

और यह पहली सरकार है जिसने सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया है और कम समय में इतने कारगर ढंग से बजट प्रस्तुत करने का कार्य किया है। इसकी जितनी सराहना की जाय उतनी कम है हमारे विपक्ष के लोग बड़ी लम्बी-लम्बी बातें कह रहे थे। मुझे दुःख है कि सुपवा बोले तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। आप लोगों ने सरकार में बैठकर न जाने कितनी ज्यादती की है, कितनी गलतियां की हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुये हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि अपने दामन में झांकने का काम करिये सरकार की मंशा साफ है आइये हम सब मिलकर इस प्रदेश के विकास में आगे आयें इसमें आप सबको सहयोग करना चाहिये। आप सहयोग की बजाय आलोचना भी ठीक से नहीं कर रहे हैं। कमियां निकालने के बजाय अपनी कमियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्या आपने नहीं किया पैसे का दुरुपयोग अम्बेडकर जी के नाम पर, अम्बेडकर गांव के नाम पर, रातोंरात दूसरे निधि का वह पैसा दूसरे स्थानों पर खर्च करने का काम किया गया, इस प्रकार उसका दुरुपयोग किया गया। इसलिये आपको बोलने का कोई हक नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ कुछ सुझाव अपने जनपद व प्रदेश के लिये देना चाहता हूं। आज उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे खराब हालत हो गयी है, उसके पीछे एक कारण है, जल निकासी का ठीक से प्रबन्ध न होना। जिसकी वजह से किसानों की लाखों हेक्टेयर जमीन बरबाद हो रही है। पानी की निकासी की सही व्यवस्था किये जाने के लिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा क्योंकि इसकी वजह से किसानों की तमाम फसलें बरबाद हो जाती हैं। मेरे जनपद चंदौली में यह समस्या बहुत गम्भीर रूप से विद्यमान है।

मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि किसी भी प्रदेश में कितना वन क्षेत्र होना चाहिए, यह पूर्व से निर्धारित है, लेकिन उत्तरांचल के चले जाने, उत्तर प्रदेश का बंटवारा हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में मात्र 8% वन क्षेत्र रह गया है, जो काफी कम है, इससे लगातार पर्यावरण का खतरा बढ़ता जा रहा है। जब बसपा की हुकूमत थी, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हैं, बसपा के अच्छे नेता हैं, उनके जमाने में नौगढ़, सोनभद्र और मिर्जापुर में इनकी पार्टी के माफिया ने सरकार के इशारे पर जंगलों को कटवाकर हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर ली। इन्होंने विधान सभा का चुनाव भी लड़ा था, यह एडवोकेट भी हैं। आप लोग नक्सलवाद की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं नक्सलवाद पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ और मजदूरों, किसानो में कभी नक्सलवाद पैदा नहीं हुआ, लेकिन आपके लोगों ने यहां के किसानों, मजदूरों में नक्सलवाद ला दिया है, आज हर घर का एक सदस्य या तो नक्सलवाद में जा रहा है या फिर आपकी पार्टी का एजेन्ट हो जा रहा है। हम सरकार का आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहते हैं कि बसपा के हुकूमत में पूर्वांचल में नक्सलवाद खूब बढ़ा और इसकी वजह से पुलिस का मनोबल गिरा। उस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन के लिये, गरीब लाचार लोगों को सुरक्षा देने के लिये सरकार को काम करना चाहिए। बसपा की हुकूमत में वहां तमाम बेगुनाह लोग मारे गये। उन सबको सुरक्षा देने के लिये एक कर्मनाशा पैकेज की योजना प्रस्तावित है, उसको लागू कराने की कृपा करें।

मैं अपने बी0 जे0 पी0 के साथियों से कहना चाहता हूं, हरिश्चन्द्र जी बैठे हैं, शायद चले गये। स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी रामनगर-मुगलसराय में पैदा हुए थे। उनकी जन्मस्थली वहां है, उन्होंने हमारे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया। मैं इस सरकार से करबद्ध प्रार्थना करता

हूं कि उनकी ईमानदारी की जितनी तारीफ की जाय, वह कम है, ऐसे चरित्रवान, ईमानदार प्रधान मंत्री का मकान आज भी वहां उपेक्षित पड़ा है। सरकार ने इस सम्बन्ध में एक योजना बनाई थी, बलुवाघाट के पास उसको पक्का बनाने की एक योजना सरकार के पास विचाराधीन है। इस बजट भाषण में समर्थन के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री की याद में, स्मृति में बलुवाघाट-रामनगर में इस योजना को जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाय। जो योजना है उसको स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय और इस बजट के सुझाव में मेरी बात को रखा जाय, यह मैं सरकार से विनती करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में किसानों के लिये 2-3 बड़ी नहरें बनायी गयी हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नहर के लिये किसानों का मुआवजा लगभग 4 करोड़ रुपया अभी बकाया है। इतना ही नहीं बकाया है औद्योगिक क्षेत्र के नाम से एक नयी औद्योगिक इकाई हिसामपुर जफरपुर बनी, किसान सर्किल रेट से मुआवजा मांग रहा था तो इनकी सरकार ने गोलियां बरसायीं।

अभी किसी विधायक का बेटा पिट गया तो माहौल गरम हो जाता है। मैं तो इसी सदन में हूं। मैंने किसानों की उचित मांग को लेकर उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की कि जो किसानों की जमीन ली गयी है सर्किल रेट के अनुसार जो उनका मुआवजा बने वह उनको दे दिया जाय तो मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। राजस्व मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं मैं चाहूंगा कि जो उनका मुआवजा बनता है उन्हें दिलाने की कृपा करें। हमारे यहां हास्पिटल में पर्चे का दाम 8 रुपये से कम करके 1 रुपया कर दिया गया हम चाहते हैं कि उन हास्पिटलों में जहां पर डाक्टर नहीं हैं, सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं, उनको सुविधायें दिलाने का काम करें। हमारे क्षेत्र में एक हास्पिटल बन करके तैयार है वहां पर डाक्टरों की नियुक्ति करनी है मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर भी ध्यान दें। पूर्वांचल में एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है नलकूपों का।

एक व्यवस्था हो गयी है कि जो नलकूप हैं प्रधान उनका रखरखाव करे और एक नलकूप के लिये 4 हजार रुपये का प्राविधान है। उनकी नालियां टूटी हुई हैं, हजारों नलकूप जिनसे सिंचाई होती है वह या तो बिजली के अभाव में बन्द पड़े हैं या फिर नालियां टूट गयी है जिससे किसानों को पानी हम नहीं उपलब्ध करा पाते हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन नलकूपों को ठीक कराने का काम कराया जाय। हमारे यहां वनारस में मालवीय पुल है उसकी मरम्मत का बजट में प्राविधान भी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उधर से लाखों लोग आते जाते हैं अगर उसको बन्द करके काम कराया जायेगा तो बहुत नुकसान होगा इसलिये मरम्मत के पहले उसके बगल में गंगा नदी पर दो पीपे का पुल आने-जाने के लिये बना दिया जाय। मान्यवर, इसके अगल-बगल दो पीपे के पुल का निर्माण करा दिया जाय तो महती कृपा होगी इससे आवागमन में कठिनाई पैदा नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष-

आप समाप्त करिये।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं नदी की कटान के बारे में। हमारे क्षेत्र में नदी से कटान बढ़ रहा है। बिजली के बड़े-बड़े खम्भे बीयर बनाकर लगाये जाते हैं

जिससे हमारे क्षेत्र में कुझड़ा से लेकर सहजऊ तक कटान बढ़ गया है और कटान से कई गांव प्रभावित हो गये हैं। इन गांवों को कटान से बचाने के लिये भी उपाय किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष-

अब बैठिये, लिखा नहीं जा रहा है।

श्री राम किशुन-

[×××]

श्री राजेन्द प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपका ध्यान सदन की कोरम की तरफ दिलाना चाहता हूं। आप यह देख लें कि सदन में कोरम का अभाव तो नहीं है।

(सत्तापक्ष के अनेक सदस्यों ने कहा कि बजट पर चर्चा हो रही है। इसमें कोरम का प्रश्न कहां आता है ?)

श्री उपाध्यक्ष-

कोरम पूरा है।

श्री चन्द्रदेव राम यादव-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार आज विकास के नाम का बहुत ढिढोरा पीट रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों की मदद के लिये 14 घण्टे बिजली देने की बात कही थी, किसानों को गन्ना मूल्य देने की बात कही थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज यहां स0 पा0 के आजमगढ़ जनपद के तमाम सदस्य नहीं हैं लेकिन बगल के जनपद के एक वरिष्ठ मंत्री, राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चौधरी जी सामने बैठे हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जब बलिया से चलते हैं तो सठियांव होकर लखनऊ आते हैं। इनका रिश्ता भी सठियांव में है। मान्यवर, ईमानदारी से यह आपको बता दें पूरे आजमगढ़ जनपद में उद्योग के नाम पर एक शुगर मिल है। आज पूरे आजमगढ़ जनपद के लोग गन्ना तैयार करके सहकारी चीनी मिल को दे करके अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, शादी-ब्याह का काम करते थे। पिछली सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने इस मिल को पैसा दे करके पूरे सत्र भर चीनी मिल को चलाया था लेकिन अभी मिल नहीं चली है। मान्यवर, यह सरकार पूरे प्रदेश के विकास की बात कर रही है। मान्यवर, आज लोग जो किसान हैं सठियांव चीनी मिल के सामने धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। मान्यवर, जो समाजवादी पार्टी है चीनी मिल के लिये आज तक एक पैसे का काम नहीं कर रही है और सारे किसान अपने गन्ने को लेकर परेशान हैं। वह चीनी मिल में कहां गन्ना भेज दें यह सब हमारे समझ में नहीं आता है।

मान्यवर, 7 चीनी मिल चिन्हित किया गया था। हम पाण्डेय जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बड़े नेता हैं क्या सठियांव चीनी मिल जो आजमगढ़ जनपद में है तो समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या हो गया है जो विकास की बात करतें हैं। श्री मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मेरी एक

नोट :-- [×××] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आंख इटावा की तरफ है और दूसरी आंख आजमगढ़ की तरफ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहां ले जा रहे हैं। चीनी मिल नहीं चला पा रहे हैं। मेरी समझ में और आजमगढ़ की जनता को यह समाजवादी पार्टी किस विकास की तरफ ले जा रही है। आज पूरा सदन देख रहा है।

मैं जनता से अपील करके आया हूं कि जा करके मा0 उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, सिफारिश करूंगा, अम्बिका चौधरी से सिफारिश करूंगा, माता प्रसाद पाण्डेय से सिफारिश करूंगा कि सठियांव चीनी मिल को मत बेचे, दूसरे के हाथों में मत दीजिये वह किसानों की है, हम लोगों का उसमें पैसा है, शेयर हैं अगर बेचते हैं तो वहां के किसान आजमगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी। मान्यवर, हमारे मुबारकपुर क्षेत्र में लाखों की संख्या में लोग बसते हैं और साड़ियां बनाने का काम करते हैं। यह सरकार विकास की बात कर रही है, गरीबों की हमदर्दी की बात कर रही है। मुबारकपुर में गरीब लोग बसते हैं, साड़ियां बनाते हैं इस कार्य में 50 से 75 प्रतिशत लड़के काम करते हैं जो लड़के 50 साल की अवस्था में टी0 बी0 के मरीज हो जाते हैं। विकास की बात पर मा0 नगर विकास मंत्री बहुत की मुस्कराकर बड़े लच्छेदार बात करते हैं, लेकिन आज तो हैं नहीं। मैं माता प्रसाद पाण्डेय जी से अनुरोध करूंगा आप मुबारकपुर गये हैं वहां कई हजार गरीब, बुनकर लोग मरीज हैं। गन्दा पानी निकालने की कोई परियोजना नहीं है, मैं चाहूंगा कि गन्दा पानी निकालने का काम सरकार करेगी तो हम विकास कर रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर इनकी इच्छा के अनुसार विकास कार्य हो जायेगा तो क्या सरकार में आप शामिल हो जायेंगे ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग विकास की दौड़ में शामिल हैं वही नहीं हैं तो क्या दूसरों को शामिल करेंगे।

श्री छोटे लाल यादव-

मान्यवर, कौन से चश्में से बात कर रहे हैं हमारे तो यही नहीं समझ में आ रहा है।

श्री चन्द्र देव राम यादव-

मान्यवर, यह सरकार विकास की बात करती है, गरीबों की बात करती है। मान्यवर, इन्होंने फीस माफ कर दी। मान्यवर, यह फीस माफ करके गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़ी जाति के बच्चों के लिये एक पिछड़ा वर्ग निदेशालय की स्थापना की थी, निदेशालय बनवाया था और सभी बच्चों को एक से बारह तक जो बच्चे पढ़ते हैं क्या इस सरकार ने उनको छात्रवृत्ति देने के नाम पर कोई योजना बनाई है, उसके लिये इन्होंने कुछ नहीं किया है।

मान्यवर, मैं पिछड़ी जाति का हूं माननीय अम्बिका चौधरी जी भी पिछड़ी जाति के हैं तो मैं आपके माध्यम से माननीय अम्बिका जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कक्षा एक से बारह तक पढ़ने वाले बच्चों के लिये कोई छात्रवृत्ति योजना लागू करेंगे, जैसी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कक्षा-एक से दस तक के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति योजना बनाई थी। मान्यवर, जब विकास परिषद् का नाम आता है तो ये लोग हल्ला मचाने लगते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध

करना चाहता हूं सठियांव चीनी मिल को जल्द से जल्द चालू करा कर पचास हजार किसानों की रोजी-रोटी की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, यह मिल पिछले वर्ष भी चलने योग्य थी और आज भी चल सकती है। मान्यवर, मुझे शंका है कि सरकार इस चीनी मिल को बन्द करके पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है तो मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, यदि ऐसा हुआ तो वहां की जनता भूखों मरेगी जो इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, गरीबों की विरोधी है बस मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं अगर इन पर हमला भी करूंगा तो भी आपको इसके कष्ट का आभास तक नहीं होने दूंगा।

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2003-04 के सामान्य बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया। महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, यह वित्तीय स्थिति कोई आज से नहीं खराब है पिछले कई वर्षों से है। मैं यह कह सकता हूं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत दिनों से खराब है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति तब और अधिक खराब हो गई है जब से 1994 में हिन्दुस्तान में डब्लू0 टी0 ओ0 में शामिल हुआ है। हिन्दुस्तान में रोजगारों पर रोक लगाकर यहां के रोजगारों को समाप्त कर दिया गया । मान्यवर, तभी से प्रदेश की वित्तीय स्थिति और अधिक खराब हो गयी है और यह खराब स्थिति अनवरत रूप से और अधिक बढ़ती ही जा रही है इसके कारण आज हिन्दुस्तान के सभी प्रकार के रोजगार में कटौती हो गयी है। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष में उलझने का विषय नहीं है आज जरूरत है कि प्रदेश का विकास कैसे हो। प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको काम दिया जाय। मान्यवर, पक्ष और विपक्ष में उलझने का विषय नहीं है आज जरूरत है कि प्रदेश का विकास कैसे हो। प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको काम दिया जाय। आज बेरोजगारों को रिझाने की प्रक्रिया हिन्दुस्तान में दिखायी दे रही है। जे0 पी0 मूवमेंट में यह बात आयी थी कि यदि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं दे पायेंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे इससे बिहार और उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों ने आन्दोलन में भाग लिया और जेल गये। इस आन्दोलन का बिहार और उत्तर प्रदेश में भरी असर रहा लेकिन इससे नौजवानों को कुछ नहीं मिला। 1986-87 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि देश में 84 हजार करोड़ रुपये की ब्लैक मनी है इसको निकाला जाय तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। लेकिन उनका आश्वासन भी टांय-टांय-फिस्स हो गयी। मैं नहीं कहता कि माननीय मुलायम सिंह जी की नीयत ठीक नहीं है। लेकिन जिस असंभव की ओर उन्होंने कदम उठाया है उसमें भगवान उनकी मदद करे। आज प्रदेश के 44 लाख नौजवान बेरोजगार हैं।

श्रम मंत्री (श्री माता प्रसाद पाण्डेय)-

मान्यवर, यह संख्या 19 लाख है। जब नयी सरकार आयी तो तहसील और ब्लाक मुख्यालय पर हमारे इम्पलायमेंट अधिकारी जाते हैं और नये सिरे से गांव-गांव की सूचना के आधार पर सूची बनाने का आदेश दिया है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, 21 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक डिसमिल जमीन नहीं है और सोने के लिये चारपाई तक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी लेकिन यह लाली पाप पकड़ाना है कुछ होने वाला नहीं है। नौजवानों के हाथों में वह ताकत है कि वह हिमालय को खिसकाने का काम कर सकते हैं। उनको रोजगार चाहिये भिक्षा नहीं। मान्यवर, अन्नपूर्णा योजना में कार्ड बने हैं लेकिन राशन की दुकान वालों ने और लेखपाल ने मिलकर इसमें धांधली की है। कोई सर्वे नहीं किया गया है। इस योजना में 65 साल के पुरुषों को 10 किलोग्राम अनाज देने की बात कही गयी है। महिलाओं की पुरुषों की अपेक्षा एवरेज आयु कम होती है। इसलिये उनके लिये 55 साल कर दिया जाय तो इसमें थोड़ी सी रचनात्मक चीज आ जायगी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 6 हजार रुपये का कर्ज है। ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें यह राज्य आगे बढ़ सके ऐसा संभव नहीं है। माननीय मुलायम सिंह को हम लोग यूनिवर्सिटी की लाइफ से जानते हैं। आप पहले राष्ट्रीयंकरण की बात करते थे लेकिन आज यह निजीकरण की वकालत कर रहे हैं। यह अपने आप में काफी विसंगति है।

यदि हम अपने नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकेंगे तो दुनियां का कोई व्यक्ति चाहे वह फोर्ड क्यों न हों उनको रोजगार नहीं दे सकता। मैं रामायण के एक प्रसंग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भगवान राम और लक्ष्मण पंपासरोवर पर थे। भगवान राम लेटे थे और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। उस समय वहां एक खूबसूरत बगुला जा रहा था तो भगवान लक्ष्मण ने कहा कि कितना अच्छा बगुला है। इसको देखकर वहां पर मौजूद मेढक ने कहा कि बगुला देखने में तो आपको अच्छा लग रहा है लेकिन वह मुझे खाने आ रहा है। महात्मा गांधी की जो तस्वीर लगी है जिन्होंने कहा था कि हर हाथ को काम मिलेगा, लघु उद्योगों को लगाने की जिन्होंने बात की थी लेकिन आज कुम्हारी, बढ़ई कला को खत्म करके प्लास्टिक का सामान बेचा जा रहा है। रामपुर, भदोही, वाराणसी के स्थानीय हथकरघा उद्योग को खत्म किया जा रहा है। उन पर हमला बोल दिया गया है पूंजीपतियों और मल्टीनेशनल द्वारा हमारे यहां बलिया में सबसे ज्यादा परवल होता है वहां पर प्रत्येक ब्लाक में दो कोल्ड स्टोरेज अगर लगा दिये जायें तो किसान जो अपनी सब्जी पैदा करता है वह वहां रख सके और मार्केट में बेचकर अपने को सम्पन्न बना सके। उनको मार्केट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उद्योगपति तो अपने उद्योग शहरों में लगाते हैं आज हाईटेक शहर नहीं हाईटेक गांव बनाने की आवश्यकता है। आज पूंजीपतियों को शहर में बिना स्टैम्प ड्यूटी के जमीन सर्किल रेट पर रजिस्ट्री की जा रही है और 25 करोड़ से ऊपर लोन बिना ब्याज के दिया जा रहा हे और सात वर्ष बाद पहली किश्त शुरू होगी लेकिन किसान के ऊपर अगर 100 रुपया बकाया है तो उसको हवालात में भेज दिया जाता है। एक समाजवादी विचारक से यह बात अच्छी नहीं लगती है। आज गरीबों के लिये कोई कार्यक्रम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मजदूरों की जगह आज ट्रैक्टरों से काम हो रहा है इससे दो करोड़ मजदूर जो हैं उनका क्या होगा। दूसरी बात आज अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। दस से ऊपर हत्यायें, अपहरण 11 प्रतिशत और डकैतियों में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन पर रोक लगनी चाहिये। जब तक कानून व्यवस्था ठीक

नहीं होगी उद्योगपति नहीं आयेगा लेकिन अपना हिसाब-किताब लेकर चला जाएगा। सरकार को दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिये। अभी तो हो रहा है कि लोक सभा के साथ विधान सभा का चुनाव करवा दिये जायेंगे इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। अपराध पर कन्ट्रोल होना चाहिये। बलिया में राम नाथ की हत्या हो गई, प्रेम सिंह चौहान की हत्या हो गई, बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की हत्या हो गई। तीनों हत्याओं में आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी बलिया के स्थानीय निकाय के चुनाव में रविशंकर उर्फ पप्पू जीते हैं उनको और उनके साथ दयाशंकर सिंह जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने गिराकर मारा और उनका चालान कर दिया यह लोग उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता को जिसको पुलिस पकड़कर ले गई थी इसीलिये थाने गये थे। इस तरह से पोलिटिकल कार्यकर्ताओं को आतंकित किया जा रहा है। अपराधों को रोका जाए लेकिन सरकार के सामने दिक्कत यह है कि अपराधियों व अधिकारियों उद्योगपतियों तथा सपाइयों का चौखम्भा राज्य स्थापित हो गया है उसी लिये यह तस्वीर आपके सामने है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं गांव की गरीबी दूर करे, गांवों का डेवलपमेंट करे ताकि गांव के हर गरीब आदमी के यहां चिराग जल सके हर हाथ को काम दें बेरोजगारी भत्ते की बात केवल गुमराह करने वाली बात है। इस बजट में आम आदमी के लिये कुछ नहीं है। एक चीज और जो उत्साहित करने की है वह है कन्या विद्या धन के नाम पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1500 छात्राओं के लिये हर जिले में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको 20 हजार रुपये देने की बात कही है। बजट का यह हिस्सा सराहनीय लगता है लेकिन बालिकाओं के लिये हर ब्लाक में इन्टर कालेज और एक डिग्री कालेज खोले जाते तो बहुत अच्छा होता। अगर कालेज स्कूल नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ाई कहां करेंगे महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 25 है। आजादी के 57 वर्ष बाद भी पुरुषों का साक्षरता का प्रतिशत 56 और महिलाओं का 25 प्रतिशत है। आज भी 31 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। देश के बंटवारे के समय हम अव्वल नम्बर पर थे। अब हम बिहार से थोड़ा सा ऊपर हैं। अगर झारखंड बिहार में रहता तो हम उससे भी नीचे हो जाते हमने पहले भी कहा था कि हम रचनात्मक सहयोग करेंगे और जहां पर आलोचना करनी होगी वहां पर आलोचना भी करेंगे। मेरा कहना है कि आप किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ छात्रों के साथ खिलवाड़ न करें। अभी हमारे खाद्य मंत्री जी कह रहे थे कि धान खरीद की पूरी व्यवस्था है।

मान्यवर, हमारे यहां 28 पी0 सी0 एफ0 के क्रय केन्द्र थे लेकिन इस साल केवल 12 ही क्रय केन्द्र हैं। 16 क्रय केन्द्र नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि कैसे धान क्रय कर पायेंगे ? हमारा अनुरोध है कि जिन जगहों पर पी0 सी0 एफ0 के क्रय केन्द्र थे वहां पर फिर खोले जायं इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बलिया जिले में सूडा चीनी मिल थी वह बन्द हो गयी है। हमारे बलिया में लोगों के पास सिर्फ एक ही उद्योग है। आप इसको किसी उद्योगपति के पास मत सौंपिये। यहां पर एक कताई मिल कई साल से बन्द पड़ी है। यह कताई और चीनी मिल दो ही उद्योग बलिया के लोगों के पास है। बलिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखा हुआ है। बलिया के लोगों ने इस देश के लिये बहुत कुछ किया है। आप उस कताई मिल को खुलवाइये। हमारे जिले के चार-चार मंत्री यहां बैठे हैं मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आप इन मिलों को बेचने से रोकने की कोशिश करिये ताकि वहां का एक मात्र उद्योग बन सके। गांव ओरिएन्टेड योजना वहां के लोगों को

दीजिये। जो लोग उत्तर प्रदेश विकास कमेटी में हैं वे अपने नाम से या अपनी फर्म के नाम से वहां पर व्यापार न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं।

(श्री दिलीप कुमार वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

सदन में कोरम के अभाव की सूचना

कुंवर भारतेन्दु सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न उठा था कि कोरम नहीं है, इसका उत्तर नहीं आया है। आपने इस पर व्यवस्था नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष-

कोरम पूरा है। पहले भी था और अब भी है। कोरम के लिये घंटी बजायें।

(घंटी बजाई गई)

श्री उपाध्यक्ष-

कोरम पूरा है। लोग चाय पीने गये थे, अब आ गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री दिलीप कुमार वर्मा-

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। सामने बैठे माननीय सदस्यों की बात मैं को सुन रहा था हमें तो कल ही महसी क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है पिछली सरकारों के कार्यकाल को हमने देखा है, तमाम लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, यह लोग तो परिचित होंगे माननीय नेता सदन ने जिस दिन शपथ ली है उसी दिन से जनहित की घोषणाओं को लागू कर दिया है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय उपाध्यक्ष जी चर्चा को कॉंटीन्यू कर दीजिये अगली मदें आप ले लें।

श्री उपाध्यक्ष-

ठीक है चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष-

आज दिनांक 5-12-2003 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई हैं पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की है इन्होंने प्रदेश के सभी नगर निगमों एवं स्थानीय निकायों के विकास में अवरोध उत्पन्न होने के संबंध में सूचना दी है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की है। इन्होंने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों पर कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं की समस्याओं के संबंध में सूचना दी है इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह की है इन्होंने जनपद बलिया

के चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु जिला पंचायत द्वारा धन को अवमुक्त न किये जाने के संबंध में सूचना दी है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौथी सूचना श्री अमरजीत जनसेवक की है इन्होंने जनपद फतेहपुर में बक्रेकर से मुसाफा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में सूचना दी है इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। पांचवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की है, इन्होंने किसान सहकारी चीनी मिल सटियांव आजमगढ़ को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। छठी सूचना श्री राम किशुन की है इन्होंने जनपद चन्दौली के नौगढ़ वन क्षेत्र में अवैध कटाई के संबंध में सूचना दी है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया जाता है। सातवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की है इन्होंने प्रदेश के अनुसूचित जाति में भर जाति को सम्मिलित न किये जाने के संबंध में सूचना दी है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की है इन्होंने जनपद गाजियाबाद के सिम्भवली शुगर मिल तथा मोदी शुगर मिल में 20 गन्ना क्रय केन्द्रों पर अभी तौल चालू न किये जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। नवीं सूचना श्री बीजू पटनायक की है इन्होंने जनपद जौनपुर के धरमापुर बाजार की भूमि पर चकबन्दी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों का उत्पीड़न किये जाने के संबंध में सूचना दी है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है, इन्होंने जनपद आजमगढ़ की नवनिर्मित तहसील मेहनगर भवन निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में सूचना दी है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री घनश्याम शुक्ला ने लखनऊ के इन्दिरानगर के सी ब्लाक के मध्य मेन चर्च रोड पर कूड़ा फेंकने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है , इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा शहर में नालों की सफाई नियमित रूप से न कराये जाने के संबंध में सूचना दी है, इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। तेरहवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की है इन्होंने प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुई हैं उनके नाम हैं श्री छोटेलाल वर्मा, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 रामबाबू हरित तथा श्री द्वारिका प्रसाद।

अब हम उठते हैं 8 तारीख को 11.00 बजे पूर्वाह्न में फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 02 मिनट पर सोमवार दिनांक 8 दिसम्बर, 2003 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 5 दिसम्बर, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर।)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री अब्बास अली जैदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-91 का संलग्नक।

नगरपालिका परिषद् रुदौली-फैजाबाद में वर्ष 2002-2003 में क्रय की गई विद्युत सामग्री की सूची

क्र0सं0	सामग्री का विवरण	मात्रा	कुल धनराशि
1	250 वाट एच0 एस0 बी0 (ई) लैम्प सोडियम बी0 जे0 एम-डी0 एस0 बी0 आई0 एस0 आई0 मार्का कम्पलीट	50 अदद	2,07,950=00
2	150 वाट सोडियम फिटिंग बजाज आई0 एस0 आई0 मार्का कम्पलीट	50 अदद	1,95,000=00
3	250 वाट बजाज बल्ब (सोडियम) आई0 एस0 आई0 मार्का	12 अदद	8,520=00
4	250 वाट सोडियम चोक बजाज आई0 एस0 आई0 मार्का	12 अदद	13,860=00
5	100 वाट बल्ब बजाज आई0एस0आई0	1000 अदद	9,000=00
6	200 वाट बल्ब बजाज आई0एस0आई0	1000 अदद	16,000=00
7	स्टार्टर 40 वाद बजाज आई0एस0आई0 मार्का	100 अदद	800=00
8	ट्यूब लाईट 40 बजाज आई0एस0आई0 मार्का	200 अदद	8,000=00
9	आटो मेन सुईच	1 अदद	2,500=00
10	40 वाट कापर चोक	144 अदद	17,2800=00
11	रोल टेप पी0बी0सी0	288 अदद	2,880=00
12	बेड सुईच	72 अदद	720=00
13	कापर वायर 3/20	12 क्वायल	2,772=00
14	मेन सुईच हैबेल्स ब्रेक	6 अदद	180=00
15	कापर वायर 3/22	12 अदद	2,868=00
16	कापर वायर 23/76	12 अदद	1,440=00

सुरेश कुमार शर्मा,
अनु सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-112 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर।)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री अब्बास अली जैदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-112 का संलग्नक :

(अ) ग्यारहवें वित्त आयोग से स्वीकृत धनराशि से कराये गये विकास कार्यों का विवरण

क्र0सं0	कराये गये विकास कार्य का विवरण	लागत/रुपया
1	मो0 पूरे जामी में खड़न्जा एवं नाली का निर्माण कार्य 9 स्थानों पर खड़न्जा 431 मी0, नाली 547 मी0, 5 क्रास।	मु0 2,78,890.00
2	मो0 शखाना उत्तरी में श्री चन्दू के घर से सावरी मस्जिद के पीछे खड़न्जा एवं नाली का निर्माण खड़न्जा 33 मी0 नाली 33 मी0।	मु0 24,700.00
3	मो0 पूरे मियां में मो0 काशीपुर में श्री मेडी लाल यादव के घर से काली जी मन्दिर पूरे मियां से हन्नी फूल धोबी के मकान तक व घनराम भवन से परशुराम मकान तक खड़न्जा, नाली का निर्माण का आंगणन, खड़न्जा 125 मी0, नाली 335 मी0।	मु0 2,12,600.00
4	मो0 पूरे हुसैन खां में वार्ड नं0-9 में खड़न्जा एवं नाली क्रास का निर्माण मिट्टी की पटायी 105 मी0, खड़न्जा 470 मी0, नाली 335 मी0, क्रास 3।	मु0 2,32,360.00
		कुल रु0 7,48,550-00

(ब) राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत धनराशि में से कराये गये विकास कार्यों का विवरण

क्र0सं0	कराये गये विकास कार्य का विवरण	लागत/रुपया
1	2	3
1	मो0 ख्वाजाहाल में नयागंज रोड से रफत रसूल की दुकान (हाजीनीम) रोड तक खड़न्जा उखाड़ कर पुनः लगाना एवं 212 मी0 खड़न्जा तथा 409 मी0 नाली वार्ड ख्वाजाहाल/लालार।	मु0 1,39,640.00
2	नयागंज वार्ड में मु0 04 में खड़न्जा एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन खड़न्जा 315 मी0 मिट्टी कार्य 30 मी0, नाली 90 मी0 मो0/वार्ड नयागंज।	मु0 91,528.00
3	मो0 मीरापुर में कार्य का आगणन निर्माण कार्य 5 स्थानों पर कुल खड़न्जा की लम्बाई 331 मी0 तथा वार्ड/मीरापुर।	मु0 89,855.00
4	मो0 पुराना बाजार वार्ड नं0-19 में पवनकुमार अग्रवाल के घर से धर्मशाला रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य 102 मी0 वार्ड पुराना बाजार।	मु0 99,082.00

1	2	3
5	मो0 पूरे बेलदाराना में कुआं से श्री सिराज श्री दयाराम के मकान तक नाली की लम्बाई 90 मी0 वार्ड का कार्यस्थाना।	मु0 23,865.00
6	मो0 कटरा में खड़न्जा एवं नाली के निर्माण कार्य का आगणन उक्त निर्माण कार्य 3 स्थानों पर खड़न्जा 290 मी0, नाली 120 मी0, क्रास वार्ड कटरा।	मु0 96,909-00
7	मो0 सोफियाना दक्षिणी वार्ड नं0-14 में खड़न्जा एवं नाली के निर्माण कार्य 3 स्थानों पर खड़न्जा 138 मी0, नाली 135 मी0 क्रास 4 वार्ड सोफियाना।	मु0 90,607.00
8	मो0 पूरे खान में श्री अरविन्द पुस्तकालय के पीछे श्री अय्यूब के मकान तक खड़न्जा 60 मी0 का निर्माण कार्य मो0 पूरे/वार्ड पूरे खान।	मु0 13,244.00
9	मो0 शेखाना उत्तरी वार्ड नं0-20 में मिट्टी की पटाई, खड़न्जा एवं नाली एवं क्रास कुल मिट्टी की पटाई 125 मी0, खड़न्जा 166 मी0, नाली 90 मी0 क्रास दो उक्त कार्य 7 स्थानों पर सम्मिलित है वार्ड शेखाना उत्तरी।	मु0 91,198.00
10	मो0 सालार वार्ड नं0-11 में श्री राम करन के घर से श्री मुन्नन तेली के घर तक नाली एवं खड़न्जा का कार्य 56 मी0 खड़न्जा 40 मी0 वार्ड सालार।	मु0 25,332.00
11	मो0 मलियाना वार्ड नं0-24 में खड़न्जा एवं नाली के निर्माण का आगणन 6 स्थानों पर खड़न्जा 231 मी0, नाली 152 मी0 क्रास। वार्ड कजियाना।	मु0 92,420.00
12	मो0 पूरे खान में मिट्टी की खुदाई खड़न्जा एवं नाली के निर्माण कार्य का आगणन निर्माण कार्य 4 स्थानों पर मिट्टी की पटाई 231 मी0, खड़न्जा 90 मी0, नाली 70 मी0 मो0 पूरे खान।	मु0 78,020.00
13	मो0 पूरे खान में शफीक रेडियो वाले की दुकान से कब्रिस्तान तक नाली का निर्माण 20 मी0 मो0/वार्ड पूरे खान।	मु0 5,464.00
14	विद्युत सामग्री पर व्यय की गयी धनराशि।	मु0 2,81,836.00
		योग-रु0 12,19,000.00

सुरेश कुमार शर्मा,
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 15 विधान सभा-(32)-17:5-04-800 (कम्प्यूटर) ।